खण्ड-209, अंक-10
बुधवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(24 फरवरी, 1960 ई0)

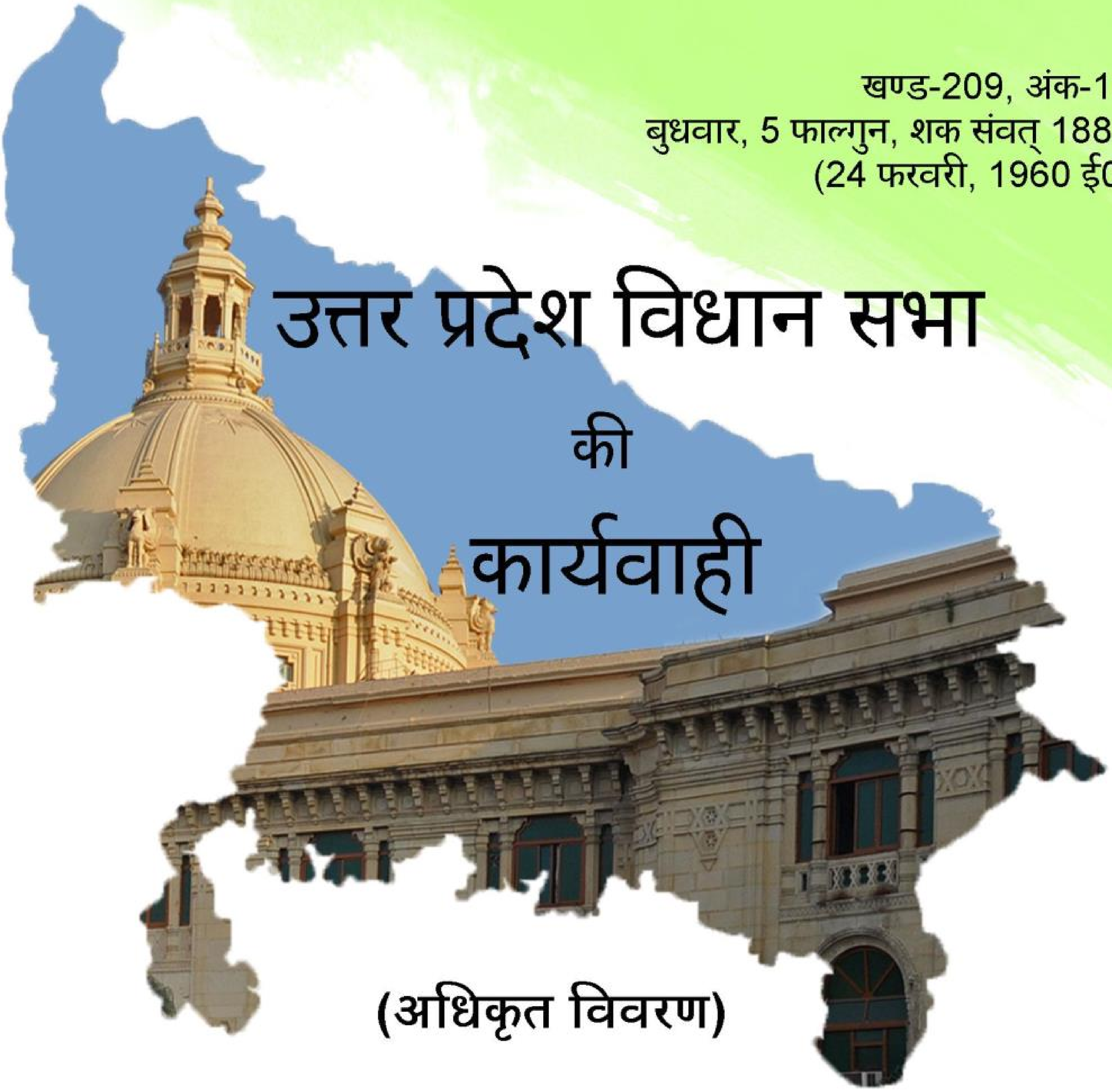

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 209 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अहमद बख्श, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानुप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय , श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २४ फरवरी, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में सत्य आश्रम के एलाटमेंट में बाधा

****१--श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर) श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर) तथा श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तारीख ३१-७-५९ को आर०सी०ई०ओ०, लखनऊ ने जिस मकान को 'सत्य आश्रम' नामक रजिस्टर्ड संस्था को एलाट किया है और उस पर उस संस्था का कब्जा दिलाने के लिये रे०क०ऐ० की धारा ७-ए (३) के अन्तर्गत पुलिस को तारीख १०-८-५९ को आदेश किया है उस पर अब तक उसे कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया है और कब्जा दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?**

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--प्रश्नगत मकान का कब्जा एलाटी को न मिलने का कारण यह है कि निशातगंज के निवासियों की शिकायत पर जिलाधीश ने सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराना आवश्यक समझा। जांच से संबंधित कार्यवाही समाप्त होने तक आगे की कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

****२--श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री मदन पाण्डेय तथा श्री राजनारायण**--क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस मकान पर अब तक वही व्यक्ति काबिज है जिसने नवम्बर सन् १९५७ में गैरकानूनी रूप से उस पर कब्जा कर लिया था और जिसे आर० सी०ई० ओ०, लखनऊ, ने तारीख २-६-५८ के अपने फैसले में गैरकानूनी कब्जा करने वाला बताया है और तारीख ५-१-५९ को कमिश्नर लखनऊ ने जिसके बारे में आर०सी०ई० ओ०, लखनऊ को आदेश दिया है कि वह उससे एक सप्ताह की नोटिस देकर उसके बाद बलपूर्वक मकान खाली कराले और तारीख २२-७-५९ को राज्य सरकार ने कमिश्नर के इस फैसले को कायम रखते हुये उस व्यक्ति की अपील को खारिज कर दिया है ? यदि हां, तो इन फैसलों और आदेशों का क्यों नहीं पालन किया गया है और इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, प्रश्न १ के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये इस प्रश्न का द्वितीय भाग उठता ही नहीं है ।

श्री राजनारायण--मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि हमको अभी तक उत्तर नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर शायद श्री अब्दुल रऊफ लारी को दे दिया होगा । अगर तीन आदमियों के नाम हैं तो तीनों को दे देना चाहिये । अब आइन्दा ऐसा ही होगा ।

(मूल उत्तर पढ़ने के बाद)

इस समय जो मेरे पास सूचना है वह यह है कि उत्तर आपके पास गया था। उसको आपके यहां किसी ने दस्तखत करके ले लिया। यह आप देख लीजियेगा कि किसके दस्तखत हैं। उसको किसी ने दस्तखत करके रख लिया है। सम्भव है कि आपके दफ्तर में ही रखा हो।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि जब आर०सी०ई०ओ० ने २-६-५८ को गैरकानूनी रूप से कब्जा डिक्लेयर किया, फिर ५-१-५९ को कमिश्नर ने भी उसको गैरकानूनी कब्जा साबित किया और २२-७-५९ को राज्य सरकार ने भी उसे गैरकानूनी कब्जा घोषित किया, तो अभी तक वह गैरकानूनी कब्जा क्यों चलता जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अध्यक्ष महोदय, जब तक कि अन्तिम फैसला नहीं होता तब तक उस पर कोई कार्यवाही उससे पूर्व हो ही नहीं सकती है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि अन्तिम फैसले का क्या अर्थ है, इसका जरा स्पष्टीकरण कर दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जब आगे कोई कार्यवाही करने की जरूरत न पड़े तो समझ लीजिये कि अन्तिम है।

श्री राजनारायण--जहां तक गैरकानूनी कब्जे का सम्बन्ध है, पहले आर०सी० ई० ओ० ने कहा कि गैरकानूनी है। फिर उसकी अपील कमिश्नर के यहां हुई, उन्होंने भी गैरकानूनी करार दिया। कमिश्नर के फैसले की अपील सरकार के यहां हुई। २२-७-५९ को सरकार ने भी कमिश्नर के फैसले को कायम रखा। उसने कहा कि जिसने कब्जा किया है उसका कब्जा गैरकानूनी है। इसको खाली कराया जाय। जब सरकार ने अपनी अन्तिम राय दे दी कि कब्जा गैरकानूनी है तो उसके बाद अब अन्तिम राय कौन होगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अध्यक्ष महोदय, वह कब्जा तो जरूर गैरकानूनी था। मगर जब तक सही एलाटी को कब्जा न दिलाया जाय तब तक निकालने से फायदा क्या ?

श्री अध्यक्ष--इसको जरा आप स्पष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपके भाषण में भी यह आया था।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जो हंसराज है, जिसको आप कहते हैं कि गैरकानूनी तौर से काबिज है, वह कहता है कि मैं पार्टनर था, मैकूलाल का जिसने मकान खाली किया। लेकिन रेंट कंट्रोलर और कमिश्नर ने भी उसको पार्टनर नहीं माना। हमने यह कहा कि उसकी हमारे यहां अपील भी नहीं होती है क्योंकि कोई लोकस स्टेंडी नहीं है। इसके बाद एलाटमेंट ब्रह्मचारी जी के नाम से हुआ। ब्रह्मचारी जी को पुलिस से पजेशन दिया जा रहा था कि सारे मुहल्ले के लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और कहा कि यह उनके खिलाफ बड़े गम्भीर आरोप हैं और अगर उनको मकान दिया गया तो मुहल्ले की हालत बड़ी खराब हो जायगी। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने स्टे आर्डर लगा दिया कि तब तक इसको न हटाया जाय, और इसकी इन्क्वायरी सिटी मैजिस्ट्रेट को दे दी।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, हमारे प्रश्न के दो खंड हैं। एक तो गैरकानूनी ढंग से जिसने कब्जा किया है उसको हटाने की बात है और दूसरा उसके एलाटमेंट का प्रश्न है। दोनों को एक में न मिलाया जाय। हमारा प्रश्न यह है कि जिसने गैरकानूनी ढंग से कब्जा किया है उसको हटाने में सरकार क्या दिक्कत महसूस करती है ?

श्री अध्यक्ष--अभी सरकार का कोई सवाल नहीं आता है। जो जवाब उन्होंने दिया उसके बाद का आप प्रश्न पूछें। मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जरा आप बैठें। सुन लीजिये क्या

मतलब है। उनका मतलब यह है कि एक व्यक्ति हंसराज ने उस जगह पर गैरकानूनी तौर से कब्जा किया है। यह अन्तिम फैसला हो चुका है। इसके बाद एलाटमेंट दूसरे आदमी को हुआ, यानी ब्रह्मचारी जी को। मुहल्ले वालों ने यह शिकायत की कि इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होगी और इसलिये यह मकान उनको न दिया जाय। वह कहते हैं कि उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह आर्डर दिया कि जो इल्लीगल पजेशन में है उसको हटाया न जाय और इसका फैसला जब तक ब्रह्मचारी जी के सम्बन्ध का न हो जाय तब तक ब्रह्मचारी जी को न दिया जाय। इस फैसले के बाद अब आगे का प्रश्न आप करें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--दूसरा सवाल करने के पहले आप एक सफाई और कर दें। एक सवाल उसके एविक्शन का है और दूसरा सवाल एलाटमेंट का है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसा कोई आर्डर दिया है कि जब तक फाइनल एलाटमेंट न हो तब तक उसका एविक्शन भी न किया जाय ?

श्री अध्यक्ष--यह आप आगे अपने प्रश्न में साफ करायें। मैंने जो अपने कान से सुना वह तो यही है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि उसको हटाया न जाय और यह शायद आपने भी सुना होगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, चूंकि आपने इसको स्पष्ट कर दिया, बड़ी कृपा हुई, लकिन अगर आप आज्ञा दें तो थोड़ा-सा स्पष्टीकरण मैं भी इसका कर दूं। श्रीमन्, आज के पांच महीने पहले जिलाधीश से हमारी बात हुई थी और जिलाधीश को हमने यह कहा था कि अगर ब्रह्मचारी जी के विरुद्ध व्यक्तिगत कोई शिकायत है तो मुकदमा अलग चलाइये।

श्री अध्यक्ष--आप अपनी सूचना न दें, सवाल करें। अपने फैक्ट्स न बतायें।

श्री राजनारायण--तो मेरा प्रश्न यह है कि यह मकान सत्य आश्रम के नाम एलाटेड है, ब्रह्मचारी जी एक व्यक्ति हैं और अब उस सत्य आश्रम के जो सर्वेसर्वा अधिकारी पुरुष एक सभापति के रूप में हैं वह हैं श्री रामनारायण त्रिपाठी, जो इस सदन के उपाध्यक्ष हैं। ब्रह्मचारी जी का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। तो सरकार उस कारण को बताये कि अब उस मकान को सत्य आश्रम के नाम क्यों नहीं एलाट किया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--एलाट करने का काम यह सरकार का नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का है और उन्होंने मुझे जो इत्तला भेजी है वह यह कि मुहल्ले वालों को ब्रह्मचारी जी के खिलाफ शिकायत है और यद्यपि अब माननीय रामनारायण जी उसके अध्यक्ष हो गये हैं, मगर मेरी सूचना है कि माननीय रामनारायण जी तो केवल कागज पर हुये हैं, असली सारा सम्बन्ध तो उनका ही है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सही है कि मंत्री जी ने जिस स्टे आर्डर की बात कही वह स्टे आर्डर उस सम्बन्ध का है जो आर्डर कि पुलिस को मिला था कब्जा दिलाने के लिये, उस सिलसिले का स्टे आर्डर नहीं है कि उस आदमी का एविक्शन न किया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--पुलिस ऐक्शन से ही एविक्शन होता और पुलिस ऐक्शन ही स्टे कर दिया गया है। एविक्शन तो अभी हुआ ही नहीं।

श्री गौरीशंकर राय--मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिलाधीश ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि उस आदमी को निकाला न जाय, उसके निकालने के सिलसिले में कोई स्टे आर्डर दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मुझे खेद है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। जो पुलिस से निकालने का सवाल आया वही तो स्टे किया गया।

श्री अध्यक्ष--उनका मतलब यह है कि सेपरेट आर्डर उसके लिये कोई नहीं है, बल्कि पुलिस से निकालने का जो आर्डर दिया था उसी को स्टे कर दिया गया है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को जिलाधीश के उस पत्र की जानकारी है जो जिलाधीश ने २ फरवरी, १९६०, को माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी को लिखा था--

"Kindly refer to your letter dated January 19, 1960, regarding allotment of a shop in favour of the "Satya Ashram. The matter has been referred to the Government for orders and a reply will be sent to you when orders of the Government are available."

तो जिलाधीश ने जब यह पत्र लिखा कि एलाटमेंट का मामला सरकार के पास भेजा है और सरकार का आदेश जब आ जायगा तब मकान के एलाटमेंट के सम्बन्ध में आखिरी उत्तर मैं दूंगा, तो अगर यह पत्र सरकार की जानकारी में है तो सरकार कैसे कहती है . . . .

श्री अध्यक्ष---पहले आप उनसे यह तो पूछें कि उन्हें जानकारी है ?

श्री राजनारायण---तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आपने उसकी एक कापी यहां दी है । उस कापी से मुझे मालूम हुआ और दो तारीख को आया है, तो मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि जो चीज हमारे पास आयेगी उस पर विचार किया जायगा । हमने रिपोर्ट मांगी थी उनसे इत्तिला के लिये । अब इत्तिला मिलने के बाद जो मुनासिब होगा वह देखा जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कहा कि सिटी मैजिस्ट्रेट के द्वारा जांच करायी जा रही है, तो क्या जांच वह पूरी हो गई और अगर पूरी हो गई तो सिटी मैजिस्ट्रेट ने, जो ब्रह्मचारी जी के खिलाफ एलीगेशंस थे वे सही पाये या गलत पाये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी जैसा कि मैंने कहा, मेरे सामने वह चीज नहीं आयी, सेक्रेटरिएट में है शायद, उसको मैं देखूंगा तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या लिखा है ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार का अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद जिलाधीश ने किस कानून और किस धारा के मुताबिक स्टे आर्डर जारी किया है ?

श्री अध्यक्ष---आप खुद कानून नहीं समझते हैं तो उसके लिये लाचारी है । उन्होंने साफ बताया कि ला ऐंड आर्डर का प्रश्न हो गया तब उसने तात्कालिक स्टे आर्डर किया एन्क्वायरी के लिये ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह एलाटमेंट सत्य आश्रम के नाम से हुआ था या ब्रह्मचारी जी के नाम से हुआ था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह सत्य आश्रम के नाम से ही हुआ होगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन मुहल्ले वालों की शिकायत उनको कब प्राप्त हुई थी ?

श्री अध्यक्ष---उनका कहना यह है कि उनके पास नहीं आयी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---तो क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ले वालों की शिकायत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कब प्राप्त हुई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कब प्राप्त हुई थी, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है, लेकिन उन लोगों का एक बड़ा भारी जलूस मुख्य मंत्री जी के यहां भी और मेरे यहां भी गया था। मैंने उनसे यही कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जांय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक जलूस उनके पास मुहल्ले वालों का आया था, तो क्या मंत्री जी यह बता सकेंगे कि जलूस के लोगों ने या उनके प्रतिनिधियों ने मंत्री जी से क्या शिकायत की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह ऐसी शिकायतें हैं कि जिन्हें सदन में कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं।

श्री राजनारायण—जिलाधीश ने सरकार का आदेश हासिल करने के लिये उसके पास जो पत्र भेजा वह सरकार के पास कब भेजा, इसे क्या सरकार स्पष्ट करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—किस पत्र के सम्बन्ध में आप कह रहे हैं ?

श्री राजनारायण—जिलाधीश ने माननीय रामनारायण त्रिपाठी को पत्र द्वारा, जो मैंने पढ़कर सुनाया, यह सूचित किया है कि हमने सरकार के आदेश के लिये सरकार के पास मैटर रेफर किया है, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिलाधीश ने वह मैटर कब रेफर किया ?

श्री अध्यक्ष—वह यह कह चुके हैं कि आपने जब चिट्ठी उनको भेजी तब उनको उसका ज्ञान हुआ। जिलाधीश के पत्र के आने से ज्ञान नहीं हुआ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह मैटर जिलाधीश ने सरकार के पास रेफर किया है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जैसा मैंने कहा, २ तारीख को उन्होंने भेजा है। अभी वह मेरे पास पहुंचा नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो जलूस वाले आये थे उन्होंने किसके खिलाफ शिकायत की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उन्होंने सत्य आश्रम और ब्रह्मचारी दोनों के खिलाफ शिकायत की।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बड़ा जुलूस कब उनके पास आया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक मुझे स्मरण है, अगस्त के महीने में यह आया था।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि ब्रह्मचारी के खिलाफ शिकायत आई थी और अभी उत्तर में कहा कि ब्रह्मचारी और आश्रम दोनों के खिलाफ शिकायत आई, तो ब्रह्मचारी जी के खिलाफ शिकायत को तो वह यहां पर बताना उचित नहीं समझते हैं मगर आश्रम के खिलाफ क्या शिकायत थी इसको बतलाने की वह कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उन दोनों का ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है कि उससे एक ही बात निकलती है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो शिकायत लोगों ने की थी वह जलूस के सामने की थी या अलग कमरे में की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वे इतने ज्यादा थे कि वहां पर जलूस वालों के सिवाय दूसरा कोई नहीं था और बाहर बहुत भीड़ थी तो मुझे भी बाहर आना पड़ा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आदमी उस मकान में रहता है उसको सरकार इल्लीगल समझती है तो रेन्ट कंट्रोलर ने मुन्सिफ की अदालत से हुकुम क्यों नहीं लिया कि उसको पुलिस के जरिये हटा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा उसको हटाने का आर्डर दिया, लेकिन उसको मैजिस्ट्रेट ने स्टे किया।

श्री राजनारायण—सरकार ने अभी उत्तर दिया था कि जिलाधीश ने उनको बताया कि रामनारायण त्रिपाठी जी का नाम नामिनल है मगर उसके सर्वेसर्वा ब्रह्मचारी जी हैं, तो जिलाधीश ने सरकार को यह उत्तर जब दिया तब सरकार को यह बात मालूम हुई। ये राम नारायण जी त्रिपाठी हमारे इस सदन के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं तो रामनारायण जी त्रिपाठी को इन्होंने सूचित किया कि उनका सम्बन्ध ऐसी अनुचित संस्था से क्यों है ?

श्री अध्यक्ष—आप तो नई शंकाओं को उठा देते हैं। सीधे सवाल कीजिये।

श्री राजनारायण—जो शिकायत ब्रह्मचारी जी की है वही शिकायत उस संस्था के बारे में है, तो क्या मंत्री जी ने त्रिपाठी जी को ऐसी सूचना दी है कि उनका सम्बन्ध एक ऐसी संस्था से है जिसके सम्बन्ध में ऐसी शिकायतें हैं जिनको मैं पब्लिक में नहीं कह सकता ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिस समय मुझसे बातें हुई थीं उस समय माननीय राम-नारायण जी त्रिपाठी पिक्चर में नहीं थे और मैंने उनका नाम तो परसों सुना जब कि आपने सदन में जिक्र किया। लेकिन चूंकि उसमें व्यक्तिगत तरीके पर बातचीत करने का प्रश्न नहीं उठता था इसलिये मैंने यह नहीं किया और न उन्होंने कोई बात की। मुझे बाद में यह भी इत्तिला मिली कि बावजूद इसके कि रामनारायण जी इसके प्रेसीडेंट हो गये हैं, ब्रह्मचारी जी का सम्बन्ध उनके साथ वैसा ही है और वह मेरा अपना विचार है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो आदमी उस सत्य आश्रम में गैर कानूनी तरीके पर कब्जा किये हुए है उसको उस मकान से निकाला जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे नहीं उठता। इसमें उपाध्यक्ष भी आ गये, ब्रह्मचारी भी आ गये और आश्रम भी आ गया, और एक हंसराज जो नायायज कब्जा किये हुए है, वह भी आ गया। तो एक एक प्रश्न को अलग-अलग करना असंभव है और इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह बिलकुल अलग नया सा सवाल हो जाता है।

चीनी पद्धति पर धान की खेती के लिये अनुसंधान

****३—**श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने कहां-कहां किस प्रकार खेती की चीनी पद्धति का प्रयोग प्रारम्भ किया है ?

कृषि उप मन्त्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—धान की चीनी पद्धति से खेती करने का प्रयोग प्रदेश में अभी कहीं नहीं हुआ है। इस वर्ष केवल इस पद्धति की नगीना तथा गोरखपुर अनुसन्धान फार्मों पर जांच प्रारम्भ की गई।

****४—**श्री झारखंडेराय—क्या सरकार इस कृषि की चीनी पद्धति की रूपरेखा से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इसकी विशेषता गहरी जुताई, अधिक बीज बोना, तथा बीज को बोने से पहले ४८ प्रतिशत सोडियम बाई कारबोनेट के घोल में दो दिन तक भिगोने के बाद बोना है ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह चीनी पद्धति केवल धान के लिये ही लागू होती है या रबी की फसलों के लिये भी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस समय प्रयोग के लिये भारतीय अनुसंधानशाला से जो आदेश आये थे उनमें केवल धान के लिये कहा गया था और उसी पर यह प्रयोग हो रहा है ।

श्री झारखंडेराय—सरकार की सूचना के अनुसार चीनी और जापानी पद्धति में कौन अधिक बेहतर है, क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी करायेंगे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—अभी केवल एक वर्ष प्रयोग हुआ है और उसमें हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चीनी पद्धति अच्छी हो सकती है । लेकिन उसका खर्च इतना है कि वह इस भारतीय स्थिति में संभव नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार का ध्यान चीनी सरकार की ओर से उनकी पद्धति के बारे में जो कम्युनिक निकला है २५ जनवरी को टाइम्स आफ इंडिया में, की ओर गया है जिसमें चीनी सरकार ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि धान की फसल जिस नवीन पद्धति का जिक्र किया गया उसका प्रयोग करने के कारण २५ से ३० परसेंट तक गिर गयी ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां । उस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है और प्रयोग भी हो रहा है । यह गवर्नमेंट का काम है, चलता ही रहता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पिछले साल भारत सरकार की ओर से एक साहब चीन गये थे खेती देखने के लिये और वहां से लौट कर उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें बतलाया कि ३८६ टन प्रति एकड़ धान वहां पैदा हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके ठीक-ठीक आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं, इसलिये मुनासिब न होगा कि मैं कुछ जवाब दूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—यह देखते हुए कि अब तक जापानी पद्धति से खेती हो रही थी और अब चीनी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है, क्या हिन्दुस्तानी पद्धति से धान की खेती सफल नहीं हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—चाहे चीनी पद्धति हो अथवा जापानी, दुनिया में जो चीज हमको अच्छी दिखायी पड़ेगी वह हम लेंगे । सबको तजुर्बा करके जो सबसे अच्छा होगा वह हम अपनायेंगे । लेकिन यह वाजे चीज है कि जो जापानी पद्धति की खेती है वह शायद भारतवर्ष से ही गयी थी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेशीय सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल चीनी पद्धति जानने के लिये बाहर गया था या उनको किस प्रकार से चीनी पद्धति की जानकारी प्राप्त हुई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—भारत सरकार की तरफसे सन् १९५८ में विशेषज्ञों का एक डेलीगेशन वहां पर गया था और उन्होंने कृषि अनुसंधानशाला को यह रिपोर्ट दी कि चीनी पद्धति से धान की पैदावार बढ़ सकती है । इसकी एक मीटिंग हुई है २२ फरवरी, १९५९ को कटक में, और उसमें एक सब-कमेटी बनाई गयी और उसके द्वारा ३ सेन्टर्स कायम किये गये और

उत्तर प्रदेश को यह आदेश दिया गया कि तीन वर्ष तक दो सेन्टर्स कायम करके यह देखे कि यह प्रयोग सफल हो सकते हैं। अतएव हमने नगीना और गोरखपुर में सेन्टर्स खोल कर इसका प्रयोग किया है जो जारी है।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन आफिसर्स ने, जिनके बारे में मैंने अभी पिछले प्रश्न में पूछा है, अपनी रिपोर्ट में यह भी बतलाया है कि चीन में धान की खेती तीन तहों में की जाती है ?

श्री मोहनलाल गौतम--प्रध्यक्ष महोदय, जब वह रिपोर्ट मौजूद है तो उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, इसके लिये मुझे क्वेस्चनाइज न किया जाय तो अच्छा हो।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार यह बतायेगी कि चीनी या जापानी, जो भी पद्धति हो, उसका उन देशों में भी प्रयोग हुआ है और उसके ऊपर वहां की सरकार ने अधिकृत असफलता का जिक्र किया है ? तो उसको ध्यान में रखते हुये और यहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुये जो मल्टीपिल क्रापिंग पद्धति है और जो इन्डोनेशिया और दूसरे देशों में चल रही है, उस ओर भी ध्यान देंगे जिससे धान की उपज बढ़ सके ?

श्री मोहनलाल गौतम--जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उनमें उन सभी पद्धतियों का जो इस समय संसार में प्रचलित हैं अनुसंधान हो रहा है और जो पद्धति भी सबसे ज्यादा अच्छी होती है उसका प्रयोग यहां पर किया जाता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह खुद कह रहे हैं कि जापानी पद्धति भारतीय पद्धति है तो वह इसके लिये जापानी और चीनी पद्धति का प्रचार न करके भारतीय उन्नतिशील ढंग की पद्धति का प्रचार अपने ब्लाक्स में या और जगह करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह कोई खास तरीके की कोई खास चीज नहीं है। यह हिन्दी शब्द है, यह सहूलियत के लिये है, यह कोई खास चीज नहीं है कि वह जापानी है या कौन सी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की रिपोर्ट किसी विशेषज्ञ ने सरकार से की है कि जापानी पद्धति का हमारे देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल सम्भव नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह अभी सब चीजें चल रही हैं। जितना जहां पर संभव होता है वहां किया जाता है। जहां पर यह पद्धति सम्भव नहीं होगी वहां उसका प्रयोग नहीं किया जायेगा। जहां इसके प्रयोग से पैदावार बढ़ सकती है वहां उसका प्रयोग करना पड़ेगा।

तारांकित प्रश्न

नदियों में गन्दा पानी गिरने से रोकने के लिये प्रार्थना

*१--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ऐसी नदी कौन-कौन सी हैं, जिनमें शहरों का मलमूत्र का पानी गिराया जाता है और उन्हीं नदियों से वाटर वर्क्स द्वारा पानी उन्हीं शहरों की जनता को पीने के लिये दिया जाता है ?

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--प्रदेश में निम्नलिखित नदियां हैं जिनमें उनके आगे इंगित शहरों का गंदा पानी नालों द्वारा गिरता है और उन्हीं नदियों से पानी लिया भी जाता है परन्तु यह पानी नालों के गिरने के स्थान से पहले ही ले लिया जाता है:

(१) बांदल नदी	..	..	..	देहरादून
(२) यमुना नदी	..	..	..	आगरा व इलाहाबाद ।
(३) गंगा नदी	..	..	..	कानपुर व वाराणसी ।
(४) गोमती नदी	..	..	..	लखनऊ व जौनपुर ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुछ नदियां ऐसी हैं जहां पर दो शहरों का मल-मूत्र गिरता है । तो ऐसी सूरत में कुछ जिलों को पाखाने और पेशाब का पानी ही पीने को मिलता है । ऐसी सूरत में क्या सरकार बिजली के नलकूप लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जयराम वर्मा--यह बात सही है कि एक ही नदी से दो-दो शहरों को पानी दिया जाता है और उसमें गन्दा पानी भी गिरता है । लेकिन एक बात यह है कि बहुत दूर बहने के बाद पानी के बहाव के साथ पानी की गंदगी दूर हो जाती है और दूसरे यह कि यह पानी कच्चा पानी नहीं दिया जाता है, इसको साफ करके, इसमें रासायनिक पदार्थ मिला कर ही दिया जाता है । गन्दा पानी नहीं दिया जाता है । उसकी जांच होती है, लेकिन यह जरूर है कि अगर यह चीज दूर हो सकी तो करेंगे ही और योजना इसीलिये चलायी जा रही है जिससे वह गंदा पानी खेती के काम में लाया जाय और नदियों में बहने से रोका जा सके ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन नदियों में एक गंगा नदी ऐसी है जिसको धार्मिक दृष्टि से लोग बहुत मानते हैं और मरते वक्त उसका पानी मुंह में डाला जाता है, तो सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे गंगा नदी में इस तरह का गंदा पानी न जा सके ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--श्रीमन्, धार्मिक दृष्टि से तो उसको और भी गंदा किया जाता है । मुरदे भी उसी में डाले जाते हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कानपुर में जिस स्थान से पीने के लिये पानी लिया जाता है उससे पहले कुछ फैक्टरियों का कुछ गंदा पानी गंगा में गिराया जाता है, तो क्या वह इस व्यवस्था को बदलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--अब इसकी तो ठीक जानकारी नहीं है कि जहां से पानी लिया जाता है पीने के लिये उसके पहले ही फैक्टरियों का कुछ गंदा पानी गिरता है या नहीं, अगर इस तरह की बात है तो इस बात को देखा जायगा कि लोगों को गंदा पानी न मिल सके ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह जानकारी नहीं है पीने का पानी लेने के पहले फैक्टरियों का गंदा पानी गंगा में गिराया जाता है, लेकिन जब वह कानपुर का दौरा करते हैं तो क्या उन्होंने कभी ऐसी जानकारी हासिल की कि ऐसा होता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, गंदा पानी होता है कुछ दर्जे तक और इसीलिये सारी योजनाएं बनायी गयी है और दूसरा कोई कारण है ही नहीं बनाने का ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि शहर के मल-मूत्र से कम्पोस्ट बनाने की सरकार की योजना है और उससे बहुत ही उम्दा खाद तैयार होती है जिससे उपज बढ़ायी जा सकती है, तो कोई ऐसी व्यवस्था अगले दो एक वर्षों में सरकार करेगी कि मल-मूत्र नदियों में न पड़ करके खाद की शकल में बदला जा सके ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह तो उत्तर में कहा गया कि ऐसी योजनाएं बन रही हैं, उसके लिये जितना पैसा मिलता है उसी में काम चलाया जाता है, नल डालना पड़ता है उसमें देरी लगती है, देरी की वजह से भी काम रुकता है ।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो अभी जवाब दिया है कि सरकार का यह लक्ष्य है कि प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं उनमें गंदा पानी या मल-मूत्र जो गिरता है वह समाप्त हो जाय, तो क्या ऐसा लक्ष्य है कि ऐसी व्यवस्था हो जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, ऐसा लक्ष्य है बशर्ते कि उसका साधन उपलब्ध होता रहे ।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब-तक कितने कितने शहरों में जहां नदियों से पानी पीने के लिये दिया जाता है वहां के मल-मूत्र का उपयोग करने के लिये व्यवस्था की गयी है ?

श्री जयराम वर्मा--पहली पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा, लखनऊ शहरों में यह योजना चालू की गयी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह देहरादून और हरिद्वार में भी आरंभ की गयी है ।

श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा है कि मल-मूत्र को खाद बनाने के काम में लिया जायगा, वह योजना कब तक कार्यरूप में परिणत हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष--वह तो कह चुके कि साधनों के हिसाब से होगा ।

सीतापुर नगरपालिका को अग्निशमन सज्जा देने की प्रार्थना

*२--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० में प्रदेश के कुछ नगरों में अग्निशमन सज्जा (Fire-fighting Equipment) की व्यवस्था करने का सुझाव भारत सरकार ने दिया है ?

श्री जयराम वर्मा--सुझाव तो नहीं दिया है, ५,४६,००० रु० का एक अनुदान दिया है ।

*३--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हां, तो क्या जिन नगरों में उक्त व्यवस्था किये जाने का विचार किया जा रहा है उनमें सीतापुर नगर भी है ?

श्री जयराम वर्मा--जी नहीं ।

*४--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या सीतापुर नगरपालिका ने उक्त व्यवस्था के लिये सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है और सरकार आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा--जिलाधीश सीतापुर ने उक्त व्यवस्था के लिये सरकार से सहायता की मांग की थी परन्तु धन (funds) की कमी के कारण उक्त प्रार्थना अस्वीकार कर देनी पड़ी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी, ५,४६,००० रुपये की जो अनुदान भारतीय सरकार से प्राप्त हुई है उसकी तारीख बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा---यह तो इसी चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि अगस्त के महीने में प्रस्तुत बजट में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ८,२०,००० रुपया भारत सरकार से प्राप्त हो चुका है और अब ५,४६,००० रु० के आंकड़े दिये जा रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---दोनों आंकड़े सही हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५,४६,००० रु० का जो अनुदान प्राप्त हुआ है उसे किन-किन नगरों में इस्तेमाल किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जो कवाल टाउन्स कहलाते हैं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दोनों आंकड़े किस प्रकार से सत्य हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---८,२०,००० की जो राशि है वह पहले मिली थी, लेकिन उस साल में वह खर्च नहीं हो सकी इसलिये उसको दूसरे साल में खर्च किया गया और उसी साल ५,४६,००० रुपये की राशि भी मिल गई ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पांच लाख के करीब जो ग्रान्ट है वह किस इक्विपमेन्ट में और किन टाउन्स में खर्च की जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा---कवाल टाउन्स में इसका प्रयोग हो रहा है और, जैसा कि प्रश्न में है, फायर फाइटिंग इक्विपमेन्ट में खर्च किया जा रहा है ।

करनैलगंज तथा नवाबगंज नगरपालिकाओं का चुनाव कराने की प्रार्थना

*५---श्री उग्रसेन---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार गोंडा जिले के अन्तर्गत करनैलगंज तथा नवाबगंज नोटीफाइड एरिया को नगरपालिका स्तर पर करने जा रही है ? यदि हां, तो उसके नये चुनाव की व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

श्री जयराम वर्मा---नगरपालिका (क) विभाग ने अपनी विज्ञप्ति द्वारा करनैलगंज व नवाबगंज नोटिफाइड एरियाओं को नगरपालिकाओं में बदल दिया है । इन दोनों नगरपालिकाओं के कक्षों के परिसीमन व सीटें निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा रहा है । परिसीमन आज्ञाओं के अंतिम रूप दिये जाने पर शीघ्र से शीघ्र सामान्य निर्वाचन कराये जायेंगे ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन दोनों नोटीफाइड एरियाज में कितने दिनों से परिसीमन का कार्य चल रहा है ?

श्री जयराम वर्मा---निश्चित तिथि के लिये सूचना की आवश्यकता है । लेकिन वैसे ७ सितम्बर, १९५९, को नोटीफाइड एरिया से नगरपालिका में तब्दील किया गया है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जल्द से जल्द कब तक वह चुनाव करा देंगे ?

श्री जयराम वर्मा---जैसा कि कहा गया, जब परिसीमन ठीक हो जाय और सीटों का ठीक निर्धारण हो जाय तो चुनाव जल्द से जल्द कराया जायगा ।

पडरौना, देवरिया तथा बरहज नगरपालिकाओं पर ऋण

*६—श्री उग्रसेन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ से १-७-५९ तक देवरिया जिलान्तर्गत पडरौना, देवरिया तथा बरहज नगरपालिकाओं को प्रति वर्ष कितना रुपया सरकार ने अनुदान या कर्ज के रूप में दिया है और इस समय उपर्युक्त नगरपालिकाओं पर कितना रुपया कर्ज का बकाया है ?

श्री जयराम वर्मा—वित्तीय वर्ष १९५४ से १-७-५९ तक देवरिया जिलान्तर्गत पडरौना, देवरिया तथा बरहज नगरपालिकाओं को प्रति वर्ष जितना रुपया सरकार ने अनुदान या कर्ज के रूप में दिया है व उपरोक्त नगरपालिकाओं पर जितना रुपया कर्ज का बकाया है उसका ब्योरा संलग्न विवरण-पत्रों में दिया है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९०१-९०२ पर)

*७—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त नगरपालिकाओं ने अनुदान या कर्ज लेकर उक्त अवधि में उन कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अपने क्षेत्र में नहीं किये जिनके लिये उन्होंने रुपया लिया था ?

श्री जयराम वर्मा—उक्त नगरपालिकाओं ने जिन-जिन कार्यों के लिए अनुदान या ऋण लिया था वे सभी कार्य उन्होंने उक्त अवधि में अपने क्षेत्र में कर लिए हैं ।

श्री उग्रसेन—माननीय मन्त्री जी ने जो विवरण नत्थी २ में प्रस्तुत किया है उसमें पडरौना नगरपालिका पर ३,०२,२४२·०७ रुपये और देवरिया पर ५,८७,८८०·०२ रुपये दिखाया गया है । तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रकम अब तक क्यों नहीं वसूल हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कर्जा जिन टर्म्स पर दिया गया है उसीके मुताबिक वसूल किया जायगा ।

श्री उग्रसेन—इस बात को देखते हुये कि बरहज नगरपालिका को केवल ३०,०८३·४५ रुपया देना है, क्या माननीय मन्त्री जी बरहज नगरपालिका को ड्रेनेज और पीने के पानी की योजना को चालू करने के लिये वहां से जो कर्जे के लिये प्रार्थना-पत्र आया है उसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—अगर इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र होगा तो जरूर विचार किया जायगा ।

मैनपुरी जिले में पंचायत मंत्रियों को निवास-स्थान से दूर रखने की प्रार्थना

*८—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऐसे पंचायत मंत्री कितने हैं जो कि अपने निवास-स्थान से २५ मील की दूरी से कम पर हैं ?

श्री जयराम वर्मा—बाईस ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके आदेश हैं कि पंचायत सेक्रेटरी अपने मकान से २५ मील दूर रहें ? यदि हां, तो इनको वहां से हटाने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—इस प्रकार के आदेश हैं, लेकिन जिनका काम अच्छा होता है उनका तबादला करना जरूरी नहीं है ।

इलाहाबाद नगरपालिका को ऋण तथा बलुआघाट नाले का गन्दा पानी

*९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश की किन किन नगर-पालिकाओं को महापालिका बनने के लिये कितना-कितना धन किस-किस कार्य के लिये अब तक ऋण के रूप में दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—प्रदेश की नगरपालिकाओं में से किसी को भी महापालिका को स्थापित करने के लिए किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया। परन्तु नगरपालिका वाराणसी को २०,००,००० रुपये और आगरा को ६,००,००० रुपये उनके महापालिका भवन निर्माण हेतु व नगरपालिका इलाहाबाद को २,७५,००० रुपया उसकी वर्तमान इमारत में परिवर्धन एवं परिवर्तन करने के लिए दिया गया ।

*१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के बलुआ घाट नाले का गन्दा पानी जो चाचर नाले से घाट पर गिरता था गिरना बन्द नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—सीवर में से मलबा निकलवाने की कार्यवाही की गई है और उसके बाद चाचर नाले का बहाव बहुत कम हो गया है। बहाव को पूर्णतः रोकने के लिये स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग शौकत अली रोड पर ५४ इंच व्यास का सीवर बनाये जा रहे हैं। जैसे ही यह सीवर बनकर तैयार हो जायगा तो गन्दा पानी इसके द्वारा बहेगा और चाचर नाले का बहाव बन्द हो जायेगा ।

*११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका को जो ऋण पालिका में इमारत बनाने के लिये दिया गया था उससे अभी तक इमारत नहीं बनी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—नगरपालिका इलाहाबाद को ऋण मई, १९५९ में पालिका की वर्तमान इमारत में कतिपय परिवर्धन एवं परिवर्तन करने के हेतु दिया गया था और अब नगर एवं ग्राम नियोजक की सम्मति के अनुसार भवन में आवश्यक परिवर्तन किये जा रहे हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—पहले मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि नये भवन निर्माण हेतु यह रुपया दिया गया है और आज कहा है कि वर्तमान इमारत में परिवर्धन और परिवर्तन के लिये दिया गया है, इन में कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, खेद है कि पहले उत्तर में गलती रह गई ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जितने भी सीवर इलाहाबाद में बनाये गये, जिनमें लाखों रुपया व्यय हुआ है, वे सब इस समय चोकड हैं और मलबा भरा हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा—नोटिस चाहिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—बजट में कानपुर नगरपालिका को नये भवन के लिये १० लाख रुपया दिया गया है और मंत्री जी ने कहा है कि कानपुर को कोई ग्रान्ट नहीं दी गई है, इनमें कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री अध्यक्ष—वित्त मंत्री ने कल स्पष्ट कर दिया था कि १० लाख रुपया कानपुर का नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कानपुर का है ।

श्री जयराम वर्मा--यह १९६०-६१ के बजट में है और वह पहले की बात बताई गई थी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--पहले यह कहा गया था कि कानपुर के लिये नहीं दिया गया है जब कि बजट में १० लाख रुपया है ?

श्री अध्यक्ष---जब आप उसे पास कर देंगे तभी तो दिया जा सकेगा ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगरपालिका के भवन निर्माण के लिये २० लाख रुपया दे दिया है या नहीं ? यदि कुल दे दिया गया है तो कितना खर्च हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना चाहिये ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--जो सीवर बनाया जा रहा है वह कब तक बन जायगा और उसमें कितना व्यय होगा ?

श्री जयराम वर्मा--समय ठीक कहना मुश्किल है, लेकिन जल्द बनाने की कोशिश की जा रही है ।

*१२--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--[सातवें गुरुवार के लिये प्रश्न २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१३-१४--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[स्थगित किये गये ।]

*१५-१६--**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--[८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७-१८--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)--[८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१९-२१--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)--[८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

महिला मंगल योजनान्तर्गत जिला संयोजकों को सहायक विकास अधिकारी बनाने पर विचार

*२२--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या महिला मंगल योजना की जिला संयोजिकाओं को वह सहायक विकास अधिकारी (महिला) के पद में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--जी हां ।

*२३--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि ऐसा होने पर जो महिलायें अब तक जिले में डी० ओ० के पद पर काम करती थीं वह ए० डी० ओ० हो जायेंगी और शिल्प शिक्षिकाओं और कार्यालय के कुछ लिपिक बेकार हो जायेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह सही है कि जो महिलायें अब तक जिला संयोजिका के पद पर काम करती थीं वे ए० डी० ओ० हो जायेंगी । शिल्प शिक्षिकाओं तथा जिला संयोजिकाओं के लिपिकों के पदों को सुरक्षित रखने का प्रश्न विचाराधीन है ।

मोजूबीर–सिंघोरा सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*२४––श्री ऊदल (अनुपस्थित)–क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह मोजूबीर से सिंघोरा, बसनी से बरही नेवादा, मीराशाह से कटिरांव, बड़ागांव से अनई तक की कच्ची सड़क पर जो तहसील व जिला वाराणसी में पड़ती है कंकड़ डालने के लिये अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी को अनुदान देने जा रही है? यदि हां, तो कितना-कितना और कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––जी नहीं ।

श्री बद्रीप्रसाद रस्तोगी, निलम्बित सेक्रेटरी, अन्तरिम जिला परिषद् मिर्जापुर, का नोटिस

*२५––**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)––क्या यह सही है कि सरकार ने किसी पत्र द्वारा जिलाधीश, मिर्जापुर को यह निर्देश दिया था कि श्री बद्रीप्रसाद रस्तोगी, निलम्बित सेक्रेटरी, अन्तरिम जिला परिषद्, मिर्जापुर के सम्बन्ध में परिषद् के अन्तिम निर्णय को जिलाधीश सरकार के पास भेज दें ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पत्र की प्रतिलिपि अथवा पूर्व विवरण सहित उसका आशय सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––जी नहीं ।

*२६––**श्री रामकृष्ण जैसवार** (अनुपस्थित)––क्या यह सही है कि उक्त कथित पत्र के आधार पर ही जिलाधीश, मिर्जापुर ने विशेषरूप से श्री बद्री प्रसाद रस्तोगी, सचिव, मिर्जापुर, के मामले को १७–१०–५९ को अन्तरिम जिला परिषद् के फैसले के बाद सरकार में रेफरेंस किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––प्रश्न नहीं उठता ।

*२७––**श्री रामकृष्ण जैसवार** (अनुपस्थित)––क्या सरकार को मालूम है कि उक्त श्री बद्री प्रसाद रस्तोगी ने जिलाधीश व अन्य लोगों को २७,००० रुपये के नुकसान का नोटिस दिया है ? अगर हां, तो यह किस प्रकार का है, और क्या सरकार सदन की मेज पर उस नोटिस की कापी रखने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––जी हां । श्री बद्री प्रसाद रस्तोगी ने उन्हें उनके पद पर रीइन्स्टेट (Reinstate) किये जाने तथा उनका बकाया वेतन आदि दिये जाने के सम्बन्ध में नोटिस दी है । यह नोटिस यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ की धारा १९२ (१) तथा सी० पी० सी० की धारा ८० के अन्तर्गत दी गई है । उपर्युक्त नोटिस की दो प्रतियां, एक सरकार के नाम व दूसरी श्री जे० एन० तिवारी, उप सचिव, स्वायत्त शासन शाखा के नाम, जो भूपूर्व जिलाधीश मिर्जापुर थे, प्राप्त हुई थी जो मौलिक रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधीश को भेज दी गई है । इस कारण उनकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है ।

सीतापुर जिले में एक पंचायत मंत्री की बर्खास्तगी

*२८––**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सीतापुर में सितम्बर व अक्तूबर, १९५८ में कितने ऐसे पंचायत मंत्री थे जिनको विभागीय खर्च पर ग्राम सेवक के पद का प्रशिक्षण दिलाने के बाद ग्राम सेवक के पद पर नियुक्त किया गया तथा ग्राम सेवक पद का चार्ज दिया गया और कितने अपने पुराने पद पर रखे गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला सीतापुर में सितम्बर व अक्तूबर, १९५८ में ३ पंचायत मन्त्रियों को विभागीय खर्चे पर प्रशिक्षण दिलाया गया था परन्तु एक स्थान के ही रिक्त होने के फलस्वरूप केवल एक पंचायत मन्त्री को ग्राम सेवक पद पर नियुक्ति के आदेश दिये गये थे परन्तु चार्ज नहीं दिया गया। शेष दो अपने पुराने पद पर रहे।

*२९—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त पदोन्नति वाले पंचायत सेक्रेटरियों में कितने ऐसे हैं जिन्हें सितम्बर, अक्तूबर, १९५८ में ग्राम सेवक के पद पर नियुक्ति का आदेश देने के बाद उनको पद का चार्ज न देकर बिना कारण बताए और स्पष्टीकरण मांगे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं? यदि ऐसा किया गया, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—केवल एक पंचायत मन्त्री को इस अवधि में ग्राम सेवक पद पर नियुक्ति का आदेश दिया गया था। ये पंचायत मन्त्री बिना अपने पुराने पद का कार्यभार दिये नवीन कार्यभार ग्रहण करने चले गये जो अवैधानिक था। इसलिये उनको नये पद का कार्यभार नहीं दिया गया। उनकी सेवायें १ माह का अग्रिम वेतन देकर समाप्त कर दी गई हैं। उनकी सेवायें अस्थायी थीं, इसलिये स्पष्टीकरण मांगने तथा कारण आदि बताने का प्रश्न नहीं उठता।

*३०—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस प्रकार हटाये गये पंचायत मन्त्रियों को पुनः उनके स्थान पर वापस लेने और ग्राम सेवक पद पर पदोन्नति करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

*३१-३२—**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—[८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

तुलसीपुर टाउन एरिया के उपनियम हिन्दी में प्रकाशनार्थ भेजना

*३४—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—तुलसीपुर टाउन एरिया (गोंडा) के बाइलाज के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ३६, दिनांक ९-९-५९ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश गोंडा द्वारा टाउन एरिया तुलसीपुर के उपनियमों की हिन्दी की प्रतिलिपि को गजट में प्रकाशनार्थ भेजने की तारीख क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगस्त २०, १९५८।

बड़हलगंज टाउन एरिया के विरुद्ध शिकायत

*३५—**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—बड़हलगंज टाउन एरिया (गोरखपुर) में सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिनांक २३ दिसम्बर सन् १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने माननीय मंत्री को शिकायत कब लिखित दी और उक्त मुकदमे के दाखिले की तिथि क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्नकर्ता ने लिखित शिकायत स्वायत्त शासन सचिव को दी थी जिसकी तिथि २ मई, १९५८ है। मुकदमे के दाखिले की तिथि १९ अगस्त, १९५७ है।

मैनपुरी जिले में एक पंचायत मंत्री का स्थानान्तरण

*३६—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऐसे पंचायत सेक्रेटरी कितने हैं जो कि अपने निवास-स्थान वाले क्षेत्र में पांच साल से अधिक समय से हैं ?

श्री जयराम वर्मा—केवल एक, जिसके स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिये गए हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतावेगी कि यह पंचायत सेक्रेटरी कौन-सी अदालत में थे और कौन सी तारीख को तबादले का हुकुम किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—रामनगर क्षेत्र में १-८-४९ से कार्य कर रहे हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस आदमी में क्या विशेषता थी जिससे वह ५ साल से अपने निवास स्थान में रखा गया ?

श्री जयराम वर्मा—कोई खास बात नहीं थी।

बिना बिजली की टाउन एरियायें

*३७—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की कितनी टाउन एरियाओं में बिजली है और कितनों में नहीं है ?

श्री जयराम वर्मा—७४ टाउन एरियाओं में बिजली है और २०५ में नहीं है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन टाउन एरियाओं में अभी तक बिजली नहीं हो पाई है उनमें कब तक हो जायगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह कहना बहुत कठिन है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने बिजली के मुख्य अभियन्ता को लिखा है कि जिन टाउन एरियाओं में स्थानीय गृह उद्योग हैं उनको बिजली देने में प्राथमिकता दी जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हमारे यहां से नहीं लिखा गया।

जौनपुर अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव

*३८—**श्री रामलखनसिंह** (जिला जौनपुर), **श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर) तथा **श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर अन्तरिम जिला परिषद् की कार्यकारिणी ने अपनी बैठक दिनांक २०-१२-५९ में अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् के अवैध कार्यों के विरोध (प्रोटेस्ट) में १९५९-६० के संशोधित बजट के तैयार करने तथा अनुमानित बजट १९६०-६१ में एस्टीमेट तथा शेड्यूल को जांचने से अपने को असमर्थ पाया है ?

श्री जयराम वर्मा—अन्तरिम जिला परिषद् की कार्यकारिणी की दिनांक २०-१२-५९ की बैठक में कार्यकारिणी के पांच सदस्यों ने अध्यक्ष के विरुद्ध एक आरोप-पत्र देते हुए परिषद् के वर्ष १९५९-६० के संशोधित एवं वर्ष १९६०-६१ के अनुमानित बजट तैयार करने से अपनी असमर्थता प्रकट की। शेष ३ सदस्यों ने जोर दिया कि दोनों बजट अवश्य तैयार किये जायं। तदुपरान्त उक्त ३ सदस्यों तथा अध्यक्ष ने दोनों बजट तैयार किये क्योंकि बजट का तैयार न किया जाना परिषद् के हित में न समझा गया।

*३९—श्री रामलखनसिंह, श्री माताप्रसाद तथा श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार इस सम्बन्ध में बहुमत सदस्यों द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को बताने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९०३ पर)

*४०—श्री रामलखन सिंह, श्री माता प्रसाद तथा श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में उसका क्या करने का इरादा है ?

श्री जयराम वर्मा—नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री रामलखनसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अन्तरिम परिषद् की कार्यकारिणी ने जिस बजट को तैयार करने में अपने को असमर्थ बताया था, उसी बजट को १६-१-६० को जिला अन्तरिम परिषद् की बैठक में ३१ सदस्यों ने ११ के विरुद्ध अस्वीकार कर दिया ?

श्री जयराम वर्मा—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि १४-११-५९ को जिला परिषद् ने अध्यक्ष के एक आदेश को १२ के विरुद्ध ३० मतों से स्वीकार किया था किन्तु अध्यक्ष ने उसको कार्यान्वित नहीं किया ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, उसका निष्पादन रोक दिया और सरकार को उसकी सूचना दे दी।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस पर अभी विचार हो रहा है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जौनपुर की जिला अन्तरिम परिषद् में किस दल का बहुमत है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसकी जानकारी अपने यहां नहीं रखी जाती है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिलाधीश ने २१ तारीख के जिस आदेश को रद्द किया था वह किस विषय का था और क्या आदेश था ?

श्री जयराम वर्मा—किसी गांव में एक स्कूल था जिसका भवन गिर गया था। इस बीच में किसी एक आदमी के घर में वह स्कूल चलाया गया । जब इमारत बन गयी तो जिलाधीश ने उस स्कूल को उसी इमारत में भेज दिया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या यह सही है कि यह जो स्कूल बनाया गया वह उसी स्थान पर बना जहां कि पहला स्कूल था और उसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सेंक्शन किया था। लेकिन एक गुट विशेष के आदमी के स्वार्थसाधन की दृष्टि से परिषद् ने उसको रद्द किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ये सब बातें देखी जायंगी।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि डी० एम० से उपाध्यक्ष को एक पावर डेलीगेट की गयी थी ? उसको उन्होंने कब वापस लिया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरा खयाल है कि वह अपने आने के डेढ़ या दो महीने बाद एसा किया।

श्री मुक्तिनाथराय—जिलाधीश द्वारा उपाध्यक्ष से किस परिस्थिति में पावर ली गयी और क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा लगता है कि जिलाधीश को संतोष नहीं था कि जिस प्रकार से उन अधिकारों का प्रयोग होना चाहिये था, कानून के मुताबिक और जनहित में, उस प्रकार का हो रहा है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि जिला अन्तरिम परिषद् की कार्य-समिति ने बहुमत से जिलाधीश के विरुद्ध, जिला परिषद् की मोटर, और उसके चपरासी के इस्तेमाल करने के गलत आरोप लगाये थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, ऐसी शिकायत हुई थी।

श्री गौरीशंकर राय—इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कोई जांच भी की गयी ? वह किसके द्वारा हुई और उसका क्या नतीजा हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी होने के बाद कोई कार्यवाही की जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रान्त के भिन्न-भिन्न जिलों के अध्यक्ष जो जिलाधीश हैं और उपाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समिति में पारस्परिक मतभेद हो जाने की वजह से जिला परिषदों के कार्य में बाधा पड़ती है, वह अन्तरिम जिला परिषदों का चुनाव जल्द से जल्द कराने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसमें कानूनी बाधा है, इस वजह से इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता।

खीरी टाउन एरिया द्वारा रेलवे यार्ड में तहबाजारी वसूल करने पर आपत्ति

*४१—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया खीरी, रेलवे स्टेशन अरनी खाना के यार्ड में गन्ने की गाड़ियों से कोई चुंगी वसूल कर रही है ? यदि हां, तो वह कौन सा कर है और क्या सरकार द्वारा स्वीकृत है ?

श्री जयराम वर्मा—टाउन एरिया खीरी गन्ने की गाड़ियों से तहबाजारी वसूल करती है। वह जिलाधीश द्वारा स्वीकृत है। शासन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया खीरी जो तहबाजरी टैक्स वसूल करती है वह जिलाधीश की स्वीकृति से बाजार में ही वसूल कर सकती है, रेलवे यार्ड में नहीं, तो फिर रेलवे यार्ड में वह टाउन एरिया तहबाजारी टैक्स क्यों वसूल करती है ?

श्री जयराम वर्मा—टाउन एरिया अपने क्षेत्र में वसूल कर सकती है और वह क्षेत्र टाउन एरिया के अन्तर्गत ही है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि इससे पूर्व एक प्रश्न इसी प्रकार का सदन में आया था जिसमें माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि खीरी टाउन एरिया तहबाजारी टैक्स रियासत की भूमि पर नहीं वसूल कर सकती है, अपनी भूमि पर ही वसूल कर सकती है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वह रेलवे यार्ड के अन्दर तहबाजारी टैक्स वह कैसे वसूल कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—वह टाउन एरिया के अन्तर्गत है। उनके उप नियम वसूली के सम्बन्ध में बने हुए हैं, इसलिये वह वसूल कर रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मैं पहले माननीय मंत्री जी को यह बात साफ कर दूं कि इसके पहले सरकार तथा टाउन एरिया द्वारा यह घोषित नीति है कि तहबाजरी टैक्स टाउन एरिया अपनी भूमि पर ही वसूल कर सकती है, रियासत ओयल और महेवा की भूमि पर टैक्स नहीं वसूल कर सकती ....

श्री अध्यक्ष—यह महेवा वगैरह का सवाल नहीं है, यह तो आप बहस कर रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि जब यह सिद्धान्त निश्चित है कि कोई टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी अपनी भूमि पर ही तहबाजारी टैक्स ले सकती है तो फिर रेलवे यार्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमि है, वहां की टाउन एरिया गन्ने की गाड़ियों से चुंगी किस तरह से वसूल कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये उज्र कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर लड़ सकते हैं।

गाजीपुर जेल से समाजवादी बन्दियों का स्थानान्तरण

*४२—**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के चार बन्दी सर्वश्री जीउतराम, विश्राम राय, बाबूनन्दन और पूर्णमासी को १० दिसम्बर को हथकड़ी और रस्सी में बांध कर गाजीपुर जेल से नैनी सेन्ट्रल जेल भेजा गया और उन लोगों का ट्रांसफर सजा होने के बाद ३६ घंटे के अन्दर किया गया ? इस जल्दी का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ये चारों बन्दी ८ दिसम्बर, १९५९ को जुडीशल अफ़सर, गाजीपुर की अदालत से दंडित हुए। चूंकि गाजीपुर जेल में ये अवैधानिक तथा अनुचित व्यवहार करते रहे अतएव अनुशासन की दृष्टि से १० दिसम्बर को उन्हें नैनी जेल स्थानान्तरण कर दिया गया। स्थानान्तरण समय पर ही हुआ था। यह बन्दी स्वयं भूख हड़ताल कर रहे थे तथा अन्य बन्दियों को भी इसके लिये प्रोत्साहित करते थे। स्थानान्तरण करते समय इनके पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाई तथा रस्सी बांधी गई थी।

*४३—**श्री यमुनासिंह** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिला जेल में राजनीतिक बन्दियों से मुलाकातियों को बैठने के लिये कम्बल या कोई अन्य बिछौना नहीं बिछाया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, मुलाकातियों के लिए बिछौने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है।

राबर्ट्सगंज टाउन एरिया में बयाई टैक्स की वसूली

*४४—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या राबर्ट्सगंज टाउन एरिया, जिला मिर्जापुर में बयाई टैक्स लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने कोई परिपत्र भेजकर इसे अनुचित ठहराया है किन्तु इसके बाद भी टैक्स लिया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—(क) जी हां।

(ख) खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने कोई परिपत्र (circular) नहीं भेजा।

*४५—**श्री मोती लाल अवस्थी**—क्या सरकार ने गांव सभाओं व टाउन एरियाओं द्वारा बयाई टैक्स के लिये जाने की वैधता के संबंध में पूछ-ताछ की है ? यदि हां, तो क्या सलाह सरकार को दी गई ?

श्री जयराम वर्मा—टाउन एरिया राबर्ट्सगंज द्वारा बयाई की वसूली की वैधता के संबंध में कानूनी राय ली गई जिसके अनुसार यह टैक्स वैध है। गांव सभाओं द्वारा इस टैक्स के लिये जाने की वैधता के संबंध में कोई सलाह नहीं ली गई है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी गांव सभाओं द्वारा बयाई टैक्स लिये जाने के संबंध में वैधता के लिये कानूनी राय लेना पसन्द करेंगे और यदि मालूम हो कि यह अवैध है तो क्या ऐसा बयाई टैक्स लिये जाने से वह मना भी करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—अभी तक ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि इस बारे में कोई सलाह ली जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी के पास संबंधित स्थानों से इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि यह जो बयाई टैक्स लिया जाता है इससे जनता के ऊपर बड़ा बोझ पड़ रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, बहुत बोझ पड़ रहा है, ऐसा महसूस नहीं किया गया।

हाटा न्याय पंचायत के विरुद्ध शिकायत

*४६—**श्री केशव पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर अतिरिक्त जिलाधीश के यहां गोरखपुर के बांसगांव तहसील में हाटा न्याय पंचायत की कई शिकायतें गोरखपुर के कई गण्यमान्य लोगों ने लिखित दी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—केवल एक शिकायती दरख्वास्त अतिरिक्त जिलाधीश को प्राप्त हुई थी।

*४७—**श्री केशव पाण्डेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन दरख्वास्तों की जांच किस अफसर ने की है और उसकी अब क्या स्थिति है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उस दरख्वास्त की जांच कानूनगो के जरिये मौके पर कराई गई तथा तदनुसार परगनाधीश बांसगांव ने सरपंच, न्याय पंचायत हाटा और सभापति, ग्राम सभा सुकरौली को अपने पद से निलम्बित कर दिया और अब उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

*४८—**श्री केशव पाण्डेय**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस न्याय पंचायत (हाटा) के विरुद्ध विगत वर्ष भर से अनेक उदाहरण सहित शिकायती दरख्वास्तें संचालक पंचायतराज को दी गई हैं फिर भी कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक दरख्वास्त मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, गोरखपुर ने दिनांक ३० सितम्बर, १९५९ को संचालक, पंचायत राज को दी। सरपंच निलम्बित किये जा चुके हैं और उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

*४९—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

रुदौली में ग्राम सभा कर की वसूली

*५०—**श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के रुदौली ब्लाक में ग्राम सभाओं द्वारा लगने वाला टैक्स ६ वर्षों से अधिक का बाकी पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--बाराबंकी जिले के रुदौली ब्लाक में ग्राम सभाओं द्वारा पिछले ६ वर्षों में जो टैक्स लगाये गये हैं उसमें से आधे से अधिक भाग की या तो वसूली हो चुकी है या माफ कर दिया गया है। केवल ४७ प्रतिशत की वसूली शेष है जिसकी वसूली के लिये ग्राम पंचायतों व पंचायत अधिकारियों द्वारा भरसक प्रयत्न जारी है।

सांडी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

*५१--**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)--सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या नगरपालिका सांडी (हरदोई) के अध्यक्ष के विरुद्ध राज्य सरकार तथा जिलाधीश के पास इस प्रकार की लिखित शिकायत भेजी गई हैं कि उन्होंने रुपयों का गबन किया, जाति-वाद बर्ता तथा बरखास्तशुदा कर्मचारियों को नौकर रखा है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गई? अगर जांच की गई, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सरकार को सांडी के श्री अखिलेश्वर प्रसाद अग्निहोत्री की ९ अक्तूबर, १९५९ को एक छपी हुई पर्ची (leaflet) जिसमें अध्यक्ष, नगरपालिका सांडी के विरुद्ध आरोप थे, प्राप्त हुई थी। इन आरोपों की जांच की जा रही है।

समाज कल्याण कार्यों के लिये गोरखपुर जिले को अनुदान

*५२--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले को वित्तीय वर्ष १९५४-५५ से १९५८-५९ तक समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि दी गई और वह कहां-कहां खर्च की गई?

*५३--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फरेंदा तहसील में उपर्युक्त विभाग द्वारा कहां-कहां क्या काम हो रहे हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

एटा नगरपालिका के अध्यक्ष व सदस्यों के विरुद्ध आरोप

*५४--**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मास अक्तूबर, १९५९ से दिसम्बर, १९५९ तक म्युनिसिपल बोर्ड एटा से कितने कर्मचारी निकाले गये हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस संबंध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*५५--**श्री गंगाप्रसाद वर्मा**--स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें १ जनवरी सन् १९५९ से दिसम्बर, १९५९ तक ऐसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें म्युनिसिपल बोर्ड एटा के मेम्बरों व चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। इन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर व वाराणसी कमिश्नरियों में महिला मंगल योजनान्तर्गत कार्य

*५६--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर व वाराणसी कमिश्नरी में जिलावार महिला मंगल योजना के अन्तर्गत कितनी महिला कर्मचारी ३१-१२-५९ को थीं?

*५७---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त महिला कर्मचारियों में कितनी महिलायें पिछड़ी जातियों की थीं ?

*५८---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५९ के अंत तक जिला बस्ती, गोरखपुर व देवरिया में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत क्या क्या कार्य हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिकाओं व महानगरपालिकाओं के आफिस सुपरिंटेण्डेण्ट

*५९---**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश की किन किन महानगरपालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में आफिस सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्य करने वाले कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे सरकारी विभागों से डेपुटेशन पर लिये गये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सूचना एकत्र की जा रही है ।

*६०---**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि उक्त डेपुटेशन में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सूचना प्राप्त होने पर जांच की जावेगी ।

*६१---**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर इस सूचना के साथ रखेंगे कि उनमें से प्रत्येक कितने दिनों से किस सरकारी विभाग से डेपुटेशन पर लिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सूचना एकत्र की जा रही है ।

खीरी नगरपालिका के योग्यता प्रतिबन्ध मुक्त कर्मचारी

*६२---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी की नगरपालिकाओं में कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनको सरकार ने क्वालीफिकेशन से एक्जेम्ट कर दिया है और किस आधार पर कर दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---खीरी जिले की कुल नगरपालिकाओं में केवल २ अधिकारीगणों को सरकार ने क्वालीफिकेशन से एक्जेम्ट कर दिया है । यह लोग बोर्ड के पुराने कर्मचारी थे इस कारण इन्हें योग्यता के प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया गया ।

प्रश्नों के गलत उत्तर मिलने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि जिन प्रश्नों का हमें उत्तर गलत मिलता है उनके लिये हम क्या कार्यवाही करें तो आप ने कहा था कि लिख कर भेज दिया करें । मैंने अपने एक प्रश्न के सम्बन्ध मे १५ दिन पहले एक पत्र भेजा था, उसका स्मृति-पत्र भी भेजा है । एक प्रश्न उठा था जिसमें माननीय सिंचाई मंत्री जी ने गलत उत्तर दिया था, मैं उस विषय में विशेषाधिकार का प्रश्न भी लाया था जिसकी आपने आज्ञा नहीं दी थी । मैं अब जानना चाहता था कि किसके खिलाफ कार्यवाही करूं और मियाद तो नहीं निकलेगी ?

श्री अध्यक्ष---मैंने सिंचाई मंत्री जी से मालूम किया है । वह अब लेटेस्ट सूचना देंगे उसके आने के बाद मैं आपको मौका दूंगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा---अगर विशेषाधिकार का सवाल अपनी तरफ से....

श्री अध्यक्ष---मैं "अगर" पर फैसला नहीं देता हूं, मैं हाईपाथिटिकल प्रश्न पर फैसला नहीं देता ।

ओयलपुर ग्राम में ५ मजदूरों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के अन्तर्गत श्री रूमसिंह का एक प्रश्न मैंने स्वीकार किया है जो इस प्रकार है कि: "वाराणसी से १० मील दूर ओयलपुर नामक एक गांव में गत शनिवार को कुयें की सफाई करते हुए ५ मजदूर दफन हो गये। अधिकारियों की ओर से उनको निकालने का प्रयत्न बहुत देर बाद प्रारम्भ हुआ जब कि उनके प्राण पखेरू उड़ चुके थे। बड़ी देर के बाद एक दमकल आया भी परन्तु उस ने मजदूरों को निकालने का समुचित प्रबन्ध नहीं किया केवल इस डरसे कि दमकल को कहीं हानि न पहुंच जाय। पांच व्यक्तियों के जीवन से अधिक कीमत दमकल को अधिकारियों ने समझी। फलस्वरूप उन लोगों को न बचाया जा सका। इस लापरवाही व अव्यवस्था तथा जनजीवन के साथ खिलवाड़ के कारण जिले व आसपास की जनता में भीषण असंतोष व्याप्त है और परिस्थिति गम्भीर है।

अतः मैं नियम ५२ के अन्तर्गत इस संबंध में जनहित के प्रश्न पर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं कि स्थिति क्या है।"

स्वायत्तशासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---जो सूचना मेरे पास प्राप्त है....

श्री अध्यक्ष---अगर अभी आपको और सूचना प्राप्त करना है तो आप समय ले लीजिये और परसों तक आप उसे मंगा लीजिये क्योंकि अधूरी सूचना से स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। वह अब परसों होगा।

श्री नन्दराम द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय में जानकारी की मांग

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---श्रीमन्, मैंने भी एक प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत दिया था जिस में मैंने ध्यान दिलाया था कि प्रतापगढ़ में १०० किसानों की जमीन ....

श्री अध्यक्ष---मैं तो रोज ही यह बात बताता हूं कि नियम ५२ में केवल एक ही विषय लिया जाता है। मैं श्री राजनारायण जी से कहूंगा कि वह कम से कम अपनी पार्टी के लोगों को नियम तो बता दें।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ९---लेखा शीर्षक १३---अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९-अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय-लेखा शीर्षक १३-अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत ८,२७,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९––अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय––लेखा शीर्षक १३––अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत ८,२७,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९––लेखा शीर्षक: ३६––वैज्ञानिक विभाग और ३७––शिक्षा तथा ५७––प्रकीर्ण

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप––लेखा शीर्षक:३६––वैज्ञानिक विभाग और ३७––शिक्षा तथा ५७––प्रकीर्ण के अन्तर्गत २०,०८,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप––लेखा शीर्षक ३६––वैज्ञानिक विभाग और ३७––शिक्षा तथा ५७––प्रकीर्ण के अन्तर्गत २०,०८,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९––लेखा शीर्षक: ५४-क––प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४-ख––भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९––प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा शासकों के संबंधियों और सेवकगणों के भत्ते––लेखा शीर्षक ५४–क––प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४–ख––भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते के अन्तर्गत १९,६४,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९––प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा शासकों के संबंधियों और सेवकगणों के भत्ते––लेखा शीर्षक: ५४-क––प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४-ख––भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते के अन्तर्गत १९,६४,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष––अब मैं समझता हूं कि नम्बर ४ और ५ को एक साथ ले लिया जाय और ६ को अलग से ले लिया जाय। मैं समझता हूं कि दिन का भी बटवारा हो जाना चाहिये। नं० ४ और ५ आज हो जांय और नं० ६, २६ तारीख को हो जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)––समय का बंटन भी कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष––वह तो यह है कि जो कटौती के प्रस्तावक हैं उनको २० मिनट और बाकी लोगों के लिये १० मिनट। फिर कटौती के प्रस्तावक को जवाब देने के लिये १० मिनट। इस तरह से प्रस्तावक को ३० मिनट हो जाते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---विषय के अनुसार भी समय का बंटन होना चाहिये। मान लीजिये किसी विषय पर दो घंटे का समय है तो उसमें तो १० मिनट ठीक है। लेकिन किसी विषय में हमारे पास डेढ़ दिन या पूरा एक दिन है तो उसको भी ध्यान में रखा जाय, जैसे सामान्य प्रशासन तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है....

श्री अध्यक्ष---बोलने वाले भी तो बहुत हैं। मैं समझता हूं कि १० मिनट ठीक है। लेकिन कोई वक्ता जो असंगत नहीं कहते और काफी महत्व की बातें कहते हैं तो उन्हें मैं ५ मिनट बढ़ा देता हूं।

अनुदान संख्या १३---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १४---लेखा शीर्षक २५---आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन का व्यय

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३---सामान्य प्रशासन के कारण व्यय-लेखा शीर्षक: २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,४६,६०,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४---आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन का व्यय---लेखा शीर्षक: २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,१२,८७,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिय स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। लेकिन ये कोई विकास के विभाग तो हैं नहीं जिनमें कोई नई-नई स्कीमें हों, इसलिये मेरा विचार है कि शुरू में कोई खास बात न कहूं। जो कुछ माननीय सदस्य विचार प्रकट करेंगे उन पर बाद में कहूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३---सामान्य प्रशासन के कारण व्यय-लेखा शीर्षक: २५ के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

सीमान्त क्षेत्रों के प्रशासन एवं विभागीय सामान्य नीति की चर्चा।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४---आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन का व्यय---लेखा शीर्षक: २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

आयुक्तों और जिला अधिकारियों के सीमान्त क्षेत्रों के दौरे व सामान्य नीति की चर्चा।

श्री अध्यक्ष---आप यह क्या कह रहे हैं? एक रुपया रहने दें या एक रुपया कम कर दिया जाय?

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक रुपये की कटौती की जाय कुल अनुदान में। टोकेन कट इसमें गलत छपा है। मैंने सही कर दिया है। इसमें तो सारे अनुदान को घटा कर एक रुपया कर देना लिखा है।

अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा
अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक २५—आयुक्तों (कमिश्नरों)
और जिला प्रशासन का व्यय

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं इस महत्वपूर्ण अनुदान के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं, जो बजटेरी गलतियां मुझे इस अनुदान में दिखाई देती हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि इसमें राज्यपाल महोदय के खर्चे के हेतु कुछ चार्ज्ड एक्सपेंडीचर दिखाया गया है। विधान में जब हम देखते हैं तो संविधान के अनुच्छेद २०२ के अनुसार राज्यपाल महोदय के "emoluments, allowances or other expenses relating to his office . . . . "इत्यादि खर्चे ही चार्ज्ड एक्सपेंडीचर माने जा सकते हैं। लेकिन मैं यह देखता हूं कि पिछले कई वर्षों से कुछ ऐसे आइटम्स चार्ज्ड माने गये हैं जो चार्ज्ड नहीं होने चाहिये। जैसे इस बजट में करटेन्स को बदलने के लिये या फर्निशिंग के लिये जो आइटम्स हैं उनको चार्ज्ड माना गया है, जब कि वह वोटेड होने चाहिये। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक लेखा समिति ने जो सिपारिश की है उस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और महालेखापाल ने एक पत्र भी फाइनेंस विभाग को लिखा था कि राज्यपाल महोदय का जो खर्चा है वह सारा का सारा चार्ज्ड नहीं माना जाना चाहिये। जो अब तक प्रवृत्ति चली आ रही है इसका विश्लेषण होना चाहिये कि कौन खर्चे चार्ज्ड हैं और कौन वोटेड हैं ताकि सदन को मौका मिल सके कि वह उन अनुदानों पर बहस कर सके। आप जानते हैं कि चार्ज्ड जो खर्चे होते हैं उनमें कोई कटौती हम नहीं कर सकते, लेकिन वोटेड में कर सकते हैं। इसी प्रकार श्रीमन्, एक आइटम है जो आपके पद से सम्बन्धित है, व्यक्ति विशेष से नहीं, वह है स्पीकर के लिये एक कार का खर्चा। संविधान में एलाउन्स तथा सेलेरी के बारे में प्राविजन है कि चार्ज्ड होगा लेकिन कार के बारे में नहीं है। लेकिन वर्तमान बजट में स्पीकर महोदय के लिये कार के खर्चे को चार्ज्ड दिखाया गया है जब कि वह वोटेड होना चाहिये। मुझे कार के बारे में कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ विधान की मर्यादा का पालन होना चाहिये और फाइनेंस विभाग और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन विभाग को सही डिस्क्रीशन इस्तेमाल करना चाहिये कि कौन सी आइटम वोटेड हों और कौन सी चार्ज्ड हों।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतना अवश्य किया है कि पिछले साल जो सूचना विभाग इस मद में शामिल थी उसे अलग कर दिया है। लेकिन मैं देखता हूं कि बोर्ड आफ रेवेन्यू और लोकल फंड आडिट विभाग जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज में हैं। बोर्ड आफ रेवेन्यू के कार्य को देखते हुए वह जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का अंग नहीं होना चाहिये उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखे और लोकल फंड आडिट विभाग फाइनेंस विभाग के अधीन है और उसको वहीं होना चाहिये। वैसे तो अब तक यह तरीका रहा है कि जितने बहुधंधी विभाग हैं वे मुख्य मंत्री के पास रहते हैं, लेकिन यह दोनों विभाग बहुधंधी नहीं हैं इसलिये इनको सम्बन्धित विभागों के अधीन कर दिया जाना चाहिये।

अब मैं बोर्ड आफ रेवेन्यू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज बोर्ड आफ रेवेन्यू को लैंड रिफार्म्स कमिश्नर के भी अधिकार हैं, टैक्सेशन के भी अधिकार हैं। मैं समझता हूं कि बोर्ड आफ रेवेन्यू से लैंड रिफार्मस् कमिश्नर, भूमि सुधार के काम अलग कर दिये जाने चाहिये। इसी प्रकार जो टैक्सेशन सम्बन्धी मामले बोर्ड आफ रेवेन्यू को दे दिये गये हैं उनसे ट्रिप्लीकेशन आफ वर्क हो गया है। मिसाल के लिये सेल्स टैक्स कमिश्नर, उनके ऊपर बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर (टैक्सेशन) और फिर फाइनेंस विभाग। एक आदेश निकलने में तीन जगह जाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि तीन बार जो आदेश को बनाने की पद्धति है इसको अवश्य बदलना चाहिये।

इसके साथ-साथ जहां सेक्रेटेरियट का सवाल है, यह बात सही है कि इसको सुधारने की कुछ कोशिश पिछले सालों में की गई और श्री के० के० दास, रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर भी रहे। उन्होंने कलेक्टरेट का और ट्रेजरी का रिआर्गेनाइजेशन किया। लेकिन अभी तक जो आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये सारी पद्धति में, वह नहीं हुआ। मैं नहीं जानता माननीय मुख्य मंत्री जी को कौन-सी बातें इन सब बातों के करने से रोक रही हैं। एक अखिल भारतीय ढांचा अवश्य है, लेकिन आज आवश्यकता है, कि इस ढांचे को बदला जाय।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आज क्या है? आई० ए० एस० के लोग हैं, सही हैं, उनमें बहुत से काबिल लोग हैं और उनकी प्रसंशा यूनाइटेड नेशन्स ने भी की है, लेकिन एक बड़ा भारी प्रश्न है। तमाम रैंक्स में दूसरे ग्रेड्स के लोग हैं, उनको इस बात का मौका नहीं है कि वे मेरिट्स के आधार पर आई० ए० एस० केडर में जायं। जो टेक्निकल केडर का है वह आई० ए० एस० नहीं हो सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि आई० ए० एस० का दरवाजा हर सर्विस के लिये खुलना चाहिये और उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करनी चाहिये कि एक तिहाई लोग आई० ए० एस० केडर में विभागीय केडर से लिये जाने चाहिये। एक बार प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि एक ग्राम सेवक को कम्युनिटी ऐडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिये, उसे इस प्रकार का मौका मिलना चाहिये। उसी प्रकार एक नायब तहसीलदार और एक क्लर्क भी पूरे राज्य का चीफ सेक्रेटरी हो सकता है। इंगलैंड में इसी प्रकार की व्यवस्था है, सारे कांटिनेंट में इसी प्रकार की व्यवस्था है।

इंडियन डेवलपमेंट सर्विस, एकोनामिक सिविल सर्विस के बनाये जाने के बहुत सुझाव हैं। डेवलपमेंट सर्विस या एकोनामिक सर्विस में भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का ही जोर है। इस बात की आवश्यकता है कि एकोनामिक सिविल सर्विस, इंडियन डेवलपमेंट सर्विस या प्राविन्शियल एकोनामिक सर्विस और प्राविन्शियल डेवलपमेंट सर्विस को एक नये दृष्टिकोण से बनाया जाय।

एक सेक्रेटरी कई विभागों को अपने हाथ में रखे हुए है जिससे वह सही-सही उस काम को नहीं देख पाते और इसलिये विभागों का और सेक्रेटरीज का कोई तारतम्य होना चाहिय। सेक्रेटरी का केवल दस्तखत करने का काम नहीं होना चाहिये। अगर अच्छे से अच्छे आदमी को ओवरलोड कर दिया जायगा तो सही मानी में वह काम को नहीं चला सकता। इस पर अवश्य विचार होना चाहिये।

अब कमिश्नर्स की संख्या इस बजट में १९ से २० होने जा रही है। कुछ साल पहले ३ कमिश्नर इस प्रदेश में रखे गये थे और आज २० हो गये हैं। मैंने दो साल पूर्व कहा था कि कमिश्नर्स की कुछ संख्या प्लानिंग के कामों को देखते हुए बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि अब और ज्यादा किसी हालत में कमिश्नर्स की संख्या नहीं बढ़नी चाहिये। यह भी सही है कि कलेक्टर रैंक के जो लोग हैं उनको प्रोमोशन का एवेन्यू खुलना चाहिये, लेकिन बहुत ज्यादा कमिश्नर्स का होना टाप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। आप देखें कि कमिश्नर का मुख्य काम प्लानिंग का निरीक्षण करना है। मैं तो यही देख रहा हूं कि आज जितना इवेल्यूएशन का काम हो रहा है, जितना निरीक्षण का काम हो रहा है उतना एक्चुअल वर्क नहीं हो रहा है। लिहाजा इवेलुएशन का काम, निरीक्षण का काम करने वालों की संख्या कम होनी चाहिये। इस दृष्टिकोण से आप कमिश्नरों की तादाद कम करें या असिस्टेंट डेवलमेंट कमिनर्स की तादाद कम करें।

जिला प्रशासन में विकेन्द्रीकरण की बात कही जाती है। अब के बजट भाषण में कहा गया था कि हम ब्लाक लेविल पर बहुत बड़ा अधिकार देने जा रहे हैं। एक तरफ विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत की बात है और दूसरी तरफ कलक्टर का पद। कोई भी देश संसार में ऐसा नहीं है जहां इतनी बड़ी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित हो। खुद कलक्टर कहते हैं कि हमारे बस का काम नहीं रह गया है कि हम इतना काम नियंत्रित कर सकें। इस प्रजातांत्रिक विकन्द्रीकरण क सिद्धांत की पृष्ठभूमि में कलक्टर जो है इसके पद का केंन्द्रीकरण, जो जिले में हो गया है, इसके बदले जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि यह भी एक अखिल भारतीय प्रश्न है, लेकिन हमें इस बात की शुरुआत करनी चाहिय कि कलेक्टर के पुरान पद को हटाकर नय तरीक से इसको संगठित किया जाय। हम यह कर सकत हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट आफिसर एक साहब हों और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव अफसर दूसरे साहब हों जिनका सम्बन्ध जिला

परिषद् से हो। तो इस तरह की क्या प्रणाली हो इसके सम्बन्ध में विचार होना चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि यहां आर्गेनाइजेशनल मेथड्स से डिवीजन का और काम बढ़ना चाहिये, एफिशियेन्सी आडिट होना चाहिये। आज यह देखना चाहिये कि कितनी फाइलों के पीछे एक क्लर्क है। जिस प्रकार यह देखा जाना आवश्यक है कि कितने विद्यार्थियों पर एक अध्यापक हो, कितने मरीजों पर एक डाक्टर हो, उसी प्रकार यह भी देखने की आवश्यकता है कि कितनी फाइलों के पीछे एक क्लर्क हो। मेरे पास द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट है, इसमें मेथड्स विजिलेन्स डिवीजन का संगठन होम मिनिस्ट्री ने किया है। तो जिस प्रकार सेन्टर में विजिलेन्स डिवीजन स्थापित किया गया है उसी प्रकार राज्यों में भी उसको संगठित करने की आवश्यकता है जो इस प्रकार के काम को देखे और करप्शन के मामलों को भी रोक सके। भ्रष्टाचार का मसला एक ऐसा मसला है जो हम सब को तकलीफ देने वाला है। जहां यह बात सही है कि अनर्गल रूप से बहुत से आरोप लगाये जाते हैं वहां यह भी सही है कि बहुत सी भ्रष्टाचार की बातें जो सही होती हैं उनकी जांच नहीं हो पाती। मैं ए० डी० गोरवाला साहब की रिपोर्ट देख रहा था। उसमें प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट आफ इंडिया की सिफारिश के आधार पर कहा गया है—

"It seems fairly clear that if the public are to have confidence that moral standards do prevail in high places, arrangements must be made that no one, however highly placed, is immune from enquiry if allegations against him are made by responsible parties and a *prima facie* case exists."

तो नीचे से ले कर ऊंचे पदों पर काम करने वालों के खिलाफ भी इन्क्वायरी का प्राविजन होना चाहिये। उसी रिपोर्ट में आगे कहा है—

"The best form of machinery would be a tribunal to enquire, that is, a tribunal the purpose of which is not to punish but to find out and establish facts."

तो गोरवाला साहब ने कहा कि एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिये जिसमें उच्च से उच्च अधिकारी की जांच हो सके। यह एक ऐसा मसला है जिस पर आज देश भर में चर्चा चल रही है। इस प्रश्न पर मुख्य मंत्री जी का अपना अलग विचार होगा, माननीय सदस्यों का भी कुछ न कुछ विचार होगा, और सरकार का क्या विचार है, यह मैं नहीं जानता; लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मान लीजिये मेरे विरुद्ध कोई आरोप है और उसकी जांच किसी मेरे कोलीग को सौंपी जाय तो कैसे कोई सही जांच कर सकता है? इसलिये यह आवश्यक है कि कोई ट्रिब्युनल हो जो उनको अनर्गल आरोपों से मुक्त कर सके और मैं यह भी कहूंगा कि जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनको मौका मिलना चाहिये कि अगर उनके खिलाफ कोई आरोप हो तो वह कोर्ट में जा सकें और अगर कोर्ट में अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा झूठा साबित होता है तो उस अधिकारी को पैसा मिलना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि किसी के आनर पर कोई खाली, जो जी चाहे छींटाकशी कर दे। तो जहां यह अपेक्षा की जाती है कि हम आरोप सोच-समझ कर लगायें वहां यह भी अपेक्षा की जाती है कि सोच-समझ कर लगाये गये आरोपों की जांच होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में योरोप में एक नयी प्रणाली चली है। मैंने देखा कि वहां स्वीडेन, डेनमार्क और वेस्ट जर्मनी में अम्बुत्समान की नियुक्ति होती है। यह एक ऐसा अफसर होता है जिसको पार्लियामेंट नियुक्त करती है। इनके जिम्मे इसी प्रकार का काम होता है। तो अगर हम ट्रिब्यूनल न बना सकें तो मेरी यह सिफारिश होगी कि इस असेम्बली द्वारा एक अफसर नियुक्त हो जिसके पास सब की रिपोर्टस जा सकें, जिनकी जांच कर के वह सिफारिश करे कि उन पर मुकदमा चलाया जाय। तो कोई न कोई तरीका अवश्य निकालना चाहिये इस सारी व्यवस्था की जांच के लिये।

आगे चल कर इसमें एग्जीक्यूटिव और जुडीशरी को अलग करने के लिये कहा है कि करीब ३४ जिलों में प्राविधान करने का विचार है। बड़ी खुशी की बात है, मैंने बजट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

भाषण पर बोलते हुए भी इसका स्वागत किया था। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जुडिशरी और एग्जीक्युटिव को अलग किया जाना एक अधकचरी बात रह जाय, क्योंकि इसमें ए० डी० एम० जुडिशल को १०० रुपये की स्पेशल पे दे कर अलग किया जा रहा है और मैं चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी भी चाहते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कन्ट्रोल से जुडिशल आफिसर्स को अलग किया जाय, और जैसी ला कमीशन ने सिफारिश की है, जुडिशल आफिसर्स बिलकुल अलग होने चाहिये और हाई कोर्ट के मातहत होने चाहिये या सिविल ऐन्ड सेशन्स जज के मातहत हों। इस सिलसिले में मेरा यह सुझाव है।

आगे चल कर इसमें १०० रुपये का एक लम्प-सम प्राविजन किया गया है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के भत्ते के लिये। यहां पर एक दूसरी बजटरी गलती है। इस में लिखा हुआ है कि ११ लाख रुपया इस साल खर्च होगा, लेकिन मांगे गये हैं १०० रुपये। जब एक रकम का एस्टीमेट हो गया है तो क्यों नहीं ११ लाख रुपये मांगे गये ? एस्टीमेट हो जाने के बाद टोटल प्राविजन न मांगना यह वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं है। मैं तो यह प्रस्ताव रखता हूं कि इसको बढ़ा कर ११ लाख कर दिया जाय, लेकिन वह सम्भव नहीं है।

सेक्रेटेरियट में एक स्टाफ काउन्सिल बनायी गयी है, व्हिटले काउन्सिल के माडल पर। मैं इसका स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि इस प्रकार की स्टाफ काउन्सिलें हर डिपार्टमेंट में बनायी जायें। सेक्रेटरियट की स्टाफ काउन्सिल को वही शक्तियां मिलनी चाहिये जिनको सेन्ट्रल पे कमीशन ने अपनी सिफारिश में लिखा है और विधान की धारा ३०९ के अनुसार सिविल सर्विस लेजिस्लेशन के बारे में गोरवाला साहब ने भी कहा है बनना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी लीगल रेमेम्ब्रेन्सर को इस सम्बन्ध में आदेश दें। इतने नियम हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एक ऐसा अधिकारी नहीं है जिसको मोटे तौर से सारे नियम मालूम हों। नियम एक जगह छपे हुए भी नहीं मिलते। इसलिये आवश्यकता है कि एक कांप्रीहेंसिव सिविल सर्विस लेजिस्लेशन अनुच्छेद ३०९ के अनुसार बने।

एक सर्विसेज या एमालूमेंट्स कमेटी बने। जिस प्रकार पुलिस कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस में पुलिस कर्मचारियों के एमालूमेंट्स के लिये रखा है उसी प्रकार प्रदेश भर के लिये व्यवस्था हो क्योंकि १९४७ में माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में जो पे कमेटी बनी थी उसने लिखा है—

"from each according to his capacity to each according to his need."

आज जब कि हमने समाजवादी सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है—अगर अब कोई पे कमेटी बनी तो वित्त मंत्री उसके चेयरमैन होंगे और जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है उस पर भी वह विचार कर सकते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि इस प्रकार की एक पे कमेटी सर्विसेज के लिये बनायी जाय।

साथ ही साथ बार्डर एरियाज के लिये १०० रुपये का टोकेन प्राविजन किया गया है। इस तरह की कोई बात थी कि तीन नये जिले बनाये जायेंगे। मैं इन तीन जिलों के बनाये जाने के सिद्धांत को स्वीकार करता हूं, लेकिन खाली इन तीन जिलों के बनाने से काम नहीं चलेगा; सारे को बार्डर एरिया मानकर डेवलप करना पड़ेगा तब जा कर यह समस्या हल होगी।

साथ ही साथ प्रत्येक जिले में कई तहसीलें बन गयी हैं, कुछ जिले गलत बन गये हैं। इसलिये एक बाउन्डरी कमीशन बनना चाहिये जो हर जिले और तहसील की बाउन्डरीज को देखें और बाउन्डरीज को नये ढंग से बनाया जाय, जहां-जहां आवश्यकता हो।

यहां पर जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, मुझे खेद है कि उसका जितना उपयोग किया जा सकता है उतना नहीं किया गया है। मेरे पास आंकड़े हैं। १९५७ तक केवल

५३ केसेज इसको दिये गये जब कि यह १९४७ में बना था। १९५७ में केवल दो केसेज दिये गये। इसका अधिक उपयोग होना चाहिये ताकि वह सही प्रकार से सेवा कर सके।

अन्त में मैं फिर सरकार से और इस सदन के सभी सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस बात को देखते हुए कि हमारे देश और प्रदेश का सामान्य प्रशासन हमारी शासन-पद्धति की रीढ़ की हड्डी है, इस शासन को सही माने में परिवर्तित और परिवर्द्धित करने में, समाजवादी देश का सही साधन बनाने में, हम सभी चेष्टा करें और यही सरकार से हमारी मुख्य मांग होगी क्योंकि वही आज इसकी मुख्य साधक है।

श्री ब्रजगोपाल सक्सेना (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य प्रशासन की मांग के अनुमोदन में खड़ा हुआ हूं। मुझको अपने पूर्व वक्ता से यही आशा थी कि वे इस बात को महसूस करते हुए कि सामान्य प्रशासन रीढ़ की हड्डी के तुल्य है इसका समर्थन करेंगे, तो जैसी पार्टी की पाबन्दी होती है वह खुले शब्दों में नहीं कह सके कि वह इसका समर्थन करते हैं और इस मांग को स्वीकार किया जाय, लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने इसको स्वीकार किया। यह मानी हुई बात है कि रीढ़ की हड्डी की शरीर में वही स्थिति होती है कि यदि उसमें कोई भी कमजोरी आ जाय, कोई भी रोग उसे छू जाय और उसे बढ़ने दिया जाय तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। यह मैं कुछ मेडिकल एथारिटीज की राय के आधार पर कह रहा हूं जिनसे कि मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है। यदि सामान्य प्रशासन, जो रीढ़ की हड्डी है, इसको कमजोर होने दिया गया और उसकी कमजोरी को बढ़ने दिया गया तो यह निश्चय है कि प्रशासन ढह जायगा। हमको बड़ी खुशी है कि इधर वाले हों या उधर वाले हों, हम सभी जिस भाव को लेकर बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं उसमें हम यह महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन की यह रीढ़ की हड्डी मजबूत रहनी चाहिये। भावना यदि प्रबल होती है तो सफलता अवश्य मिलती है। मैं आशा करता हूं कि विरोधी दल के उप नेता ने जो भाषण दिया है उसका अनुकरण सभी पार्टियों वाले करेंगे जिनके ऊपर कि नैतिक जिम्मेदारी और पाबन्दी है और प्रशासन चलाने में वह सरकार को सहयोग करेंगे।

हमारे पूर्व वक्ता ने कुछ सजेशन्स आपके सामने रखे हैं। किसी प्रदेश की स्थिति ही इस बात की द्योतक होती है कि कोई तब्दीली या परिवर्तन किसी प्रदेश में किया जाना चाहिये या नहीं। आपने यूरोप की बहुत-सी बातों का जिक्र किया। वह एक बढ़ा हुआ और उन्नतिशील मुल्क है। उसकी जनता बड़ी शिक्षित है, वह अपनी जिम्मेदारियां समझती है, अपने अधिकार समझती है। हमें थोड़ा-सा खेद है कि हमारे प्रदेश में अधिकारों की मांग तो अधिक है, लेकिन जिम्मेदारियों की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है और हम यह भी महसूस करते हैं कि हम इस बात की कोशिश करते हैं कि ध्यान कम जाने पावे। यह बड़ी ही गलत-सी चीज है हमारे मुल्क के लिये। इसीलिये हमें अपने प्रदेश को अपने प्रदेश के ही वातावरण से जांचना पड़ेगा कि कौन-सा सुधार हमारे यहां होना चाहिये और कौन-सा नहीं होना चाहिये। मसलन मैं यह अर्ज करूंगा कि पहली आपत्ति हमारे पूर्व वक्ता ने यह की कि स्पीकर की कार के लिये एलावेंस नहीं होना चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि वैधानिक आपत्ति इसमें कितनी है और इसको कैसे माना जा सकता है, यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इतना विद्वान नहीं हूं इस मसले में, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि स्पीकर को कार का एलावेंस होना बहुत आवश्यक है। स्पीकर की पोजीशन जो हमारी विधान सभा में है उसमें हम उसको कार का एलावेंस न दें और मंत्री के लिये वह रखें यह हमारी समझ में नहीं आता।

इसके अलावा बहुत से सजेशन्स तिवारी जी ने दिये। मैंने उनको दो खंडों में विभाजित किया है और वह मुझे परस्पर विरोधी मालूम हुए। मसलन असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर और कमिश्नर, यह बहुत से ओहदे उन्होंने बताये कि हमने कायम कर रखे हैं। मतलब इसका यह कि उनको तोड़ देना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--एक रहे । मैंने यह कहा कि आज बहुत ज्यादा मूल्यांकन हो रहा है। मूल्यांकन करने वाले बहुत से अधिकारी हैं, तो मूल्यांकन करने वालों में कमी हो चाहे वह किसी भी रैंक के हों।

श्री ब्रजगोपाल सक्सेना--जी हां, मैं समझा आपकी बात। आपका कहना है कि एक इंसपेक्शन स्टाफ-सा बन गया है जो कि रिपोर्ट देता रहता है और नतीजा उसका यह होता है कि काम देर में होता है। इसके बरअक्स आपने यह बात कही कि एक एक सेक्रेटरी के पास कई कई विभाग दे दिये गये हैं। तो आप यह महसूस करते हैं कि काम का बोझा बढ़ा हुआ है आफिसर्स के ऊपर । इसलिये यदि उस काम के डिस्ट्रिब्यूशन के लिये एक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर, डिप्टी डेवलेपमेंट कमिश्नर और डेवलेपमेंट कमिश्नर हैं तो यह गैरमुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी यह जो आपका सुझाव है यदि वह कार्यरूप में परिणत किया जा सकता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मेरा खयाल यह है कि जनता की मांग को देखते हुए यह संभव नहीं मालूम होता है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ओहदा है उसको तोड़ दिया जाय और कुछ लफ्जों में दूसरी चीज यह कही कि एक विजिलेंस अफसर मुकर्रर हो। नाक इधर से पकड़ी जाय या उधर से पकड़ी जाय इसमें कोई अन्तर नहीं होता। जिलाधीश हर एक डिपार्टमेंट का अपने जिले में हेड होता है और हरएक जिले में सरकार का वह नुमायन्दा होता है। तो यह मानी हुई बात है कि सरकार को हर एक जिले में अपना एक नुमायन्दा रखना चाहिये चाहे आप उसका नाम कुछ भी दे दें। वह एक एक्जिक्यूटिव हैड हो या जुडिशियल हेड हो। कुछ भी उस ओहदे का नाम दे दें। तो फिर विजिलेंस अफसर का क्या काम है ? चूंकि कलेक्टर खत्म होने चाहिये उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है और उसमें ब्यूरोक्रेसी की बू रहती है लिहाजा उस नाम को खत्म करना चाहिये, मेरा खयाल है कि यह विशेष माने नहीं रखता है।

आपने करप्शन वाली बात कही कि करप्शन को रोकना चाहिये। इसको बिलकुल रोकना चाहिये इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, किन्तु करप्शन को रोकने के लिये क्या साधन होने चाहिये ? मेरा खयाल है कि उनका ध्यान ऊंचे स्तर पर ज्यादा गया है। उनका खयाल यह है कि शायद यह करप्शन ऊंचे स्तर पर अधिक है और नीचे स्तर पर कम है। वे इसको समझते हैं लेकिन मुमकिन है मेरी समझ के मुताबिक यह गलत हो। आप एक ट्रिब्यूनल चाहते हैं जो ऊंचे अफसरों की या मिनिस्टरों की जांच करे। खैर ट्रिब्यूनल होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, इसमें मेरा ख्याल है कि अधिक विवाद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि आप यह आशा करते हैं कि सब से ऊंचा हैड, जिसको मिनिस्टर कहते हैं, अगर वह बेईमानी कर सकता है तो क्या ट्रिब्यूनल बैकुंठ से मंगाया जायगा जो कि बेइमानी नहीं कर सकता ? कहीं से भी आने वाले हों उनके लिये भी आपको एक लकीर बनानी पड़ेगी और उसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपको एक लाइन बनानी है तो फिर मिनिस्टर तक ही उसको महदूद क्यों न रखें जो कि जनता का नुमायन्दा होता है और उसको जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर यहां भेजती है? जनता के प्रतिनिधि यहां आकर अपना एक लीडर चुनते हैं और वह अपनी मिनिस्ट्री बहुमत से बनाता है। तो उसके लिये यह मानना पड़ेगा कि चाहे वह अच्छा हो या बुरा वह ठीक काम करता है। यदि वह गलती भी करता है तो हमको सोचना चाहिये कि वह अच्छाई की तरफ गलती करता है। उसकी हम डार्क साइड न लें बल्कि ब्राइट साइड लें। इसलिये हमारी मांग है कि हाई पावर ट्रिब्यूनल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सुधार की तरफ चलते जायं। विश्वास हमारा उनके ऊपर होना चाहिये। हमको विश्वास के आधार पर ही चलना पड़ता है। यहां हमारे प्रदेश में, यह बड़ा भारी हमारा सौभाग्य है कि, हमको एक ऐसे मुख्य मंत्री मिले हैं जिनके सुपुर्द यह सामान्य प्रशासन है। हमको न उनकी का बिलियत पर शक है, न हमको उनकी ईमानदारी पर शक है,

न उनके पक्षपात पर शक है और न उनके अनुभव पर शक है। हमको इनके गुणों का फायदा उठाना चाहिये। मेरा ख्याल यह है कि एक देहाती मसल है जो हमारे बुन्देलखंड की तरफ बोली जाती है कि "चलते बैल को आर नहीं लगानी चाहिये" उससे वह बैल चलता नहीं है। तो हमारे मुख्य मंत्री जी मनुष्य हैं और मनुष्य में जितनी खामी होनी चाहिये वह उनमें हो सकती है। अगर चलते हुए बैल के आर लगा दें तो उसके दिमाग में यह बात आ जायेगी कि कदरदान नहीं है और थोड़ी-सी ठेस भी अगर उनको इस बात से लगी तो यह हमारे प्रदेश के लिये दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिये हमको निरन्तर यह प्रयत्न करना चाहिये कि हम उनको बढ़ावा दें और बढ़ावा इस तरीके पर दें कि हम उनके साथ हैं, जैसी गलतियां इंसान में होती हैं वे अगर हैं तो उनको बतावें, उन से समाधान कर लें। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो मेरा ऐसा खयाल है कि हम अपने प्रशासन को, जो हमारी रीढ़ है, मजबूत करेंगे, हमारा प्रशासन सीधा खड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा और सबल रहेगा और कोई भी शक्ति हमको विचलित नहीं कर सकेगी।

सीमान्त की जैसी बातें यहां बतायी गयीं, यह ठीक है कि संगठन की बड़ी भारी आवश्यकता है। तीन जिले बनाये गये हैं। किस ढंग से बनाये जाने चाहिये इस ओर माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो कुछ संकेत किया है वह ठीक है। वह वहां से विशेष रूप से परिचित हैं और ज्यादा बतला सकते हैं और मैं समझता हूं कि उनके सुझावों पर माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान देंगे। लेकिन यह तो मानना होगा हम लोगों को कि हमारे मुख्य मंत्री जी सब से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा अध्ययनशील हैं। उनको हम अपने सुझाव अवश्य दें, लेकिन उनकी राय के सामने हम लोगों को झुकना चाहिये, वह ठीक कहते होंगे यह मान कर। जिस तरह से घर के बड़े-बूढ़े की बात मान कर लड़के चलते हैं अगर हम उस तरह से चलेंगे तो इस घर की उन्नति ही होती जायगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन के संबंध में जो अनुदान मांगने का प्रस्ताव किया है, मैं निश्चित रूप से इस मत का हूं कि सदन को उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिये। श्रीमन्, हमारे मुल्क की आजादी को मिले १३ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और भाषणों में बार-बार, चाहे वह हमारे मुख्य मंत्री जी हों या सरकारी पक्ष के अन्य प्रवक्ता हों, गांधी जी का नाम लेते रहे हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का नाम भी लेते हैं, जनतंत्र का नाम लेते हैं और समाजवाद का नाम भी लेते हैं। ये ऐसे शब्द हो गये हैं कि उनकी एक परिभाषा नहीं हो पा रही है। इसलिये मैं उस वाद के वादविवाद में न जा कर कुछ व्यक्तियों ही को यहां रखूंगा। महात्मा गांधी का नाम लेने का हक आज वर्तमान स्थिति में, सामान्य प्रशासन जिस रूप से चलाया जा रहा है, सरकार को कैसे हो सकता है मैं यह आप के द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं? महात्मा गांधी ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि एक गरीब किसान का बेटा प्रधान मंत्री हो और जवाहर लाल उसके सलाहकार हों। चाहे जवाहर लाल जी का नाम उन्होंने ले लिया हो या सम्पूर्णानन्द जी का, या चाहे कमलापति जी का नाम उन्होंने ले दिया हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं अपने मुख्य मंत्री जी से कि उन्होंने अपने प्रशासन में ऐसी कौन सी व्यवस्था की है कि जिससे एक गरीब किसान का बेटा प्रधान मंत्री के पद पर जा सकता है? चाहे वह चुनाव की प्रणाली हो, प्रशासन द्वारा नियुक्ति की प्रणाली हो या सरकार द्वारा बैठा देने की प्रणाली हो, आज सरकार उसी पुरानी व्यवस्था पर जो अंग्रेजों द्वारा यहां चालू की गयी थी और जिसे अव्यवस्था कहना चाहिये व्यवस्था नहीं, उसी पर जमी हुई है और उसे हमारे सिर पर यह सरकार थोपे हुए है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज यह सरकार, जो सरकारी मंत्री हैं उन की जो इच्छा है, उसको ही न्याय मानती है और जितनी अव्यवस्थायें हैं उन्हीं को व्यवस्था का नाम देती है।

श्रीमन्, समय कम है इसलिये एक एक घटना को ले कर यहां कहने की आवश्यकता नहीं है। मगर मैं, इसीलिये, कुछ प्रश्न के रूप में सरकार से पूछता हूं। आज तक सरकार ने सरकारी

[श्री राज नारायण]

कर्मचारियों के लिये जो नौकरियों का प्रतिशत रखा है, जो हमारे संविधान में रखा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकारों को अपने यहां के हरिजनों के लिये, अपने यहां के पिछड़े हुये जाति वालों के लिये नौकरियों में प्रतिशत तय करने का अधिकार है, उसमें क्या किया है ? राज्य सरकारें इस के लिये कानून ला सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने अपने प्रशासन को शुद्ध करने के लिये और अपने प्रशासन में जो वंचित लोग हैं उनको स्थान देने के लिये कोई ऐसा विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया ? हमारा संविधान लगातार १० सालों से चल रहा है मगर उसमें राज्य सरकारों से जो यह मांग की गयी थी कि सरकारें इस के लिये कानून बनायें, इस सरकार ने उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। हमारे इसी मुल्क में मैसूर, केरल, आंध्र और बम्बई ने इस तरह के कानून बनाये हैं। मैसूर में तो श्रीमन्, यहां तक है कि ५७ फीसदी बैकवर्ड्स के लिये और १८ फीसदी हरिजनों के लिये सरकार ने मान्यता प्रदान की है। केरल में ४० फीसदी बैकवर्ड्स के लिये है। आंध्र, मद्रास और बम्बई में भी इसी तरह की व्यवस्था की गयी है। मगर उत्तर प्रदेश सरकार आज तक इन बैकवर्ड्स के लिये कुछ नहीं कर सकी है। उन के लिये कुछ नहीं हुआ। बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट सरकार के लिये मालूम पड़ता है कि कोई इशारा ही नहीं करती। उसे बन्द कर के रख दिया गया है।

अब श्रीमन्, दूसरी बात यह देखी जाय कि इस सरकार ने मंत्रियों के खर्च के संबंध में हम से मांग की है। मंत्रियों के लिये प्लस १८३ लाख रुपये की गत वर्ष के बनिस्बत अधिक खर्च की मांग की गयी है क्योंकि खर्चा अधिक होगा। क्यों खर्चा अधिक होगा ? क्यों उप-मंत्रियों की संख्या में और सभासचिवों की संख्या में वृद्धि की गयी ? क्या आवश्यकता थी इनको बढ़ाने की ? यह प्रशासन भ्रष्ट होता चला जा रहा है, यह प्रशासन निकम्मा होता चला जा रहा है। इस तरह से सभासचिवों की, उप मंत्रियों की संख्या का बढ़ाना विडम्बना है। इस सब को देखकर हैरत होती है कि सरकारी प्रशासन का खर्च बढ़ता चला जा रहा है और आप कहते हैं यह अच्छी व्यवस्था है। श्रीमन्, एक-एक उप-मंत्री और एक-एक सभासचिव में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय यहां माननीय गोविन्द वल्लभ पंत थे तभी मैंने उनसे निवेदन किया था कि यह तमाम जो कक्षायें खुलती जा रही हैं, प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था हो रही है, तो जो मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, इनके लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था क्यों न हो ? कहीं पर भी, किसी भी गद्दी के लिये, जब यह पता चलता है कि फलां जगह के व्यक्ति को रखना जरूरी है, उप-मंत्री या सभासचिव बना दिया जाता है, तो जब यह मनोवृत्ति काम कर रही हो, ऐसा लगता है कि जनता के पैसे को ठीक तरह से खर्च नहीं किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि किस तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके तमाम उदाहरण हैं। यह डिप्टी मिनिस्टर और सभासचिव बरसाती कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ते जा रहे हैं।

श्रीमन्, अब मैं कुछ न्याय प्रशासन और कार्यकारिणी के संबंध में कहना चाहता हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज, अगर किसी माननीय सदस्य के मस्तिष्क में कोई भ्रम हो तो वह उसे निकाल दे, न्यायकारिणी और कार्यकारिणी में कोई अलगाव नहीं है, कोरी विडम्बना है, एक बिलकुल धोखा है। न्यायकारिणी को और कार्यकारिणी को पृथक-पृथक होना चाहिये। मैं खुद श्रीमन्, भोगी हूं, और इसको अच्छी तरह जानता हूं। मुझे कोई भी साल ऐसा नहीं जाता जब कि इस सरकार की जेलों में जाने का मौका न मिलता हो। जिस तरह से जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स कार्य करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना यह सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने लगेगी, वे सब सरकार के कहने के मुताबिक काम करते हैं। वे सभी यह कहते हैं कि हम जो फैसला कर रहे हैं वह ऊपर के आदेश से कर रहे हैं। तो वे भी अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिये, अपनी बढ़ोत्तरी की सुरक्षा के लिये, इस तरह के फैसले देते हैं और इस प्रकार विरोधियों को दबाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जिस उद्देश्य के लिये हमने आजादी हासिल की, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है ? क्या सर्वोदय

हो रहा है ? क्या हम समझते थे कि हजारों आदमियों के बलिदान के बाद, नामालूम कितने नौजवानों की कुरबानी के बाद, न मालूम महात्मा गांधी की कितनी तपस्या के बाद, जो स्वतंत्रता हम को मिलेगी वह स्वतंत्रता ऐसे लोगों के हाथों में चली जायगी जो उसे अपने घर में ही रख लेंगे।

श्री अध्यक्ष––आप तो सोशलिज्म के ऊपर आ गये हैं। सर्वोदय पर नहीं कह रहे हैं।

श्री राजनारायण––माननीय अध्यक्ष जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। यह ठीक है हम सोशलिज्म की बात कह रहे हैं। मैं यह बताऊं कि समाजवाद है क्या ? हवाट इज सोशलिज्म (What is Socialism)? Socialism is a total sum of human knowledge। समाजवाद मानव ज्ञान का समुच्चय है। सर्वोदय की यह परिभाषा नहीं है। उसका आकार अनुदारवादी व्यवस्था है।

उसका आन्दोलन बहुजन हिताय स्वरूप नहीं है। समाजवाद के अन्दर सर्वोदय पड़ता है, सर्वोदय के अन्दर समाजवाद नहीं। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि वह भी समाजवाद को अख्तियार करें, समाजवादी पार्टी में आयें। अगर उस सर्वोदय का, जो कभी कभी समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलता है, अध्यक्ष महोदय मूर्तिमान स्वरूप देखना चाहते हैं तो बिना किसी हिचक के वह सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष––अब बहुत हो गया, उसी पर आ जाइये।

श्री राजनारायण––हमारा ध्येय चौखम्भा राज्य है। समाचार-पत्र वालों ने एक बार मुझसे पूछा था कि आप जयप्रकाश नारायण जी के बारे में क्या कहते हैं, वह भी आपके चौखम्भा को मानते हैं। तो अगर निश्चित रूप से वह चाहते हैं कि यह मूर्त्तिमान स्वरूप ग्रहण करें तो उनको भी मैं सोशलिस्ट पार्टी में आने का निमंत्रण देता हूं, व्यर्थ के वितंडावाद में पड़ने से कोई फायदा नहीं।

एक मुझे यह पुस्तिका सूचना विभाग से प्राप्त हुई है। यह सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट है १९५६ की। इसमें सोशलिस्ट पार्टी के बारे में छपा हुआ है कि सोशलिस्ट पार्टी ने बड़ा काम किया अपनी मांगों को पूरा करने के लिये, मगर लिखते हैं इसमें कि अशिष्ट भाषा में सरकार की, स्थानीय कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों की आलोचना की जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह एक स्थायी पुस्तिका के रूप में छापी जाती है। एक बार पार्लियामेंट में ऐसे ही प्रश्नों को लेकर बड़ा झगड़ा चल गया था। मैं जानना चाहता हूं कि सूचना विभाग के जिस अधिकारी ने इस तरह की बात लिखी है उसने किस आधार पर यह लिखा ? हमारी कौन-सी भाषा अशिष्ट है, अशिष्टता का कौन-सा माप दंड है, अगर आप तीव्र भाषा कहते, कटु आलोचना कहते, सत्य आलोचना कहते तो मैं मानता, मगर शिष्ट, अशिष्ट की परिभाषा क्या है ? अगर मैं यह कहूं कि सरकार आज जिस तरह से चल रही है वह समाज को गर्त में ले जा रही है तो क्या यह अशिष्ट भाषा है ? अगर यह कहा जाय कि जो टैक्स लग रहा है वह गरीबों की कमर तोड़ रहा है, यह पाप है, तो क्या यह अशिष्ट भाषा है ? अगर यह अशिष्ट भाषा है तो महात्मा गांधी सबसे ज्यादा अशिष्ट रहे हैं। उन्होंने कहा है १९४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में कि इस सरकार को पैसे से या और किसी प्रकार से यदि हम सहायता करेंगे तो यह पाप है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह हराम है। उन्होंने "हराम" शब्द तक का प्रयोग किया है।

इस तरह की पुस्तिका निकलवा करके सरकारी कर्मचारी जो भ्रम फैलाना चाहते हैं मैं उनके भ्रम का निवारण करना चाहता हूं। १९५७ में जब हमारा आन्दोलन चलने वाला था तो मुख्य मंत्री जी ने गोरखपुर में उसे युद्ध की संज्ञा दी थी। अब फिर पहली मई से हम आन्दोलन

[श्री राजनारायण]

करने जा रहे हैं, पता नहीं, उसको क्या संज्ञा दें ? इस प्रकार वह समाज का हित नहीं कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ कर सविनय आन्दोलन करते हैं और अपनी मांगों को पेश करते हैं। क्या मांगें हैं ? अलाभकर जोत पर से कर माफ़ किया जाय। हरिजन और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनको ६० फीसदी से अधिक राजकीय नौकरियों में स्थान दिया जाय। अंग्रेजी का बहिष्कार किया जाय, उसका इस्तेमाल सरकारी दफ्तरों में या और कहीं न हो। हम मांग करते हैं कि महंगाई की मार से जो चारों तरफ की जनता त्रस्त रहती है, उसको खतम किया जाय। गल्ले में ४ पैसे सेर से अधिक का फर्क किसान और व्यापारी के बीच में न हो। (लालबत्ती जलने पर)

श्रीमन्, दो मिनट और दिये जायं। यह ऐसी मांगें हैं जिनकी पूर्ति से निश्चित रूप में समाज का उत्थान हो सकता है। हम लगातार इन मांगों को करते चले आ रहे हैं। सन् १९५७ में किया, १९५८ में किया और १९५९ में भी किया। सन् १९६० में भी हमने नोटिस दी लेकिन श्रीमन्, बजट में कुछ भी नहीं आया। इसके बाद अगर हम सिविल नाफरमानी करें तो फिर हमारी सूची बनायी जाती है। हमारे पीछे पुलिस डाली जाती है और यह पता लगाया जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग कहां-कहां जाते हैं। श्रीमन्, हम शान्तिमय सत्याग्रह करना चाहते हैं, हम उस को हिंसा में परिणत नहीं करना चाहते। हम भुक्तभोगी हैं, हमारी तरफ से कभी हिंसा नहीं हुई है, सरकार की तरफ से हिंसा हुई है।

श्रीमन्, हम भ्रष्टाचार को निर्मूल करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई द्वेष नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हम कोई बात भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहते हैं तो आप बैठ जायं, माननीय मुख्य मन्त्री जी भी बैठें और सदन के दूसरे लोग भी बैठ जायं और जिनके ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं उनकी इन्क्वायरी हो जाय। श्रीमन्, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे रात भर नींद नहीं आयी, हमारे एक आरोप के सिलसिले में पार्लियामेन्ट में चर्चा हो गई। उसका मैं यहां पर वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस विषय में किसी भी व्यक्ति विशेष ने मुझसे कोई भी बात नहीं की, मुझसे किसी ने कोई बात नहीं पूछी और न मैंने किसी को कोई नोट वगैरह दिखाया। मैं यहां पर एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। यह श्रीमन्, अभी बन नहीं पाया है। अगर नियमावली के अन्तर्गत आ जायगा तो कल प्रस्तुत करूंगा।

श्री अध्यक्ष---आप का समय समाप्त।

श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)--- अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आज जो सामान्य प्रशासन सम्बन्धी अनुदान पेश हुआ है उस पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौक़ा दिया। मैं समझता हूं कि यूं तो सामान्य प्रशासन पर जो रकम मांगी गई है वह बहुत अधिक नहीं है लेकिन प्रदेश में जो हम १३३ करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं उसका ४० प्रतिशत यानी ५३ करोड़ रुपया हम प्रशासन पर खर्च कर देंगे और बाक़ी रुपया लोगों की सेवाओं में खर्च किया जायगा। यूं तो देखने में यू० पी० बहुत बड़ा मालूम होता है और इस भवन में बार बार यह जिक्र आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह टाप हैवी होता चला जा रहा है और हमारे नेतागण भी इस बात का प्रयत्न करते हैं कि इसको कम किया जाय और मैं भी समझता हूं कि कहीं-कहीं पर ज्यादा खर्च होता है। मैं समझता हूं कि इसके जो कारण हैं उसमें एक कारण तो यह है कि जो विभाग हैं उनमें आपस में कोआपरेशन नहीं है। आपस में डुप्लीकेशन आफ वर्क बहुत है। मैं समझता हूं कि यह सब से बड़ा कारण है। मैं एक गांव का रहने वाला हूं। मैं देखता हूं कि गांव के लेविल पर बहुत से ऐसे काम हैं जो एक तरह के हैं लेकिन कई-कई अधिकारी उनको करते हैं। मैं शासन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दे। मैं समझता हूं कि उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं लेकिन सब से बड़ी दिक्कत यही है कि जो विभाग हैं उनमें आपस में एक दौड़ लगी हुई है। गांव में पंचायत सेक्रेटरी

लेखपाल, अमीन और वी० एल० डब्लू० जो होते हैं वह करीब करीब एक तरह का काम करते हैं। इसलिये इतने आदमियों के स्थान पर यदि एक या दो आदमी ही रखे जायं तो मैं समझता हूं कि गांव के स्तर पर काफी खर्चे में कमी की जा सकती है।

इसी प्रकार मैं समझता हूं कि तहसीलदार बिलकुल वही काम करता है जो कि हाकिम परगना करता है। प्लानिंग के काम के लिये चाहे दूसरे आदमी रहें, लेकिन जहां तक तहसीलदार और हाकिम परगना का सवाल है, या तो तहसीलदार ही रहे या हाकिम परगना ही रहे। और अगर हाकिम परगना का हेडक्वार्टर जिले में न होकर तहसील के हेडक्वार्टर पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। ताकि शासन में सुविधा रहे और खर्चा भी कम हो।

(इस समय १२ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण बंसल, पीठासीन हुए।)

मैं इसका एक दूसरा कारण यह भी समझता हूं कि जो खर्चा बढ़ाया गया है कुछ अनएवायडेबिल भी है। क्योंकि तरह-तरह के डिपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं उनके खुलने में कुछ तो खर्चा अवश्य ही बढ़ जायगा जिसको सरकार बढ़ने से रोक नहीं सकती है। जब हम सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम प्राइवेट एन्टरप्राइज को पब्लिक सेक्टर में बदलना चाहते हैं, चीजों को नेशनलाइज करना चाहते हैं, देश में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो निस्संदेह हम शासन के खर्चे को बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। इसको रोकने की एक ही स्थिति हो सकती है देश में कोआपरेटिव मूवमेंट जोरों पर हो। जब तक देश में कोआपरेटिव मूवमेंट जोरों पर न होगा तब तक इस डेमोक्रेसी में हम खर्चे को बढ़ाने को रोक नहीं सकते।

अभी कहा गया कि हमारे प्रान्त में मिनिस्टरों और डिप्टी मिनिस्टरों का खर्चा बहुत बढ़ गया है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जहां तक इस खर्चे का ताल्लुक है वह हमारे प्रान्त में दूसरे प्रान्तों की बनिस्बत कम है।

बड़े-बड़े टाउन्स में शासन का कोई खास प्रबन्ध नहीं है। चन्दौसी टाउन की आबादी ५० हजार के करीब है। वहां पर एस० डी० एम० और तहसील का हेडक्वार्टर नहीं है और न कोई वहां पर बड़ा अफसर ही रहता है। वह बार्डर का नगर है उसमें हाकिम परगना का हेडक्वार्टर होना बहुत आवश्यक है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव उप-नेता विरोधी दल की ओर से रखा गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी नाराज तो हो जाते हैं, लेकिन एक बात मैं साफ़ कर देना चाहता हूं। मैं यह तो नहीं कहता कि सब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात को देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। मान्यवर, हमारे देश के प्रधान मन्त्री जी से जब भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये ट्रिब्युनल एप्वाइन्ट करने को कहा गया तो उन्होंने उसको नहीं माना। दूसरी तकलीफ मुझे तब हुई जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो रही थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में ऐसे लोगों की कमी है जो ईमानदार हैं इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर मुश्किल से मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इसको साफ करें। जहां तक करप्शन का सवाल है, इसको सभी जानते हैं।

[श्री प्रताप सिंह]

श्री जे० सी० कुमारप्पा ने एक किताब लिखी है—"प्लान फार दि पीपुल, बाई दि पीपुल।" उससे मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं —

"It discloses a strong feeling of public lack of confidence in the integrity of those in high places—Ministers, Legislators and officials. The allegations are in the form of patronage, undue interference and actual corruption. It is believed that the removal of the influence of Gandhiji from the political field has led to a normal decline."

मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने जिस ट्रिब्यूनल की बात को अस्वीकार कर दिया, हमारा प्रदेश जो हर बात में आगे रहा है, हमारे मुख्य मंत्री जी अपने यहां इस तरह की कोई कमेटी या ट्रिब्युनल जरूर स्थापित करें जिससे लोगों के मन में जो शक व शुबहा है कि हमारे यहां भ्रष्टाचार है, यह है, वह है, वह सब दूर हो जाय।

दूसरी बात यह है मान्यवर, कि किसी देश या प्रदेश का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो उसके लिये आवश्यक है कि सरकार की एक डेफिनिट पालिसी हो। लेकिन हमारे प्रदेश में पहले जापानी पद्धति चलायी गयी और अब सुना जा रहा है कि यहां चीनी पद्धति चलाई जायगी और न मालूम क्या-क्या पद्धति चलायी जायगी। इससे लोगों के अन्दर एक किस्म की शिकायत होती है कि मालूम नहीं यहां पर किस पद्धति को कब प्रारम्भ किया जाय। दूसरी बात यह है कि जब प्लानिंग का युग है तो एक डेफिनिट पालिसी का होना बहुत जरूरी है।

जहां तक एकोनामी का सवाल है, एकोनामी के बारे में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है और उस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है उसको मैं पढ़ रहा हूं :—

"It was decided that 60 per cent of the temporary posts in the Secretariat Departments should be made permanent."

श्रीमन्, जहां तक एकोनामी का ताल्लुक है गरीब चपरासियों के ऊपर ही उसे लागू किया गया। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के कैबिनेट ने तय किया कि बड़े-बड़े आफिसरों के पास जो स्टाफ कार्स हैं उनको वे वापस कर दें तो उन लोगों की तरफ से एक रेप्रेजेंटेशन आया और उसका नतीजा यह हुआ कि वे कारें फिर उनको वापस दे दी गयीं। तो मेरा कहना यह है कि सरकार की कोई डेफिनिट पालिसी होनी चाहिये ताकि ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छे ढंग से चल सके। नहीं तो माननीय मुख्य मन्त्री जी के ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी पर चार्ज लगाया जा सकता है। आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के अन्दर तो यह हालत है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रूप से कुर्सी छीनना चाहता है जिसका नतीजा यह है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन नीचे गिरता जा रहा है और सरकार पर से जनता का यकीन उठता जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं अगर उनकी पालिसी इसी तरह की रही तो आने वाली गवर्नमेंट चाहे पी० एस० पी० की हो या किसी पार्टी की हो यही कहेगी कि बाबू सम्पूर्णानन्द की रिजीम में ९८ मेम्बरों ने अनुशासनहीनता की फिर भी वे सब अपनी जगह पर जमे रहे। उसी तरह से हम भी अनुशासनहीनता करते हुए भी क्यों नहीं जमे रह सकते ?

श्रीमन्, मैं नौजवान हूं इसलिये मुझे इन सब बातों को सोच कर बहुत दुःख होता है कि हम अपनी आगे की जिन्दगी में क्या-क्या देखेंगे।

श्रीमन्, एकोनामी कमेटी की रिपोर्ट में है कि ६० प्रतिशत सरकारी कर्मचारी जो ३ साल से टेम्पोरेरी सर्विस में हैं उनको स्थायी कर देना चाहिये। श्रीमन्, मेरी राय तो यह है कि जितने कर्मचारी भी तीन साल से टेम्पोरेरी सर्विस में हैं और जो ईमानदारी तथा अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं उन सब को स्थायी कर देना चाहिये।

दूसरी बात, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कंडक्ट रूल्स से सम्बन्धित डिसिपिलनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में है, जिसके अध्यक्ष माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त थे, उस कमेटी ने भी इस बात को महसूस किया कि अब तक के जो नियम हैं वे बहुत पुराने हैं और उनको सुधारना चाहिये। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कंडक्ट रूल्स के सम्बन्ध में यह है—

"We recommend that the Government Servants Conduct Rules should be revised along the following lines. Moreover, as even responsible officers often betray ignorance of their provisions, all gazetted officers should be asked again to make careful study of these rules."

यह उस कमेटी की रिपोर्ट है जिसके प्रेसीडेंट हमारे हिन्दुस्तान के गृह मंत्री, माननीय गोविन्द वल्लभ पंत जी थे।

श्रीमन्, मुझे सेकेंड पे कमेटी के सम्बन्ध में भी कुछ कहना है। यह खुशी की बात है कि सन् १९४६ में जो पे कमेटी बैठी थी उसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ही थे। उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसी के अनुसार मैं कहता हूं कि आप दूसरा पे कमीशन बैठावें। अगर उसका नाम पे कमेटी रखना चाहें तो वही रख लें, लेकिन दूसरी पे कमेटी बैठाना बहुत आवश्यक है। पे कमेटी रिपोर्ट में लो-पेड स्टाफ के बारे में जो लिखा है वह मैं आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं—

"The low paid and middle-class Government servants have been the worst victims of the economic disorder in society caused by the Second World War. The Committee feel that in addition to the liberal scales of pay proposed for this class of Government servants, something more is needed to give them real relief. The Committee, therefore, recommend that Government servants drawing pay up to Rs. 60 per mensem should be allowed free education for their children up to the High School standard."

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि जब इस तरह की महत्वपूर्ण सिफारिश उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी उसने की तो उसके अनुसार क्यों आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया ? बहरहाल मेरी इच्छा है कि उनकी तरफ अवश्य ध्यान दिया जाय।

अजीब तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, पहाड़ों पर जहां पर जाड़ों में काम करना पड़ता है वहां पर साढ़े ४ बजे तक के आफिस आवर्स हैं, सुझाव भेजा गया, लेकिन जाड़े चले गये कुछ नहीं हुआ, कहा गया कि अभी विचार किया जा रहा है। मेरी सब से बड़ी शिकायत है कि एक तरफ तो माननीय मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं कि हम शिष्ट हों, सही बात कहें लेकिन सरकार के यहां शिष्ट और सही बात कहने वाले और गलत बात कहने वाले में कोई डिमार्केशन ही नहीं है। जो शिष्ट भाव से लिखता है उसका जवाब ही नहीं आता, वह तो शिष्ट ही है खिलाफ जा ही कैसे सकता है, क्योंकि उसकी आप के प्रति, आप की योग्यता के प्रति श्रद्धा है। इस तरह के तौर तरीके आप के अफसर बदलें क्योंकि अब प्लानिंग का जमाना है। अगर वह नहीं बदलते तो जनतन्त्र के प्रति जो आस्था उठ रही है वह चीज बढ़ेगी, वैसे तो हमें फख्र है कि हमारे देश में अभी तक जनतंत्र से ज्यादा जनतंत्र है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों की आस्था उस में रहे तो अपने केबिनेट के लोगों और अफसरों के व्यवहार को बदलना पड़ेगा। एक ओर तो कहा जाता है कि चपरासियों के लिये पैसा नहीं है, बजट में कहां से लायें और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के देश के मंत्रियों के पद को बेड आफ रोज़ेज बना दिया गया है। मुझे भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी का मेम्बर होने का फख्र हासिल है उसमें लिखा है कि एक मिनिस्टर को बिना आयकर के १,२०० रु० मासिक मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से फरनिश्ड बंगला मिलता है जिसमें पंख आदि का प्रबन्ध होता है और आगे है कि मंत्री अपनी

[श्री प्रतापसिंह]

च्वाइस की कार खरीद सकता है। यह सब क्या है अलग अलग जो जितना चाहे खर्च कर सकता है, हजारों का यह हिसाब आता है। हमें माननीय मुख्य मन्त्री जी पर और उनकी योग्यता पर पूरा भरोसा है, लेकिन वह जिस समाजवाद का नारा लगाते हैं, मैं भी जब विद्यार्थी था तो उन्हीं की समाजवाद की पुस्तक पढ़ा करता था, लेकिन मुझे दुख है कि आज नहीं तो आने वाला जमाना कहेगा कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के सिद्धान्त बहुत उच्च कोटि के थे लेकिन जब वह स्वयं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने उन सिद्धान्तों को अपने कोलीग्स के साथ मिल कर कार्यरूप में परिणत नहीं किया। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह अपने समाजवादी सिद्धान्तों को अमली जामा पहनावें।

जब हमारी तरफ से पहले बोर्डर की बात कही जाती थी तो उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। बोर्डर के बारे में गवर्नमेंट की पालिसी पहले से ही नेगलीजेंस की रही है, अब जब चीनी हमले की बात आई तभी उस तरफ के विकास की बात होने लगी वर्ना सन् १९५२ से ही हम कहा करते थे कि उधर गवर्ननेंट का ध्यान नहीं जाता। यह "लैंड आफ भोटियाज" नाम की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि उधर का इलाका पिछड़ा हुआ है, मेरी अपनी बात नहीं है। आप अब वहां ३ जिले बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप बांट दीजिये चाहे २० में, लेकिन जब तक उधर कुछ विकास का काम न होगा कुछ होने वाला नहीं है। वहां के साढ़े ३ जिले हैं अलमोड़ा गढ़-वाल, टेहरी और उत्तरी नैनीताल। हम इस नये बटवारे का स्वागत करते हैं। उत्तर काशी, पिथौ-रागढ़ और चमोली के जिले बनाये जा रहे हैं। सन् १९५७ से जब से चीन की कार्यवाही शुरू हुई खबर नहीं थी, हम बोर्डर क्षेत्र के मेम्बरों ने एक कमेटी भी बनायी, लेकिन जब भी बोर्डर के बारे में कोई बात हुई तो हमारी राय नहीं ली गई। मैंने अभी उस क्षेत्र में ढाई मास का दौरा किया था। माननीय मुख्य मंत्री जी के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने उस क्षेत्र का हवाई जहाज से दौरा किया लेकिन उसके बाद उनका जो वक्तव्य हुआ उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बार्डर का इलाका जो है वहां हमारी पी० ए० सी० साढ़े १९ हजार फीट की ऊंचाई पर काम कर रही है। मैं चुनौती तो नहीं देता, लेकिन कौन सा पास है इतनी ऊंचाई पर? क्या माना पास है, या कौन-सा है? इस ग़लतफहमी को दूर कीजिये। वहां जिले बनाने की ही बात नहीं है। जब तक वहां का इकोनामिक विकास नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती।

अभी मैंने अखबार में पढ़ा था नियोजन उपमंत्री का भाषण कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में पांच हिस्से यू० पी० के किए जाएंगे। तो केवल इतने से ही काम नहीं हो जाता। मेरे इलाके में एक ब्लाक की बिल्डिंग बनी है। उस ब्लाक में ४० मील तक मोटर रोड नहीं है। लेकिन बिल्डिंग के अन्दर कार का गैरेज बना है। यह प्लानिंग है। आज स्टेट प्लानिंग बोर्ड में कोआर्डीनेशन होना चाहिये। एक प्लान प्रदेश में बनती है। दो महीने बाद सेन्टर कहता है कि ठीक नहीं है, दूसरी होनी चाहिए। इस थर्ड फाइव ईयर प्लान में हमारी स्टेट को हक होना चाहिए कि वह स्वयं प्लान बनावे बजाय इसके कि केन्द्रीय सरकार या प्लानिंग कमीशन हमसे कहें। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आज हम सब लोग इसीलिये बैठे हैं कि कामन गुड के लिये ही हमारा बजट हो और मैं समझता हूं कि हमारे सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसका मैं अनुमोदन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से रखा गया है उसका विरोध करता हूं। लक्ष्य तो हमारा निर्धारित है और इसमें भी दो रायें नहीं हो सकतीं कि हम उस लक्ष्य की ओर अवश्य ही जा रहे हैं। देखना यह है कि आया उस लक्ष्य की ओर हमें जितनी तेजी से जाना चाहिये उतनी तेजी से जा रहे हैं या प्रगति में कुछ ढील है।

हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सामान्य प्रशासन के ऊपर व्यय होता है। हमें देखना यह है कि जितना हम गुड़ डाल रहे हैं उतना मीठा हो रहा है या नहीं। इस प्रशासन की बड़ी महत्ता है। सरकार के जितने कार्य होते हैं वह इसके जरिये से होते हैं। जो नौकरशाही अंग्रेजों के जमाने में थी उसका लक्ष्य दूसरा था। उसका लक्ष्य केवल यह था कि उनका शासन भारत में जितने अधिक दिनों तक कायम रह सके उतने दिनों तक कायम रहे। पब्लिक की क्या हालत होगी, वह समृद्धशाली होगी या नहीं, यह उनके विचार में नहीं था। हमारा लक्ष्य और हमारे विचार बिलकुल भिन्न हैं। हमारा लक्ष्य तो यह है कि हमारी जनता सुखी हो, हमारी जनता यह महसूस करे कि हम ही राजा हैं और हम ही प्रजा हैं, हम ही गवर्नर हैं और हम ही गवर्न्ड हैं। यह हमको देखना है और साथ ही साथ यह भी देखना है कि आया जो पब्लिक के नौकर हैं वह इस काम को पूरा करने के लिये उस ढंग से जिससे कि हम चाहते हैं उद्यत हैं या नहीं। उनके और पब्लिक के दरम्यान में कोई खाई तो नहीं है। अगर है तो उस को पाट दें। हम यह चाहते हैं कि वह नौकर यह महसूस करें कि जब तक वह कुर्सी पर बैठे हुए हैं तब तक जो धर्म के साथ उनका कर्त्तव्य है उसका पालन कर रहे हैं या नहीं और जिस वक्त वह उस कुर्सी पर से अलग हों तो जनता के साथ उस रीति से जिस रीति से किसी एक स्वतंत्र देश के नागरिक दूसरे नागरिक के साथ मिलते हैं इस तरह से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मैं इस चीज को प्रायः बड़े गौर से देखा करता हूं। मैं समझता हूं अभी वह चीज जो हमारे देश के नेता चाहते हैं देखने में कम आ रही है। उसकी सब से बड़ी पहचान यह है कि आया अब वह जंगल का रूल जारी है या नहीं। जंगल का कानून यह है "Strong preying upon the weaker, and survival of the fittest." मैं इस चीज को ही एक कसौटी समझता हूं। इस दृष्टि से देखने से मालूम होता है कि अभी वह ध्यान सरकारी नौकरों का उतने उचित रूप से नहीं बदला है जितना कि बदलना चाहिये।

इसके बाद एक चीज और मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। सब से अच्छी सरकार वह होती है जो कि कम से कम राज्य करे। हम देख रहे हैं कि कितने नौकर बढ़ते जा रहे हैं, जो शासन का कार्य है वह दुगना, तिगुना और चौगुना एक ही चीज के मुताल्लिक होता जा रहा है। प्रजा को इन सब का भार बरदाश्त करना पड़ता है। बजट के देखने से ही पता चलता है कि बजट का ४० फीसदी से ज्यादा नौकरों के ऊपर खर्च हो रहा है। इसको मैं अक्सर 'व्हाइट एलीफेंट' के नाम से पुकारता हूं। हमारा देश गरीब है, हम लुटे हुये हैं, हमारे पास शक्ति और धन नहीं है, जो थोड़ा बहुत-था वह अंग्रेज अपने साथ ले गये। अब भी जो बाकी रह गया है वह कम है जिससे अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते। खून से कमाया हुआ रुपया जो सरकार के कोष में आता है उसका व्यय सरकार के नौकरों पर ज्यादा और जनता के काम पर कम किया जाय यह उचित नहीं है। मुझे तो आशा यह थी कि जब हम स्वतंत्र हो जायंगे तो हम ऐसी परम्परा, ऐसे प्रीसीडेंट्स कायम करेंगे जिससे लोगों को यह महसूस हो कि हमारे देश के नेता हमारी गरीबी को अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं, मुमकिन है कि मेरी गलती हो, वह प्रीसीडेंट हम बिलकुल कायम नहीं कर रहे हैं। एक देश का नेता किसी ओहदे पर आकर चाहे मंत्री हो या कुछ और हो वह इस तरह से चले, व्यवहार करे और रहे कि जिससे एक गांव का गरीब किसान जिसने उसे वोट देकर यहां पहुंचाया है वह यह महसूस न करे कि उसमें और उसके प्रशासक में कोई ज्यादा भिन्नता है। मैंने देखा है कि काफी रुपया हमारा गैर जरूरी चीजों पर खर्च हो रहा है। मुझे अफसोस हुआ और मेरे बहुत से साथियों को अफसोस हुआ जिस वक्त हम नैनीताल में ठहरे हुए थे तो उस ऊंचाई पर ये नई कारें चढ़ा करती थीं और करुण क्रन्दन किया करती थीं और यह महसूस होता था कि ६ महीने में ये बिलकुल बेकार हो जायंगी और पब्लिक के ऊपर इसका भार पड़ेगा। मुझे उस क्रन्दन से काफी शोक हुआ।

दूसरी चीज जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बड़ी पुरानी मांग है। हम जब पढ़ते थे तो हमेशा सोचा करते थे कि हमारे स्वतंत्र होने के बाद यह चीज कार्यरूप में परिणित

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

को जायगी, लेकिन वह हुआ नहीं। दिखावा-सा बना दिया। जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बन गये या मुंसिफ बन गये। लेकिन वह जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नाम के जुडिशियल ह, व वही मैजिस्ट्रेट हैं। मेरा यह विचार है कि जुडीशियरी को एक्जिक्यूटिव से अलग होना एक स्वतंत्र देश के लिये बहुत आवश्यक है। किसी स्वतंत्र देश की, जब तक कि उस की जुडीशियरी मजबूत न हो तब तक, स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती और प्रजा को उस राज्य के ऊपर पूरा विश्वास नहीं हो सकता। अगर ये जुडीशियल मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के अन्दर कर दिये जायं तो उनकी कार्य करने की नीति बदल जायगी।

इसके साथ में एक ही चीज और कह कर समाप्त करूंगा। माननीय राजनारायण जी चौखम्भा राज्य के हामी हैं और मैं उस राज्य का हामी हूं जिसमें प्रत्येक मनुष्य यह महसूस करे कि राजा भी वही है और प्रजा भी वही है और चौखम्भा नहीं वह करोड़ खम्भा हो जाय। वह राज्य एक दैवी राज्य हो जायगा जो परिचायक होगा उस दैवी शक्ति का जो कि हर प्राणी के अन्दर विद्यमान है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का अनुमोदन करता हूं और कटमोशन का विरोध करता हूं।

*श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---अधिष्ठाता महोदय, करीब १३ साल से हमारे इस देश में आजादी आई। इसके पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और उनकी यह परम्परा थी कि किसी तरह से इस देश से पैसा खींच-खींच कर अपने यहां लगाया जाय। उस जमाने में भी नौकरशाही यह चाहती थी कि अंग्रेजों की किस तरह से जेबें भरी जायं। परन्तु उसके बाद जब अंग्रेजी शासन हमारे देश से खत्म हुआ और आजादी मिली उसके बाद भी नौकरशाही में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ा। कारण यह है कि आज भी पूरी तरह से शासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह उसी ढंग से कायम है। जरूरत यह थी कि आजादी मिलने के बाद शासन का ढांचा बदला जाता और एक ऐसा ढांचा बनाया जाता जिससे जनता समझती कि हमारे हित और स्वार्थ के लिये यह ढांचा है। लेकिन यह नहीं हुआ। आज भी लोग यह सोच रहे हैं कि यह शासन नौकरशाही के हाथ में है। इसलिये हम चाहते हैं कि प्रदेश में एक ऐसा कमीशन नियुक्त किया जाय जो यह जांच करे कि प्रदेश में किस तरह से इस ढांचे में परिवर्तन किया जाय जिससे जनता को सहूलियत मिल सके, वह यह समझ सके कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्त्तव्य क्या हैं और इन कर्त्तव्यों और अधिकारों के बीच में किस तरह से वह पनप सके। पुलिस कमीशन बना है, शिक्षा कमीशन बना है लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसा कमीशन बने जो पूरे शासन को देखे और फिर अपनी राय दे और उस राय के आधार पर हमारे सूबे के शासन का निर्माण किया जाय और इसकी योजनायें बनें। यदि ऐसा नहीं होता तो हम समझते हैं कि यह कमी हमेशा बनी रहेगी और इस कमी को दूर करने का कोई अच्छा रास्ता फिलहाल नहीं निकल पायेगा।

शासन के दो अंग हैं, न्याय और कार्यकारिणी। हम चाहते हैं कि न्याय कार्यकारिणी से बिलकुल अलग रहे। न्याय विभाग का सम्पर्क हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रहे, उसमें किसी को बीच में दखल देने का अधिकार न हो। आज कार्यकारिणी पर ज्यादातर जिले या प्रदेश की कांग्रेसी संस्थायें छाई हुई हैं और उससे मनमाने ढंग से काम कराना चाहती हैं। हमारी राय है कि इस विभाग पर भी इस प्रकार का नियंत्रण न रखा जाय और उसको अपना काम निष्पक्ष ढंग से करने का मौका मिले।

आज प्रशासन में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार का सवाल जब सदन में उठाया जाता है तो मुख्य मंत्री या और मंत्री बहुत झिझकते हैं। वे समझते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में एक रिवाज सा बन गया है और उसको सुनना वे पसन्द नहीं करते। मेरी राय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष की ओर से मिलेजुले कदम उठाये जायं। आज हालत यह है कि शहरों और देहातों में सभी जगह दिन पर दिन भ्रष्टाचार अधिक बढ़ता चला जा रहा है चाहे वह पुलिस विभाग हो, चाहे गांव का लेखपाल हो और सेक्रेटरी तक उसमें इन्वाल्व्ड रहते हैं। ऐसी हालत में जब बेचारे किसान को कहीं इन्तखाब भी लेना पड़ता है तो उसको १०-१५ रुपये लेखपाल को देने पड़ते हैं। मेरा तो कहना है कि मिनिस्टरों से ले कर लेखपाल तक इस चीज को देखा जाय कि भ्रष्टाचार की बुनियाद कहां है। तब यह रुकेगा, वैसे इसका रुकना असम्भव सा मालूम होता है।

आज जिलाधीश के अधिकार इतने बढ़ा दिये गये हैं कि छोटे छोटे मामले तक, चाहे वह तकावी का मामला हो, चाहे प्लानिंग का मामला हो, चाहे चकबन्दी का मामला हो, सब उन्हीं के अधिकार में दिये गये हैं। जब इतने अधिकार जिलाधीश के बढ़ा दिये गये हैं तो यह मानी हुई बात है कि समाजवाद, या जनतन्त्र या विकेन्द्रीकरण आज जिलाधीश के अधिकार में टिका हुआ है। हम चाहते हैं कि जिलाधीश के अधिकारों को कम करके भविष्य में अन्तरिम जिला परिषदों के जो चुनाव होंगे उनके अधिकार बढ़ाये जांय। जिला परिषद् के अधिकार जब बढ़ेंगे तो पूरे जिले का खाका जिला परिषद् के सामने आयेगा और जिले के रचनात्मक कार्यों में काफी सहयोग वह दे सकता है। अगर सिर्फ जिलाधीश के अधिकार में यह रहा तो वहां भी एक बंधा हुआ कानून एक व्यक्ति के पीछे रहेगा और जनता को जो अधिकार प्राप्त होने चाहिये वे प्राप्त नहीं हो पायेंगे। इसलिये जिलाधीश के अधिकार कम करने चाहिये।

दूसरी बात यह कि आज परगनाधीश ज्यादातर जिले के केन्द्र में रहते हैं। नतीजा यह होता है कि जो भी छोटे-मोटे मुकदमे होते हैं उनके लिये बेचारे तहसील के किसानों को जिले तक दौड़ना पड़ता है। ऐसी हालत में उनका नुकसान होता है। जिले तक जायें और फिर चार दिन के बाद तारीख पर आयें। इसलिये अगर परगनाधीश खुद तहसीलों में रुका करें और न्याय दें तो इससे किसानों को काफी सुविधा हो सकती है। इस लिये परगनाधीश का कार्यालय तहसील में होना चाहिये, जिले के केन्द्र पर नहीं होना चाहिये। तहसील से किसानों को सुविधाएं होंगी और किसानों को न्याय मिलने में भी आसानी होगी।

प्रशासन को चलाने के लिये हमने पहले कहा है कि एक उच्च स्तरीय कमीशन बनाया जाय जो पूरा ढांचा बदल दे और वह तब्दीली करने के सुझाव दे। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मंत्रियों की जांच की जाय या दूसरे अधिकारियों की जांच की जाय। लेकिन उस बात पर परदा डाल दिया गया। मैं चाहता हूं कि खुल कर ऐसी जांच हो और जनता के सामने आ जाय तो किसी प्रकार से भ्रष्टाचार कम हो सकता है। आज प्रदेश की जनता देख रही है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद गहरी है। भ्रष्टाचार ऊंचे स्तर पर अधिक है। नीचे स्तर पर चाहे कम हो। भ्रष्टाचार को ऊंचे से नीचे तक जब रोकने की कोशिश की जायगी तभी वह रुक सकता है। इसलिये उस कमीशन की नियुक्ति अनिवार्य है ताकि हमारे प्रदेश की नींव मजबूत हो सके।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं।

यह तो कई माननीय सदस्यों ने माना भी है और ठीक भी है कि सामान्य प्रशासन को ठीक करने के लिये, उसमें सुधार करने के लिये पिछले कुछ वर्षों में प्रयत्न हुआ है। परन्तु एक बात जो मैं देखता हूं, खास तौर से अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस अनुदान में ऐसी कोई चीज नहीं है कि नयी योजनाएं रखी हों, कोई खास बात हो। यह सही है कि इसमें जो भी पैसा बढ़ा है वह ऐसा है जैसे वेतनों में वृद्धि, दफ्तरों में टेलीफोन, उपस्कर आदि हम सब

[श्री जगदीशप्रसाद]

मानेंगे कि ये चीजें आवश्यक हैं। इससे सभी माननीय सदस्य सहमत हैं कि अस्थायी नौकरियां कम रखी जायं। उनको जल्दी स्थायी किया जाय। परन्तु एक बात हमें सोचनी पड़ेगी। जिस प्रकार हम चल रहे हैं, हर वर्ष वेतन में वृद्धियां होती हैं, नियुक्तियां होती हैं, दफ्तर खुलते हैं, उनके लिये उपस्कर और टेलिफोन चाहिये, वाटर कूलर्स और एयर कंडीशनर्स चाहिये। इसके लिये हमें कहीं सीमा निर्धारित करनी होगी या नहीं? यह भी नहीं हो सकता कि आप यह निश्चय कर लें कि बिलकुल नियुक्ति नहीं करेंगे। तीन-चार रोज हुए अखबार में मैंने पढ़ा था। केन्द्रीय सरकार ने यह कहा है कि एक साल के अन्दर हम कोई नियुक्ति नहीं करेंगे लेकिन वह अथेंटिक न्यूज नहीं है। यह तो कठिन होगा कि दो, तीन साल तक हम कोई नियुक्ति ही न करें लेकिन इसी प्रकार यदि आप चलते जायेंगे तो आप सोचिये कि नौकर और दफ्तर बढ़ते हैं फिर उस के लिये बजट में आप को नया टैक्सेशन करना पड़ता है फिर नियुक्तियां की जाती हैं। यही एक विशियस सर्किल चलता जा रहा है। इस डेमोक्रेटिक सेटअप में इस पर चेक लगाने के लिये मैं माननीय मंत्री जी के सामने यह रखूंगा कि वह कुछ सोचें, वह इसके लिये कमेटी मुकर्रर करें चाहे किसी तरीके से भी यह सोचें कि वृद्धि तो होगी परन्तु उस वृद्धि का अनुपात होना चाहिये जन-संख्या से और प्रदेश की आय से। वृद्धि तो होगी परन्तु हमें यह भी देखना चाहिये कि उनके पास कार्यभार कितना है? हमने पहले कुछ कमेटियों में देखा तो पर्याप्त कार्यभार उनके पास नहीं मिला तो यह सब चीजें देखने के लिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आगे उसके लिये कोई कमेटी आदि नियुक्त करें। एक दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है। वह अभी एक सुझाव आया था। मैं नहीं कहता कि एकाएक उसको मान लिया जाय कि तहसीलदार और हाकिम परगना एक हो, या लेखपाल और सेक्रेटरी एक हो, लेकिन इन सब चीजों को सोचने के लिये कोई कमेटी जरूर मुकर्रर की जाय जो इसके ऊपर विचार करे कि कैसे कुछ अनुपात हो सकता है?

दूसरा प्रश्न जो इस अनुदान के सम्बन्ध में आता है वह है भ्रष्टाचार का। यह ऐसा प्रश्न बन गया है कि जिस पर हम बराबर बहस करते हैं, लेकिन हालत यह है कि "मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की"। आज हम सब अपनी-अपनी जगह से कितना ही प्रयत्न करने के बाद, कितना ही शोर मचाने के बाद सन्तुष्ट नहीं हैं कि इसमें कुछ कमी हुई। मैं इस माननीय सदन का सदस्य भी हूं। जिला ऐंटी करप्शन कमेटी का चेयरमैन भी हूं और जानता हूं कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो निश्चित रूप से रिश्वत लेते हैं लेकिन उनका कुछ हो नहीं सकता। अब यह समझिये कि मुझसे तो रिश्वत नहीं ली, लेकिन मेरी जानकारी में है कि वह रिश्वत लेते हैं और मैं उनका कुछ कर नहीं सकता तो फिर सोचिये कि एक साधारण नागरिक क्या कर सकता है। उसके पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं रहता, मजबूर है कि वह रिश्वत दे। मैं मंत्री जी के सामने रखूं कि डिस्ट्रिक्ट ऐंटी करप्शन कमेटी में जिस केस के बारे में उसके चार, पांच मेम्बर जो कि काफी जिम्मेदार आदमी हैं यह महसूस करें कि यह आदमी रिश्वत लेता है, अभी तो मैंने अपने अकेले की बात कही, लेकिन पूरी कमेटी के मेम्बर यह महसूस करते हों, तब भी वह उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके ऐसे तरीके बने हुए हैं कि उसके खिलाफ दरख्वास्त, तहकीकात वगैरह में कुछ हो नहीं सकता है। मैं यह भी नहीं कह सकता कि उसको आप बिलकुल बदल दें। एकदम से आप उसे सजा देना शुरू कर दें क्योंकि उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता। लेकिन ऐसे केसेज भी हमारे सामने आये जिनमें हम सन्तुष्ट हो गए और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सन्तुष्ट हो गया, एक इन्क्वायरी के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी सन्तोष करा दिया, लेकिन फिर यह समस्या आई कि यदि उसे सजा देना है तो या तो कोई आदमी ऐसा हो जो यह कहे कि मेरे सामने रिश्वत ली या जिसने रिश्वत दी हो वह यह कहे कि मैंने रिश्वत दी। अब जिसने यह कह दिया कि मैंने रिश्वत दी तो वह तो खुद मुजरिम हो गया, इसलिये वह तो कहने से रहा। और जहां तक सामने का सवाल है तो कौन रिश्वत किसके सामने देगा? इसलिये उसका कुछ हो नहीं सकता।

इसके ऊपर मेरा एक सुझाव है कि रेपुटेशन के ऊपर आप चाहे सजा उसको न दें लेकिन उसकी सर्विस बुक में कुछ एन्ट्री जरूर कर दें। और वह रेपुटेशन बतलाने वाले आप निश्चित कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन कमेटी अगर यूनानिमसली कहती है, उसका यह व्यू है कि फलां आफिसर इस डिस्ट्रिक्ट में करप्ट रहा है तो उसकी सर्विस बुक में एंट्री जरूर हो जाय। एक जगह हो, दो जगह हो, तीन जगह हो तो जरूर उसका कुछ असर होगा। फिर उसी के साथ साथ यह भी करें कि जो अच्छा काम करने वाले हैं उनका भी कुछ रेकर्ड हो। उसके लिये आप यह कर सकते हैं कि सब एम०एल०ए० मिलकर कहें या किसी ने भी उसकी कोई शिकायत न की हो तो उसको अच्छी एंट्री मिलनी चाहिये क्योंकि अक्सर होता यह है कि जो अच्छा काम करने वाले आफिसर हैं वह अपने बासेज को खुश न कर सके तो उनकी तरक्की रुक जाती है। मैं आपको यह बताऊं कि ऐसा विचार बनता जा रहा है कि जितने बेईमान आफिशियल हैं वह उतने ही ज्यादा कामयाब होते हैं और उतनी ही तरक्की उनकी होती जाती है। मेरी जानकारी में कुछ ऐसे केसेज हैं जिनको मैं जानता था कि वह बेईमान हैं लेकिन उनकी तरक्की हुई। तो उसके लिये तरीका यह हो सकता है कि कुछ जगहों से उनकी जनरल रेपुटेशन के बारे में आप पता लगायें या उनके बारे में कुछ आये तो उसके ऊपर नोटिस करें।

एक बात और इसी करप्शन के बारे में कहनी है। अधिष्ठाता महोदय, यह कहना तो गलत होगा, गलत तो नहीं होगा बल्कि इस सदन में कहना उचित नहीं होगा कि वकीलों ने इस देश में करप्शन बढ़ाया। लेकिन यह बात बिलकुल सत्य है कि यदि वकील लोग चाहें कि प्रदेश में करप्शन कम हो जाय तो जितनी सहायता वे कर सकते हैं उतनी सहायता दूसरी एजेन्सी नहीं कर सकती है परन्तु वे कैसे चाहेंगे और क्यों चाहेंगे! मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखूं उसको आप सोचें। मुझे आज इससे कठिनाई मालूम होती है। वकील लोग मुवक्किल से बात न करें बल्कि सरकार उनसे सीधे बात करे और उनसे मेहनताना सरकार तय करे। उसकी एक लिमिट मुकर्रर कर दें कि इतना मेहनताना तुमको देना होगा। इसके बारे में जो भी आप देना सोचें वह दें लेकिन वकील आपकी तरफ से हो और दोनों फरीकैन को वकील सरकार दे। किसी फरीक को मालूम नहीं होना चाहिये कि कौन उसका वकील होगा। बाद में उसको मालूम होना चाहिये। वक्त पर वकील उसको समझा दे। इस प्रकार की कुछ चीज हो जिसमें वकील हमारा सहायक इस मामले में हो तो हम करप्शन का मुकाबला कर सकते हैं। इसमें कुछ दिक्कत पहले हो सकती है लेकिन करप्शन को कम करने में सहायता मिल सकती है।

अब रही कलेक्टर के अधिकार की बात कि इसके बिना वहां पर कोई काम नहीं कर सकते हैं, इसके विषय में यहां चर्चा बहुत हो चुकी। मैं आपको बतलाऊं कि इस प्रकार से कहा जाता है कि मुगल एम्परर की भी इतनी ताकत नहीं जितनी कि कलेक्टर की है। प्रजातन्त्र के वास्तविक रूप को अगर देखें तो प्रगतिशील व्यवस्था वह होगी जिसमें किसी कलेक्टर या एस० पी० या मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पर्सनल कैरेक्टर और पर्सनल आइडियोलोजी का असर जनता पर न पड़े। मिनिस्टरों की आइडियोलाजी का असर पालिसी पर पड़ता है लेकिन अधिकारियों के पर्सनल करेक्टर का असर नहीं पड़ना चाहिए। आज परिस्थिति यह हो गई है कि जिलों में इस प्रकार से कहा जाता है कि अगर फलां कलेक्टर होता तो यह फैसला होता और फलां एस० पी० होता तो यह बात होती। इस प्रकार के अधिकार आज उनके हो गये हैं कि जिनको चेक करने की जरूरत है और उनके अधिकारों को कम करने की जरूरत है। आज इतने अधिकार उनको दिये गये हैं कि उनके बगैर कोई काम नहीं चल सकता है। मैं एक बात की प्रार्थना करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि फैसला चाहे जो कुछ हो लेकिन इस बात पर और खासतौर से इस विषय पर इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने जोर दिया है। अगर दिया है तो मैं समझता हूं यह सोचने की बात है। यदि हम सब अपनी अपनी जगह यह महसूस

[श्री जगदीशप्रसाद]

करते हैं तो इसका मतलब है कि इस किस्म की कोई बात है तभी लोग इस तरह से महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थिति होनी चाहिये कि चाहे अच्छा कलेक्टर आवे या बुरा आवे लेकिन फैसलों व कार्यों पर कोई प्रभाव न पड़े, एकरूपीय हों सिवाय कुछ बातों के कि जिसमें डिस्क्रीशन की जरूरत है। वैसे हर व्यक्ति का निर्णय गलत या सही हो सकता है लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं मुख्य मंत्री द्वारा पेश की गई मांग का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझ से पहले कुछ माननीय सदस्यों ने इस मांग का अपने ढंग से विरोध किया है। मैं अपनी बात कहने से पहले कुछ उनके विरोध करने के ढंग के बारे में कह देना चाहता हूं। एक मिलीजुली कुश्ती के ढंग पर सरकार की आलोचना करना और साथ ही मंत्रिमंडल के धन्यवाद का पात्र बनने का प्रयत्न करना मेरा उद्देश्य नहीं होगा। गीता में कहा है "परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ" अर्थात् दोनों परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करो और सुख भोगो वाली नीति का मैं विरोध करता हूं। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विरोधी दल के उपनेता ने बड़ी शिष्ट भाषा में बड़े अच्छे ढंग से बजट की आलोचना की, दूसरी ओर से उसी के अनुसार विरोधी दल के उपनेता ने सामान्य प्रशासन की मांग की आलोचना करते हुये कहा कि मुख्य मंत्री जी ने अपनी मांग पेश करते समय बड़े सुन्दर सुझाव दिये हैं मैं इस मिली जुली नीति का समर्थक नहीं हूं। मैं सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करूंगा और जरूरत हुई तो मैं कटु आलोचना भी करूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य अपनी आलोचना द्वारा सरकार की नीति का सुधार करना होगा और उसको जनहित के लिये अधिक सार्थक और कल्याणकारी बनाना होगा।

हमारी सत्ताधारी पार्टी ने यह घोषित किया है कि उनका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है। इसमें कोई भी दो मत नहीं हो सकते कि शासन रूपी शरीर में सामान्य प्रशासन रीढ़ की हड्डी है लेकिन मैं इस के विपरीत ऐसा समझता हूं कि हमारे शासन में समाजवादी व्यवस्था का समावेश तब तक नहीं होता जब तक कि शासन उस वर्ग को, जिसकी भलाई के लिये और जिस के बल पर यह शासन बना हुआ है, उसको रीढ़ की हड्डी नहीं समझने लग जाता। जब तक शासक अपने आप को रीढ़ की हड्डी समझेंगे तब तक वे समाजवाद की स्थापना समाज में नहीं कर सकते। जब शासन हमारी जनता को रीढ़ की हड्डी समझने लगेगा और जनता भी अपने आपको शासन की रीढ़ की हड्डी समझने लगेगी तब ही मैं समझूंगा कि यहां पर समाजवाद की स्थापना का विचार हो रहा है।

मैं, श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि अंग्रेजी शासन काल में जो हमारे सामान्य प्रशासन का ढांचा था क्या उसमें पिछले १३ सालों में ऐसा कोई परिवर्तन हुआ है कि हम कह सकें कि उसमें समाजवाद का कहीं भी समावेश किया गया है। मैं देखता हूं कि नौकरशाही इतनी टाप हैवी (Top-heavy) अंग्रेजी शासनकाल में नहीं थी जितनी आज है। मैं उदाहरण के लिये एक बात कह देना चाहता हूं। एक मंत्री जी ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा और आवश्यकता पड़ने पर मैं उनका नाम भी लेने के लिये तैयार हो जाऊंगा, उन्होंने मेरे एक प्रश्न का इस सदन में गलत उत्तर दिया। जब उन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि "हमारे सेक्रेटेरियट से जो जवाब लिख कर आया था मुझे वही जवाब देना था। मैं मजबूर था कि मैं वही जवाब दूं। मैं जानता था कि मैं जो जवाब दे रहा हूं वह गलत है लेकिन मैं सेक्रेटेरियट से इतना विवश था कि मैं वही जवाब दे सकता था जो मेरे सेक्रेटरी ने मुझे लिख कर दिया था"। क्या मंत्रिमंडल आज देश पर शासन कर रहा है अथवा यह नौकरशाही? यह एक प्रश्न है जिसे हमें हल करना होगा। जरूरत इस बात की है कि यह ढांचा बदला जाय। इसमें ऐसा परिवर्तन किया जाय कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं और उनके द्वारा मंत्रिमंडल बनाते हैं वे देश को समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाने के लिये देश पर शासन करें, नौकरशाही के दिमाग से प्रेरित हो कर उनके बनाये हुए ढंग से जब तक मंत्रिमंडल चलेगा तब तक, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यहां पर

प्रजातंत्र का एक खिलवाड़ होगा, प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया जायगा और समाजवादी समाज की व्यवस्था की दुहाई दे कर उसका मखौल बनाया जाता रहेगा।

मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले १२ वर्षों में विकेन्द्रीकरण की ओर कौन से कदम बढ़ाये गये जब तक अंग्रेज देश से नहीं गये थे, प्रतिवर्ष कांग्रेस वार्षिक अधिवेशनों में, मंत्रियों की घोषणाओं में और चुनाव के घोषणा-पत्रों में इस बात का उल्लेख क्या नहीं किया करती थी कि हम विकेन्द्रीकरण चाहते हैं, जो सत्ता दिल्ली और लखनऊ में केन्द्रित है उसको जनता के हाथों तक पहुंचाना तथा जिलों में और ग्राम सभाओं में बांटना चाहते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पिछले १२ वर्षों में कौन सा विकेन्द्रीकरण की ओर कदम बढ़ाया गया? क्या पिछले १२ वर्षों में गवर्नर की जगह को खत्म नहीं किया जा सकता था? क्या इस बारे में शासनारूढ़ होने से पूर्व कांग्रेस ने अनेकों बार फैसला नहीं किया कि गवर्नर की जगह मौजूदा शासन प्रणाली बिलकुल व्यर्थ और अनावश्यक है? क्या विधान परिषद् का एक अनावश्यक बोझ जनता की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिये उस के ऊपर नहीं लादा जा रहा है? उस अपर हाउस की अब क्या जरूरत है? अगर कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ाना ही है तो आप इसी सदन के कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ा कर उसकी आवश्यकता को पूरा क्यों नहीं कर लेते? कमिश्नरों के बारे में अनेकों बार यह बात तय की गयी कि कमिश्नर का पद बिलकुल अनावश्यक है। यह एक बीच की कड़ी है कि जो हर वक्त हटाई जा सकती है। और यथा संभव शीघ्र हटानी चाहिये। मेरे एक माननीय मित्र ने मुझ से पहले इस सदन में यह कहा था कि कमिश्नरों की संख्या २० तक बढ़ गयी है अपने प्रान्त में। तो जो पद कम किया जा सकता था उसकी संख्या बढ़ा कर क्या हम जनता की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर रहे हैं? क्या हम शासन को प्रजातंत्रीय शासन बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं?

क्या हम शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं? जिलाधीशों के पदों को मुझ से पहले मेरे बहुत से मित्रों ने अनावश्यक बतलाया है। उन्होंने यह बतलाया कि मुगल सम्राट से भी अधिक अधिकार आज एक जिलाधीश को अपने जिले में प्राप्त हैं। इसलिये मैं कुछ और उनके अधिकारों के बारे में नहीं कहना चाहता, परन्तु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिलाधीशों के पद को हमें कम करना चाहिये। उनके अधिकार जिलों में कम करना चाहिये और उनके कर्त्तव्यों और अधिकारों में परिवर्त्तन होना चाहिये। उनके अधिकार और कर्त्तव्यों दोनों को ही बदलना चाहिये। जब यह होगा तभी हम समझेंगे कि इस तरफ कोई कदम उठाया गया है और हम आगे बढ़े हैं।

एक बात जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलहदा करने की कही गयी है। इसके बारे में मैं भी कहना चाहता हूं कि जूडिशियरी को अलहदा जरूर किया जाय। आपने जुडिशियरी को अलहदा करने का ढोंग किया है लेकिन उसको कलेक्टर के अधीन रक्खा है। जब तक जिलाधीश के अधिकार से जुडिशियरी को अलग नहीं किया जायगा, जब तक उसको जज के अधीन या हाई कोर्ट के अधीन नहीं किया जायगा, तब तक वह व्यावहारिक रूप से अलग नहीं समझी जायगी। अतएव या तो जुडीशियरी को हाई कोर्ट के अधीन कर दिया जाय या कोई नई संस्था कायम की जाय और उसके अधीन उसको कर दिया जाय परन्तु एग्जीक्यूटिव के अधिकार से स्वतंत्र कर दिया जाय, यदि सरकार जन-साधारण को वास्तविक न्याय से वंचित नहीं करना चाहती।

(लाल बत्ती जलने पर।)

मुझे, श्रीमन्, कुछ समय और दिया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें जिलाधीश की डिक्टेटरशिप को रोकना होगा। हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां जिलों में जो एस० डी० एम्स० हैं वे तहसीलों में काम कर। इससे तहसीलदारों के पदों की बचत हो सकती है।

[श्री देवनारायण भारतीय]

इस तरह का सुझाव और भी माननीय सदस्यों ने दिया है। इसी तरह ग्राम सभाओं में सेक्रेटरियों और लेखपालों के पदों को एक कर दिया जाय। उनको भी एक में मिला कर काम चलाया जा सकता है और उससे भी बचत हो सकती है।

मान्यवर, आज भ्रष्टाचार की वृद्धि है जिसका कारण यह नौकरशाही की व्यवस्था है, और जिसका पृष्ठपोषण हमारा मंत्रि-मंडल निरन्तर करता चला आ रहा है। मैं, श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि इस ओर सरकार ध्यान दे। मैं थोड़ी-सी बातें और कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। शाहजहांपुर में प्रायः २० मैजिस्ट्रेट्स हैं जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और हाकिम परगना दोनों का कार्य करते हैं। मैं जानता हूं कि वहां पर भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनी हुई है और मैं उसका सदस्य भी हूं। लोगों की मैजिस्ट्रेट्स में से अधिकांश के बारे में यह राय है कि वे भ्रष्टाचार के समर्थक हैं और दोषी भी हैं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—आपकी क्या राय है?

श्री देवनारायण भारतीय—मेरी भी यही राय है। मैं भ्रष्टाचार निरोधक समिति का सदस्य होने के नाते यह कह रहा हूं।

इसके अलावा, श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां लंच आवर जो हैं, उसका अंत होना चाहिये। मैं नहीं जानता कि प्रान्त के अन्य जिलों में है या नहीं, लेकिन हमारे जिले में है। आज हमारी विधान सभा में भी लंच आवर खत्म कर दिया गया है। किन्तु हमारे जिले के सरकारी दफ्तरों में वह है। इससे कार्य कम होता है। आफिसर्स ११ बजे आते हैं और एक बजे के पहले पहले लंच के लिये चले जाते हैं। फिर वे ३ बजे तक आते हैं।

(इस समय १ बज कर ५९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

मैं एक मिनट और चाहूंगा। अगर यह लंच आवर न हो तो इस समय अधिक काम हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ मैजिस्ट्रेट्स ३ बजे आकर काफी देर तक, सात-सात बजे तक कचहरियों में मुकदमे करते हैं जिससे वकीलों और लिटिगेन्ट्स को परेशानी होती है। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

मैं एक मिसाल अपने जिले शाहजहांपुर की कहूंगा श्रीमन्, कि वहां पर ७ विधायक हैं हमारे यहां और २ पार्लियामेंट के सदस्य हैं,लेकिन हम ९ व्यक्तियों की आवाज मिलकर वह वजन नहीं रखती हमारे जिले में जो एक सरकारी अधिकारी की रखती है, एक एस० डी० एम०, एक कलेक्टर की रखती है। अगर हम ९ आदमी मिल करके जिले में किसी प्रकार के सुधार की बात कहना चाहें तो वह नहीं सुनी जाती और कलेक्टर उसको ओवर रूल कर देता है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कोड बनाया जाय जिससे कलेक्टरों के अधिकार और कर्तव्यों की सीमा बन जाय और साथ ही हम विधायकों के कर्त्तव्यों और अधिकारों की भी सीमा निर्धारित हो जाय ऐसी मेरी प्रार्थना है।

मैं एक लाइसेंस की बात भी कहना चाहूंगा। हमारे जिले में मिसाल के तौर से मैं कहना चाहता हूं कि एक लाइसेंस की दो एम० एल० एज० ने रिकमेंडेशन की लेकिन वह नहीं दिया गया और दरख्वास्त कैंसिल कर दी गयी। कुछ समय के बाद वही दरख्वास्त फिर निकाल करके सेंक्शन की गयी और उस पर जो "कैंसिल्ड" लिखा था वह काट दिया गया। क्या ये बातें इस बात की द्योतक नहीं हैं कि भ्रष्टाचार किस प्रकार पनप रहा है जिले में और उसको पनपाने और बढ़ाने की जिम्मेदारी किस पर है, इसको सभी समझ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब समाप्त कीजिये।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं एक मिनिट और लूंगा, मैं जिले में अधिकारियों के दौरे के बारे में कहना चाहता हूं कि वे बन्द किये जायं। उनसे जनता का कोई लाभ नहीं है और न वे जनता के हित के लिये किये जाते हैं। अधिकारियों को भत्ता अवश्य मिल जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---अब और बात किसी और से कहलाइयेगा। अब समय खत्म हो गया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस समय सदन में मैंने ३ विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की स्पीच सुनी। एक ने तो कहा कि हमारी जितनी सिविल नाफर्मानी है, जितना सत्याग्रह आन्दोलन हम इस वक्त कर रहे हैं उन सब के पक्ष में उन्होंने पूज्य महात्मा जी की चर्चा की। एक दूसरे साहब ने यह कहा कि अनुशासन कम हो गया है पार्टी में, इस वजह से प्रशासन में भी लचरपन आ गया है। एक साहब ने ऐसे आयोग की मांग की जिसका मतलब यह लगाया जायगा कि दूसरी गवर्नमेंट वह फार्म करना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं क्या कहूं? मुझे इस सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना है कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि आज विरोधी पक्ष अत्यन्त लचर है और कमजोर है, इसीलिये हमारी पार्टी ने हमको यह स्वतंत्रता दे रखी है कि हम अपनी गवर्नमेंट की उचित तरह से आलोचना करें और परिणामस्वरूप गवर्नमेंट को हम बहुत स्वस्थ तरीके से चला भी रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह लिख कर दे दिया है आपको या जबानी कहा है पार्टी ने? (हंसी)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---मेरा खयाल है कि १९५२ से आज तक की परम्पराओं को आप देखें तो जितनी आलोचनाएं हम करते हैं अपने पक्ष से, विरोधी पक्ष कर ही नहीं पाता। इन आलोचनाओं को करने का मकसद यह नहीं है कि हम गवर्नमेंट को चलने नहीं देना चाहते। हमारा मकसद बिलकुल वही है कि हम स्वस्थ परम्पराओं को कायम करें, क्योंकि विरोधी पक्ष से जो आलोचनाएं यहां पर होती हैं वह उचित नहीं होतीं। हम वह परम्पराएं कायम कर रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को भी कुछ सहूलियत पैदा हो।

अब श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन और प्रशासन में सारे ही लोग भ्रष्ट हैं, खराब हैं, यह मैं मानने को हरगिज तैयार नहीं हूं। यह सही है कि जितना हम करना चाहते हैं उतना सुधार हम अभी कर नहीं पाये, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि प्रशासन में आज योग्य अधिकारी और कर्मचारी नहीं हैं, और वह शासन का संचालन इस मुख्य नगर से नहीं कर रहे हैं जिससे अच्छी से अच्छी सुविधाएं जनता को प्राप्त हों। ऐसी मिसालें हैं, लेकिन मैं उन अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्णन नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या जरूर कम है, और कुछ संख्या है जो इस प्रजातंत्र के ढांचे में अभी तक अपने को ऐडजस्ट नहीं कर पाये हैं, बल्कि प्रजातंत्र के भार में नियोजित तरीके से फिट नहीं बैठ पाये हैं। उन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु हमारे सामने चारा भी क्या है? यदि हमने अहिंसात्मक तरीके से मुल्क को आजाद कराया है तो हम पुरानी व्यवस्थाओं को भी बदलना चाहते हैं लेकिन हम उनको उखाड़कर फेंकना नहीं चाहते। हमारे सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम प्रशासन के कर्मचारियों को भी उसी नुक्तेनजर का बनाने की कोशिश करें। हमारे नेता जो आज शासन में विराजमान हैं वह उनके दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करें, इससे हमारी बहुत-सी कठिनाइयां दूर हो जायंगी।

श्रीमन्, मुझे नियोजन के सम्बन्ध में कुछ कहना है। इससे पहले भी मैंने प्रार्थना की थी और पुनः उस प्रार्थना को, एक उदाहरण देते हुए, दोहराना चाहता हूं। मैंने पहले भी एक बात

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

कही थी कि हमारे प्रदेश में ग्राम समाज की संस्थायें ७० लाख या ७० हजार के करीब हैं। प्रत्येक ग्राम समाज अपने स्थान पर स्वतंत्र है और वह अपने ग्राम के हित में काम करना चाहती है। मिसाल के लिये, एक ग्राम समाज अपने यहां यह निर्णय ले लेती है कि हमको फलां जमीन उठा देनी है, भले ही उस जमीन में दूसरे गांव का पानी आकर बहता रहा हो, लेकिन जब उसने निर्णय ले लिया तो वह जमीन उठा दी गई और खन्दक और खाइयां बना दी गईं, चाहे उससे दूसरे गांव का कितना ही नुकसान क्यों न हो। मैं इस प्रकार की एक मिसाल अपने यहां जिला सीतापुर में चल रहे एक ब्लाक की बताना चाहता हूं। रामपुर ब्लाक में . . . .

श्री उपाध्यक्ष—किस ग्रान्ट पर आप बोल रहे हैं? नियोजन की ग्राण्ट अभी पेश नहीं हुई है। इस अनुदान का सम्बन्ध कमिश्नरों और जिला प्रशासन से ही है। ६ नम्बर की ग्राण्ट अभी पेश नहीं हुई है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—तो, श्रीमन्, मैं कह रहा था कि प्रशासन में हमारे योग्य से योग्य अधिकारी हैं और ऐसे भी अधिकारी हैं जो अभी तक अपने को इस प्रजातन्त्र के ढांचे में एडजस्ट नहीं कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। जब हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश के मुकाबले में दूसरे प्रदेशों में अधिक लम्बे जुलूस निकले और यहां से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किये गये, लेकिन वहां पर गोली चलाने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी जितनी कि हमारे प्रदेश में पड़ी; तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि क्या हमारे अधिकारियों में प्रशिक्षण की कमी रही या क्या कारण है। आज हमारे प्रदेश में प्रशासन के कर्मचारियों का स्तर गिरता चला जा रहा है, इस ओर हमने इससे पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और आज भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि इस पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो प्रशासन में लगे हुए कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण दिया जाय और यदि उनको दिमागी प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो फिर इस तरह की गोष्ठियों में जहां पर कि प्रजातन्त्र की बात कही जाय, वहां पर उनको समझाना चाहिये और उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिये कि आज से २५ वर्ष पहले जो वे जवाब दिया करते थे वह आज के इस प्रजातांत्रिक ढांचे में मुनासिब नहीं है। उदाहरण के लिये, मैं कहना चाहता हूं कि इसी महीने में ४ फरवरी, १९६० को श्री कालीचरण अग्रवाल, डिप्टी मिनिस्टर, सीतापुर में पधारे थे। वहां पर किसी एक प्वाइंट को लेकर एक थोड़ा-सा हंगामा हो गया था और उससे कम्युनिस्ट दोस्तों ने फायदा उठाना चाहा था। वहां पर एक सिपाही ने बिजली कर्मचारी को मारपीट दिया था, उसी पर सारा मसला पैदा हो गया था। वहां की जनता ने मांग की कि फलां फलां आदमी को मुअत्तल किया जाना चाहिये—मैं सरकारी कर्मचारियों की बात कहना चाहता हूं—तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि मुअत्तल ही नहीं, बर्खास्त करके हम उनको सजा भी देंगे। उनको मुअत्तल कर दिया गया तो फिर सारा आन्दोलन दूसरे दिन अपने आप शान्त हो गया। परन्तु दूसरी ओर आप देखें कि इस तरह के भी लोग थे जिन्होंने अनावश्यक तौर पर गोली भी चलवाई और उसके परिणामस्वरूप लोगों के दिलों में एक कटु यादगार बनी हुई है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब लोग यह कहते हैं कि सारे का सारा प्रशासन अयोग्य है तो कम से कम मेरे गले के नीचे वह बात नहीं उतरती।

एक महोदय ने यह कहा कि हमको यह मालूम ही नहीं हुआ कि सरकारी ढांचे में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। मैं उनकी बुद्धि की तारीफ नहीं करना चाहता। यदि पिछले १२ वर्षों में उनको यह पता ही नहीं चला कि हमारे ढांचे में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं, तो मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो यहां पर इतने लोग कैसे आकर बैठे हैं। क्या कभी इसके पहले, जब परिवर्तन नहीं था, चुनाव द्वारा यहां आकर हम लोग बैठे थे और इस प्रकार की आलोचना और प्रत्यालोचना की थी और शासन को चलाने के सुझाव दिये थे? अगर कोई जानते हुए भी यह कहे कि हम नहीं

जानते, तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। हां, यह जरूर है कि परिवर्तन और होना चाहिये। उसका प्रयत्न किया जा रहा है। उसके लिये सुझाव दिये जा सकते हैं और देने चाहिये। हम लोग देते भी हैं।

विकेन्द्रीकरण की बात कही गई। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह देना काफी समझता हूं कि गांव सभाओं के लिये लगभग ५० लाख रुपया चुनाव के लिये रखा गया है और उनके अधिकार बढ़ाये जा रहे हैं। क्या यह परिवर्तन का द्योतक नहीं है? जनतंत्र पर लोगों के विश्वास में मुझे कुछ कमी अवश्य महसूस हो रही है और उसके लिये अधिक परिवर्तन होना चाहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नारायण दत्त जी तिवारी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत मजबूर हूं कहने के लिये, और मैं उन लोगों को बधाई भी देता हूं, कि जिन ९८ विधायकों के ऊपर से डर का डंडा पेंशन पाने लगा है। वे साफ बात कहने के लिये मैदान में आने लगे हैं। झगड़ा यही था कि साफ बात कहने की इजाजत मिले। मगर नहीं मिली और इसीलिये सरकारी ग्रुप में दो फांकें हो गईं और उन्होंने अपने आप वे हक हासिल कर लिये जिनके लिये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सामान्य प्रशासन के बारे में जो चर्चा हुई उस पर मुझे एक बात याद आती है। एक चारपाई बिनी गई और लोगों ने उस पर बैठना शुरू किया। बैठते बैठते वह इतनी ढीली हो गई कि जमीन पर लगने लगी। कारण केवल यही था कि उसकी अर्दवायन नहीं खींची गई थी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब आगे ढीली नहीं होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास तो इतने डाक्टर और वैद्य हैं और अगर वह भी उसे ठीक नहीं कर सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये।

आज, उपाध्यक्ष महोदय, शासन इतना ढीला हो गया है कि जब हम किसी अधिकारी को टेलीफोन करते हैं तो चपरासियों को ऐसी ट्रेनिंग दे दी गई है कि यदि नागर जी का फोन हो तो कह देना कि साहेब नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी आवाज बदल कर बोला करें। (हंसी)

श्री शिवप्रसाद नागर—हां, अब यही करना पड़ेगा। आपने तरकीब अच्छी बता दी है।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बड़े अधिकारी दौरे पर जाते हैं और जनवरी फरवरी का महीना होता है तो बाग में कैम्प लगता है और जाड़े में बिचारे छोटे कर्मचारी वहां पड़े रहकर रात काटते हैं। अगर आंधी या तूफान या वर्षा आई तो वे फाइलों को अपने कलेजे से लगाये पड़े रहते हैं और बड़े साहब जाकर दूसरी जगह आराम फरमाते हैं अगर २० मील उत्तर की ओर दौरे पर जाना होता है तो २० मील दक्षिण के लोगों के केसेज वहां लगा दिये जाते हैं, जिससे वे बेचारे सायल शाम को ४० मील चल कर अपने घर वापिस नहीं पहुंच पाते हैं और रास्ते में क़त्ल होते हैं और ३०७ और ३०२ व ३०४ के मुकदमे बनते हैं। सन् ४७ से ५७ तक के आंकड़े बताते हैं कि गजेटेड अफसरों की संख्या २/३ बढ़ी है जबकि छोटे कर्मचारियों की संख्या केवल १/३ बढ़ी है। छोटे कर्मचारियों के सिर पर डंडा लटका रहता है कि १ महीने का नोटिस देकर अलग किया जा सकता है। वे इससे २४ घंटे परेशान रहते हैं और खाना व पानी का घूंट उनके गले से नहीं उतर पाता है। अभी कल ही यहां उत्तर मिला था कि एक पंजाबी लिपिक को हटा दिया गया क्योंकि उसने किसी

[श्री शिवप्रसाद नगर]

अफसर की पोल खोल दी थी और जब पूछा गया तो उत्तर मिला कि वह झगड़ालू था, इसलिये हटा दिया गया। जो ईमानदार होगा वही झगड़ा करने की हिम्मत रखेगा; बेईमान चापलूस होते हैं और आपके पीकदान उठाते हैं।

मैं, मिसाल के तौर पर, दो ही विभागों के बारे में यहां कहना चाहता हूं। एक स्टैटिस्टिक्स विभाग है जिस पर सरकार का सारा दारोमदार है। इसमें जितने सर्वे हुए उनमें से केवल ५ फीसदी छापे गये हैं और ९५ फी सदी रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये। ५ फीसदी भी ८,१० वर्ष बाद छापे गये। इसकी वजह यह है कि उसके डाइरेक्टर महोदय अनट्रेंड हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स कैसे बनाये जाते हैं और उसकी प्रक्रिया और टैक्नीक क्या है। इस विभाग में एक चपरासी बीमार हुआ, सारे चपरासियों ने मिलकर १४५ रुपया जमा किये कि उसे घर भेजा जाय। इस पर चपरासियों को कहा गया कि आयन्दा ऐसा करोगे तो निकाल दिये जाओगे। आज तक इस विभाग में सेवा के नियम नहीं बने हैं और न सीनियारिटी लिस्ट बनी है। इस विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर ने २४ हजार रुपये हाउस लोन ले रखा है और ५ वर्ष तक किस्त अदा नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष---प्राप प्रिविलेज आफ स्पीच का इतना नाजायज फायदा न उठावें।

श्री शिवप्रसाद नागर---एक क्लर्क ने इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो उसे मुअत्तल कर दिया गया।

एक बार गोंडा में माननीय मंत्री चरण सिंह जी गये। जब वह वहां से चलने लगे तो जिलाधीश से कहा कि हमारा बिल लाओ। जिलाधीश ने २०० रुपये का बिल दिया। मंत्री जी ने कहा कि हमने तो केवल आध सेर दूध ही पिया था, यह २०० रुपये का बिल कैसा। तो जिलाधीश महोदय ने कहा कि आपके साथ जो और लोग हैं उनका भी खाना पीना इत्यादि इसमें शामिल है। वह ईमानदार मंत्री माने गये हैं, विरोधी पक्ष के लोग भी उन्हें बहुत ईमानदार कहते हैं और उनके साथ जिलाधीश का यह व्यवहार चरण सिंह जी ने इस बात को गवारा नहीं किया कि उनके खर्चे में जिलाधीश २०० रुपये खर्च करें। परन्तु उन्होंने २०० रुपये के बिल का पेमेंट किया और हिदायत की कि इस तरह का कोई खर्चा आयन्दा से न किया जाया करे। तो इस प्रकार से प्रशासन के लोग कैम्प और खातिरदारी करके लोगों के कृपापात्र बनते हैं।

अब मैं टार्गेट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल गबन भी प्रेक्टीकल हो गये और चोरी भी प्रेक्टीकल हो गयी है। हर साल कितने ही ऐसे केसेज हमारे सामने आते रहते हैं। यह आम बात हो गई है। हर मर्तबा, हर प्रतिवेदन में ये चीजें आने लगी हैं। मेरे जिले का १६ लाख एकड़ का रकबा है। एक तहसील उसकी ८८ मील लंबी है, जिसमें से ८४ मील के करीब अनडेवलप्ड है। डेवलपमेंट हो रहा है बनारस में क्योंकि वहां के मिनिस्टर हैं। बिजनौर में हुआ है क्योंकि वहां के मिनिस्टर रहे हैं और हमारे यहां अब भी रेगिस्तान बना हुआ है, अभी तक धूल उड़ती है।

जिलों का पुनर्गठन करना भी बहुत जरूरी है। कई जिले तो बहुत बड़े हैं और कई जिले बहुत छोटे हैं। लखीमपुर का ८४ मील का रकबा है और लखनऊ भी वहां से ८४ मील है। इधर जाइये तो ८४ मील और उधर जाइये तो ८४ मील। इसलिये जिलों का पुनर्गठन होना बहुत जरूरी है। हर परगनाधीश का अड्डा जिले में ही रहता है। उनके जो दौरे होते हैं उसके बारे में मेरा सुझाव है कि परगनाधीशों का हेडक्वार्टर तहसीलों में होना चाहिये, जिससे तहसीलों के कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार होता है वह बन्द हो सके।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो सामान्य प्रशासन की मांग प्रस्तुत की गयी है, उसमें मैं औचित्य पाता हूं, इसको तथ्यपूर्ण

पाता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव है उसमें कोई सार नहीं देख रहा हूं। इस अवसर पर सामान्य प्रशासन के संबंध में वादविवाद चल रहा है, उसके बारे में कुछ सुझाव देना मैं अपना कर्त्तव्य मानता हूं। बजाय इसके कि धूंआधार धारा प्रवाह व्याख्यान प्रदेश के बारे में दूं जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो, मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। अगर माननीय मंत्री जी उसको नोट करके मुख्य मंत्री जी तक पहुंचाने की कृपा करेंगे तो मैं बड़ा कृतज्ञ हूंगा।

उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला सबसे बड़ा और ६ तहसीलों का जिला है। किन्तु प्रशासन और सुरक्षा की दृष्टि से तथा और दृष्टियों से भी इन ६ तहसीलों का जो उत्तरी क्षेत्र है और जो नैपाल की सरहद पर है उसका एक जिला बन जाना उत्तम है। बस्ती जिले में एक स्थान बढ़नी है जिसको केवल गोंडा और गोरखपुर होकर ही जाया जा सकता है और दूसरी तरफ से पहुंच ही नहीं सकते। वहां अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन कोई वहां पहुंच नहीं पाता है, इसलिये उनके लिये कोई रोक नहीं है। अगर कोई अफसर ईमानदारी से काम करना भी चाहे तो वायरलेस न होने से काम नहीं कर सकता। नैपाल के अन्तराल में देवखर, सलाने और पीठोर आदि ऐसे स्थान हैं जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है। अंग्रेजों ने आगामी दृष्टि से इस बात को सोचा था और नैपाल के १०–२० गज के फासले पर ही उन्होंने एक लूप लाइन डाल दी थी। हम को भी उधर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस ओर विचार देना होगा।

काफी चंचलता नैपाल में है। कोइराला ब्रदर्स के प्रति आदर का भाव रखते हुये भी मैं कहना चाहता हूं कि नैपाल के वातावरण में काफी चंचलता है। हमारी भारतीय सरकार ने नैपाल के साथ बहुत ही मित्रता का व्यवहार किया है और उसे हर तरह से मदद दी है और देती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नैपाल के बार्डर पर अच्छा शासन स्थापित करने के लिये नौगढ़, डुमरियागंज, बांसी, गोंडा का कुछ हिस्सा तथा गोरखपुर का कुछ हिस्सा लेकर वहां एक जिला स्थापित कर दें तो वह बहुत ही उद्देश्यपूरक होगा क्योंकि वहां पर बनबांस, फलादि बहुत से होते हैं जिससे उस भाग और सारे उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंच सकता है। सरकार अगर इसमें शिथिलता करेगी तो बाद में किसी न किसी प्रकार विवश होकर उसे यह चीज करनी पड़ेगी लेकिन तब बहुत बिलम्ब हो जायगा और वह उतना उद्देश्यपूरक नहीं होगा। यह एक बहुत ही आवश्यक बात थी जिसको मैं सरकार की नजर में इस प्रकार से लाया हूं।

दूसरी बात यह है कि बस्ती जिला बड़ा है इसलिये वहां ए०डी०एम० प्लानिंग और ए० डी०एम० एग्जीक्यूटिव होने चाहिये, क्योंकि वहां पर ३२ ब्लाक्स हैं और सब जगह अच्छी तरह से काम हो नहीं पाता है। वहां के लोग इस चीज के लिये शोर नहीं करते हैं इस वजह से सरकार की दृष्टि धुंधली होने की वजह से उसे दिखलायी नहीं पड़ती है। इसलिये सरकार को वहां की जनता की इस जरूरत की तरफ ध्यान देना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को, चाहे वह चकन्दी में हो या कहीं भी हो, ३ वर्ष से ज्यादा एक जगह नहीं रहने देना चाहिये। क्योंकि एक ही जगह अधिक दिन रहने से उनके मित्र तथा शत्रुओं की सूची बड़ी लम्बी हो जाती है, जिससे वह सही तरीके से कोई काम नहीं कर पाता है। जो काम वह करना चाहता है, उसमें भी शिथिलता आ जाती है जिससे उसे भी वह नहीं कर पाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

करप्शन के संबंध में मुझे यह कहना है कि यह भी करप्शन का ही एक अंग हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कानून कायदे चाहे कितने ही अच्छे हों लेकिन उसका एग्जीक्यूशन ठीक से न हो तो वह करप्शन को रोकने में बाधक कानून हो जाता है। हमारे यहां का जो इंडियन एविडेंस ऐक्ट है वह करप्शन को रोकने में बहुत बाधक हो रहा है। खास कर मैं वकील साहबान का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हस्ताक्षर कराकर किसी को नोट आदि

[श्री रामलखन मिश्र]

देकर जो पकड़वाने की बात है वह भी अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा करप्शन के अपराध के रूप में संकेत हुआ है। हमारे यहां का कानून कायदा ही ऐसा है जिससे करप्शन को दूर करने में बड़ी दिक्कत पड़ा करती है।

आपको बतलाऊं कि एक इजलास में पेशकार इजलास के सामने ही एक मुवक्किल से रुपया ले रहा था जो नीचे गिर पड़ा। उसकी आवाज आ गयी और सबों ने देख लिया कि एक आफिसर के सामने यह बात हुई। उस पेशकार के ऊपर मुकदमा चला लेकिन हाई कोर्ट से वह छूट गया। कारण यह था कि एक वकील साहब ने कानून की किताब द्वारा यह साबित कर दिया कि चूंकि मुवक्किल जान गया कि मुकदमा उसके पक्ष में हो रहा था इसलिये उसने यह पारितोषिक के रूप में दिया और वह भ्रष्टाचार की परिभाषा में नहीं आता। मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से मुकदमे हुए जिनमें अपराधी आगे चल कर छूट गये। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो इस समय सेंटर में हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा चला और सेशन जज ने अपने यहां से सजा भी कर दी लेकिन हाई कोर्ट में जाकर न मालूम क्या हुआ कि वे बिलकुल छोड़ दिये गये। यह मुद्रा भवानी का ऐसा प्रताप है कि उसकी वजह से इस तरह की सारी चीजें हो जाती हैं। अगर सड़क पर कोई चीज हो, अगर जबरदस्ती रिश्वत ली जाती हो तो उसे तो जाना जा सकता है। किस तरह से किसी राज्य कर्मचारी को दंडित किया जाय, किस तरह से वह पकड़ में आये जब चुपके से देने वाले देते हैं और लेने वाले लेते हैं? कोई पकड़ में नहीं आता और अधिकतर केसेज में वही साक्ष्य कानून हिमालय की तरह हमारे रास्ते में आता है जबकि हम जानते हैं कि बात सच्ची है, देखते हैं कि बात सच्ची है। इसलिये सदन को इस संबंध में विचार करना चाहिये कि इस साक्ष्य कानून के बारे में कोई व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें सुनी हुई बात या शहादत किसी तरह से मानी जा सके या ऐसी ही कोई और चीज हो जिससे आसानी से गलत काम करने वाले पकड़ में आ सकें।

जो हमारी एन्टीकरप्शन कमेटियां हैं, वे भी अब हास्यास्पद सी हो गई हैं। उनमें बैठते भी हैं, जानते भी हैं, बहुत सी बातों को, वहां पर कर्मचारी और उनका एक सुनियोजन रहता है, एक क्लर्क भी वहां रहता है जो तमाम सम्वाद सबको दे देता है।

जहां तक रेवेन्यू विभाग की बात है, बस एक दो रुपये के मामले रहते हैं, बार बार वैसी ही चीज आती हैं तो उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन जो दूसरे विभागों के या बड़ी रकमों के मामले होते हैं वे पकड़ में नहीं आते, छोटे कर्मचारी ही हमेशा पकड़ में आते हैं। २ रोहू मछली और २५ मुद्रा अगर दे दिया तो काम हो जाता है, तो केवल छोटे नीचे के कर्मचारियों का ही प्रश्न नहीं है, मैं नहीं कहता कि हमारे यहां ऐसे अफसर नहीं हैं जो ईमानदार हैं और परिश्रम से कर्तव्य का पालन करते हैं, सरकार भी वार लेविल पर कार्य कर रही है लेकिन हमारे जो उच्च कर्मचारी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा कुछ किन्हीं सर्कुलर के द्वारा या जैसे भी हो, वह तो स्वयं शासन के कार्य में निपुण हैं, ऐसा करें कि कुछ नियंत्रण का केंद्र अलग अलग पदों का बदलें, कुछ कैरेक्टर रोल दूसरों के हाथ में दें। जैसे सब-इंस्पेक्टरों का विषय है या सुपरिंटेंडेंट के रोल की बात है। मेरा सुझाव है कि सब-इंस्पेक्टरों का कैरेक्टर रोल एस०डी० ओ० को लिखना चाहिये और एस०पी० का कैरेक्टर रोल कमिश्नर लिखें।

आज जिलाधीश एस०पी० का गुलाम हो रहा है। सारे काम कलेक्टर के मत्थे हैं। काम करने की स्वतंत्रता हर आदमी को होनी चाहिये। हो सकता है कि इस पर विवाद हो फिर डी०आई०जी० का कौन लिखे, लेकिन इस तरह का कुछ परिवर्तन हो कि अधिक सुचारु रूप से कार्य संचालन हो। यही मेरा आशय है। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से ईमानदार अफसर भी हैं और प्रयत्न भी हो रहा है और शासन की तरफ से भी सुन्दर व्यवस्था हो रही है परन्तु हमें भ्रष्टाचार के संबंध में अभी सविचार देखना होगा, इस दृष्टि से नहीं कि हम कोई वितंडा उप-

स्थित कर दें जिसमें कोई लाभ न हो बल्कि ठंढे हृदय से विचार करना होगा और कोई सुन्दर मार्ग निकाल कर उसका अनुसरण करना होगा। इस अर्थ संचालित संसार में वैसे तो जीवन का जो लक्ष्य है और जो हमारा मानसिक धरातल है वह केवल एक ही वस्तु में संलग्न दिखाई देता है कि किसी तरह से मुद्रा प्राप्त करो। यह दृष्टिकोण भी हमारे सामने एक मुख्य बाधा बन गया है। इस स्थान से मस्तिष्क को हटाने के विषय में भी शासन को कुछ विचार करना चाहिये, जीवन कितना भौतिक बातों की तरफ अग्रसर होता जाता है, जो एंद्रियता है उस के कारण हम आज करप्शन को दूर करने में असमर्थ हो रहे हैं। सुन्दर से सुन्दर कानून लिखने वाले लिखते और बनाते हैं लेकिन जब वह कार्यान्वित होने जाता है तो उस मानसिक धरातल पर हम समाज को वह चीज नहीं दे पाते जिसकी हम उससे आशा करते हैं। इन शब्दों के साथ, मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपनेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जो दोनों तरफ के विवाद हुए हैं उनको सुनकर मुझे यह अन्दाजा हुआ है, और मैं माननीय ताराचन्द माहेश्वरी का बड़ा आभारी हूं, कि उन्होंने यह चीज साफ कर दी है कि आज सत्ता पक्ष के लोग भी काफी विरोध प्रकट कर रहे हैं और काफी कटु आलोचना कर रहे हैं सरकार की। उन्होंने हम पर यह आरोप लगाया है, विरोधी पक्ष पर, कि विरोधी पक्ष अपना फर्ज नहीं अदा कर रहा है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से अपनी तरफ से यह कह देना चाहता हूं कि जब विरोधी पक्ष ने यह देख लिया कि आज सरकारी पक्ष या सरकार ऐसी हो गई है या इस फौज का कमांडर ऐसा हो गया है जो अपने सिपाहियों की बातों को, उनके सुझावों को मानने के लिये तैयार नहीं है सरकारी पक्ष के लोग सरकारी बुराइयों को बताते हैं उनपर भी सरकार ध्यान नहीं देती, तो फिर विरोधी पक्ष क्या करे? जहां तक हो सकता है, सुझाव पेश करते हैं लेकिन मन में तो यह बात रहती ही है कि यह सरकार नौकरशाही के हाथों में इस तरह से बंध गई है कि अपने साथियों के सुझावों को और उनके दुख और कष्टों को सुनकर भी कोई ध्यान नहीं देती है।

श्रीमन्, इस सदन में जिक्र चला कि फिजूलखर्ची इस प्रशासन में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है; बड़े ऊंचे स्तर पर इसकी बातें चली हैं। किफायत की बात आई और ऐलान हुआ कि अधिकारियों के पास जो फिजूल की मोटर हैं, वे हटा ली जायंगी। उसका जो नतीजा हुआ वह तो अपनी जगह पर सभी को ज्ञात है। किफायतशारी के लिये सिर्फ अर्दलियों और चपरासियों की बात सोची गई कि जिसके यहां ज्यादा हैं और किस तरह से उनको कम किया जाय। सारा असर उन पर पड़ा, ऊंचे अधिकारी पर कुछ नहीं पड़ा। अगर किसी को सर्विस देनी हुई तो उसके लिये जगह क्रिएट कर ली जाती है। डिप्टी के बाद एडीशनल बना दिया जाता है। मैं यह कहूंगा कि फिजूलखर्ची कम की जाय। वह नीचे के कर्मचारियों द्वारा खत्म नहीं होगी बल्कि ऊंचे अधिकारी जो आज पानी की तरह बढ़ रहे हैं, जिनकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाय और उन्हें कम किया जाय।

मेरे खयाल से दो खर्चे तो बहुत ज्यादा हैं। सरकारी पक्ष भी उसको अच्छी तरह नहीं समझ सका कि वह ठीक है, जायज हैं, उनकी कोई जरूरत है। राज्यपाल महोदय और कमिश्नर साहबान पर जो खर्चा हो रहा है, बिलकुल फिजूल है। एक जमाना था कि इसी कांग्रेस सरकार ने तय किया था कि कमिश्नर का पद हटा दिया जाय। तय नहीं किया बल्कि हटा दिया। आज वे फिर इस सरकार में दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। मालूम हुआ कि और बढ़ाये जा रहे हैं। तो मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से और खासतौर से मुख्य मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस तरफ विशेष ध्यान दें और इस फिजूलखर्ची को खत्म करें।

[श्री अब्दुल रऊफ़ लारी]

पिछले सालों में जो १०० रुपये से कम पाने वाले कर्मचारियों को दो रुपया या चार रुपये बढ़ाने की परम्परा पड़ी थी वह भी इस साल बन्द कर दी गई है। मैं कहूंगा कि जो फिजूलखर्ची हो रही है उसको हटाकर वह पैसा कम वेतन पाने वालों में लगाते तो बहुत ही अच्छा होता। १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके वेतन को १०० रुपये तक पहुंचा देते तो बहुत ही अच्छा होता।

श्रीमन्, एस०डी० ओज० तहसीलों के हाकिम होते हैं। तहसील का काम उनके जिम्मे होता है, लेकिन रहते हैं जिले के अन्दर। मुकदमे भी जिले में देखते हैं। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि अब वह समय आ गया है जबकि एस०डी०ओज० को हफ्ते में कम से कम ४-५ दिन तहसीलों में रखा जाय। जो मुकदमे सामूहिक रूप से गांवों के आते हैं उन्हें वहीं गांवों में ही सुने तो सही माने में प्रजातंत्र होगा और लोग महसूस करेंगे कि वाकई कुछ सहूलियत मिल रही है। देखा यह जाता है कि एक एक गांव के बीस बीस मुकदमे हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो पैदल चलकर जिले में जाते हैं और सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, पुकारा तक नहीं जाता। जो दक्षिणा का रिवाज है, वह देने के बाद शाम को तारीख मिल जाती है और किसान अपने घर लौट आते हैं। मैं इस तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि वह देखें कि तहसीलों में मुकदमों में किस कदर तारीखें पड़ रही हैं। कितनी ज्यादा तारीखें पड़ती हैं और जो दुखी आदमी है उसको कितना दौड़ना पड़ता है। मुकदमों का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस तरफ विशेष रूप से माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

अभी मैं अपने गोरखपुर जिले की बात बताऊं। हाल में सीलिंग का वक्त जब आया तो बड़े जोरों से जमींदारों ने अपनी जमीनें निकालनी शुरू कीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि रजिस्ट्रेशन की बाढ़ सी आ गई और उसके अमलदरामद के लिये हाकिमों के पास मुकदमें दाखिल होने लगे। मेरी तहसील में एस० डी० एम० के यहां १००, १५० मामले रोज रहते थे और रोज रात के ११, १२ बजे तक उनके इजलास में लेन देन का बाजार गरम रहता था और हाकिम परगना के लिये रास्ता चलते घूस की शिकायतों के किस्से सुन सुन कर सभी जन कार्य-कर्त्ताओं के कान पक गये। जब जांच करायी गई तो पता लगा कि अमलदरामद के सैकड़ों मामलात सिर्फ इस वजह से कि ६ महीने से ज्यादा का समय होगया था खारिज कर दिये गये, जिन्हें किसानों द्वारा फिर से नये सिरे से खर्चा करके दाखिल किये गये। नतीजा इसका यह हुआ कि लोगों को बड़ी परेशानी हुई, फिर से पैसा खर्च करके वकालतनामे, मुख्तारनामे और कागजात दाखिल करने पड़े। गोरखपुर जिले में ४००, ५०० केसेज ऐसे होंगे जिनके अन्दर यह अन्याय हुआ है। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि उनके पास डेफिनिट शिकायतें आवें तो वे उनकी जांच करायेंगे और कराते हैं मैं भी उनसे शिकायत के रूप में ही कह रहा हूं कि वे इस बात का पता लगावें कि ८,९ महीने पहले अमलदरामद के कितने मुकदमे किस तरह गोरखपुर में चल रहे थे और आज उनकी क्या दुर्दशा है, वह किस प्रकार खत्म हुए हैं।

श्रीमन्, जो पाशविक अत्याचार सरकारी कर्मचारियों द्वारा हो रहा है उसका उदाहरण कानपुर में देखने को मिल चुका है और वहां ज्यादा लोगों की जानें भी गईं। लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह केवल एक ही जगह नहीं हुआ बल्कि न मालूम सैकड़ों की तादाद में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पाशविक अत्याचार जिलों में अनेक जगह हो रहे हैं। लेकिन मुझे दुख है कि जब हम लोग सरकार से शिकायत करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और हर मामले को सरकारी पक्ष के लोग और उच्चाधिकारी प्रेस्टीज का प्रश्न बना करके उसको गढ़े में डाल देते हैं, नतीजा यह होता है कि जन-प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती और कर्मचारियों के अत्याचार और बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें और अपने खास आदमियों के द्वारा इन

चीजों का पता लगायें और जो पाशविक अत्याचार किसानों की बहू बेटियों पर हो रहे हैं उनके लिये उनको सजा दें ।

उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी जमाने में कलेक्टर जिले में सीजनल दौरा करने जाते थे और गांवों में किसानों से मिलकर अलग बातें पूछ कर वहां के हालात मालूम करते थे । लेकिन दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि आज वह रवैया बदला जा चुका है । कलेक्टर कहीं भी दौरे में नहीं जाते हैं और अगर जाते भी हैं तो किसी मुख्य स्थान पर जा करके लौट आते हैं । उनको देहातों में जाना चाहिये और जनसम्पर्क स्थापित करना चाहिये । अगर ऐसा नहीं होता तो जो बुराई बढ़ती जा रही है वह बढ़ती रहेगी और मालूम नहीं कहां जा करके इसका अन्त होगा । नतीजा यह होगा कि लोगों का धैर्य छूट जायगा और इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होगा जो प्रजातन्त्र पर जनता का विश्वास उठ रहा है वह बिलकुल उठ जायगा और इस दोष की भागी यही सरकार होगी ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं हमारे नागर जी ने एक बात कही कि प्रशासन के लोग जो हैं वे इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि वे जमीन पर आ गये । तो यह बात ठीक है कि प्रशासन जिनके हाथ में हो वह हवा में और आसमान में लटक कर न चलें और जमीन पर रहें और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वे जमीन पर आ गये ।

अंग्रेजी सल्तनत के बाद जो लोग शासन में थे वे हमको आज विरासत में मिले हैं । सारी खराब चीजें एकदम से हल नहीं की जा सकतीं और धीरे-धीरे प्रयत्न किया जा रहा है और उस तरफ प्रगति हो रही है । न तो इस तरफ के बैठने वाले और न उस तरफ के बैठने वाले इसको स्वीकार करेंगे कि जो प्रशासन चल रहा है उसमें कोई खराबी नहीं है । खराबी है, उसको ठीक करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं । लेकिन यह भी है कि सारा का सारा प्रशासन निकम्मा और खराब है, ऐसी बात नहीं है । अभी हमारे लारी साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार की बात सुनते सुनते उनके कान पक गये हैं, शायद अन्य बात सिवा भ्रष्टाचार के वह सुनना पसन्द ही नहीं करते ।

श्री अब्दुलरऊफ़ लारी--इसलिये मैंने कहा कि जिस खास मौके पर वह चल रहा था, वहां आना जाना मुश्किल हो गया था ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--जो अच्छाइयां हैं उनकी तरफ भी हमारी आंख व कान होने चाहिये । प्रशासन के बारे में जो खर्च है निश्चित रूप से यह बात सही है कि कुछ हमारा बोझ बढ़ता चला जा रहा है । कमिश्नरों के पद बढ़ते चले जा रहे हैं । प्लानिंग को ले लीजिये या सहकारिता को ले लीजिये, ये विभाग हमारे जिले में विभागीय स्तर पर हैं तो उनका सीधा सम्पर्क हमारे प्रदेशीय अधिकारी से होना चाहिये । बीच की कड़ी का बोझ बढ़ता जा रहा है, इसको समाप्त कर देना चाहिये ।

अभी कुछ जिले बढ़ाने की बात भी कही गयी । झांसी जिला इस प्रदेश का बहुत लम्बा जिला है । १५०, १७५ मील लम्बा जिला यह फैला हुआ है । जनसंख्या कम है लेकिन प्रशासन की दृष्टि से बड़ी अव्यवस्था चल रही है । डकैतियां, कत्ल तथा अन्य प्रकार का भ्रष्टाचार वहां व्याप्त है । प्रशासन को जितना काबू उस पर पाना चाहिये उतना इस लम्बे चौड़े क्षेत्र की वजह से नहीं पा पाता है । इसलिये पिछले कई वर्षों से वहां के लोगों ने यह मांग कर रखी है कि ललितपुर को झांसी जिले से अलग कर देना चाहिये और अलग जिला बना देना चाहिये चाहे उसकी आबादी कम हो, लेकिन क्षेत्रफल से काफी लम्बा जिला यह बन जायगा । वहां की कठिनाइयों का खयाल करते हुए और आबादी कम होते हुए उस मांग को स्वीकार

[श्री सुधाभाप्रसाद गोस्वामी]

किया जाना चाहिये और एक अलग जिला बना देना चाहिये। जब कानपुर से लखनऊ तक तीन जिले हैं तो हमारी बात भी उचित है।

हमारे जिले की हालत यह है कि तहसील के सदर मुकाम पर जाने के लिये ४०--५० मील जाना पड़ता है जबकि अधिक से अधिक २०, २५ मील की तहसील होना चाहिये। अभी कुछ साथियों ने सब-डिवीजन अधिकारियों के हेडक्वार्टर के बारे में चर्चा की। वहां तीन एस० डी० ओज० हैं। दो तो तहसील हेडक्वार्टर पर रहते हैं लेकिन गरौठा व मऊ का एस० डी० ओ० झांसी में रहता है और गरौठा तहसील के लोगों को झांसी पहुंचने के लिये ७०--८० मील का रास्ता रेल, मोटर और बैलगाड़ी, तीन-तीन सवारियों में तय करना पड़ता है। आज झांसी में अनेकों जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मुंसिफ आदि के कोर्ट ऐसे हैं जिनके लिये बैठने का भी स्थान नहीं है और बरामदों और मोटर गैरजों में सेशन्स जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, मुंसिफों के कोर्ट लग रहे हैं। कहा जा सकता है कि मऊरानीपुर में इमारतों की कमी है, तो झांसी में भी इमारतों की कमी है। मऊरानीपुर में तो डेवलपमेंट ब्लाक्स की बहुत-सी इमारतें खाली पड़ी हैं। यह तो मुझे तहसीलों के बारे में कहना था।

विकास का जो क्षेत्र है उसको भी बहुत लम्बा चौड़ा न कर के छोटे-छोटे एरिया में बांटना चाहिये। आज एक-एक विकास क्षेत्र में ३०--३० मील दूर ब्लाक डेवलपमेंट आफिस पड़ता है। इसलिये विकास क्षेत्रों को छोटा करने की आवश्यकता है, चाहे वहां आबादी कम ही क्यों न हो।

छोटे छोटे कर्मचारियों के वेतन के बारे में चर्चा की गयी। उनका वेतन बढ़ना चाहिये और उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जानी चाहियें। यह सही है कि आज हमारे गांवों में लेखपाल, ग्राम सेवक आदि छोटे-छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े-बड़े कर्मचारी भी उसी हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। आज लेखपाल, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी और ग्राम सेवकों को ४--४, ६--६, ८--८ गांव दिये हैं। भले ही उनको दो-दो गांव दिये जायं लेकिन प्रशासन की दृष्टि से उनका एकीकरण कर दिया जाय ताकि काम सुविधा से चल सके। आज गांव पंचायत के प्रशासन का हाल यह है कि एक सेक्रेटरी अनेक गांव पंचायतों का सेक्रेटरी होता है, गांव समाज का मंत्री लेखपाल है, वह ग्राम समाज के कागजात अपने कब्जे में रखता है मगर उसकी तैनाती रोज तहसील के सदर मुकाम पर होती है जिसकी वजह से उन पंचायतों का काम ठीक से नहीं चल पाता है।

मेरी एक प्रार्थना और है। हमारे प्रशासन के अधिकारियों का जनता में चन्दे के लिये जाना कुछ उचित नहीं है। पिछले कई वर्षों से बुन्देलखंड विकास प्रदर्शिनी लग रही है। उसके नाम पर सिटी मैजिस्ट्रेट और दूसरे अधिकारी जनता से चन्दा मांगने जाते हैं। उनके जाने से जनता भय और दबाव के कारण चन्दा देती है, जिससे प्रशासन बदनाम होता है। इसलिये चन्दे के काम से प्रशासन के अधिकारियों को पृथक् कर देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

रघुरनतेज बहादुरसिंह (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से पेश किया गया है और जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि ५०० रुपये से जो अधिक वेतन पा रहे हैं उनका D. A. तथा T. A. न दिया जाय, प्रशासन का अपव्यय तथा अव्यवस्था बन्द की जाय, तथा शासन प्रणाली में सुधार किया जाय, इसके समर्थन हेतु मैं खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, जो बड़े-बड़े कर्मचारी हैं उनकी लम्बी तनख्वाहें हैं, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों की तरफ सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दे दूं। अगर किसी किस्म की शिकायत की जाय, किसी प्रशासकीय जांच के लिए तो चाहे सरकार को दरख्वास्त दी जाय, चाहे कमिश्नर या कलेक्टर को दी जाय घूमफिर कर अगर वह माल का मामला है तो वह लेखपाल के पास पहुंचेगी और अगर पुलिस

का मामला है तो थानेदार तक पहुंचेगी। जो उनकी रिपोर्ट आयेगी और जो क्लर्क लोग छाप कर दे देंगे वही डिटो होकर यहां आ जाता है। जब कुल काम छोटा कर्मचारी करता है तो इन बड़ी-बड़ी तनख्वाह वालों की क्या आवश्यकता है? क्यों इनको इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें दी जायं? उन्हीं छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें क्यों न बढ़ा दी जायं जिससे वे झूठमूठ की रिपोर्ट न करें, अपनी जिम्मेदारी समझें और वह सोचें कि अब हमको जब अच्छी रकम वेतन के रूप मिल रही है तो नाजायज पैसा क्यों लें? इसलिए आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि किसी की भी तनख्वाह ५०० रुपये से अधिक न रखी जाय। सरकार का यह लक्ष्य भी है कि समानता लायी जाय, समाजवाद लाया जाय। तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह समाजवाद किस तरह से ला पायंगे। उनका ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया कि जो लम्बी-लम्बी तनख्वाहें दी जा रही हैं उनको कम किया जाय। उनकी कमी का न कोई प्रस्ताव इस बजट में है और न दो-तीन वर्षों में इसका प्रस्ताव सरकार द्वारा आया।

लोगों के लिए बड़ी-बड़ी मोटर गाड़ियां रखी गयी हैं जिन पर बहुत अधिक खर्चा हो रहा है क्योंकि उनके पेट्रोल का ऐवरेज बहुत ज्यादा आता है। जो काम छोटी गाड़ियों से निकल सकता है उसके लिए बड़ी गाड़ियों की क्या आवश्यकता है? इस तरह शासन में बचत हो सकती है। अगर छोटी गाड़ियां रखी जांय तो कम खर्चा होगा।

अब मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जब कमिश्नर लोग दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ डिप्टी कमिश्नर लगे रहते हैं। जब डिप्टी कमिश्नर दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, बी० डी० ओ०, गर्ज कि एक टीम आफ लोकल आफिसर्स रहती है। अगर जनता को कोई शिकायत इन सबके बारे में करनी है तो उनकी मौजूदगी में वह कैसे कर सकती है? वहां लोग मौजूद रहते हैं, वे उनको रास्ते से ही लौटा देते हैं कि इस वक्त बड़े साहब का रुख अच्छा नहीं है, चले जाओ नहीं तो यह होगा वह होगा। वह तरह-तरह की धमकी भी जनता को देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर कमिश्नर दौरे पर जांय तो जिला हेडक्वार्टर पर ही न रुकें। वे जिले के अन्दरूनी भागों में जांय और जनता की जो कठिनाइयां और शिकायतें हैं उनको गोपनीय रखें और उन पर उचित कार्यवाही करें। इसी प्रकार डिप्टी कमिश्नर उन लोगों को साथ न ले जांय जिससे जनता को जो कुछ शिकायतें हों कह सके। इस प्रकार का कोई सर्कुलर शासन की तरफ से कमिश्नरों और कलेक्टरों को जाना चाहिए।

देहातों में सड़कों की बहुत बड़ी कमी है। वे इलाके जैसे मेरा क्षेत्र है, जहां ऐसी कच्ची सड़कें हैं, वहां कोई अधिकारी पहुंचना ही नहीं चाहता है। कोई भी अपना आसन छोड़ कर वहां जाना नहीं चाहता। न मंत्रीगण ही कभी वहां जाने की कृपा करते हैं। हां, जब दसगुन वसूल करना था तब तो जरूर कुछ मंत्री गये थे। लेकिन उसके बाद कोई नहीं जा सका और न जो वायदे किये थे उनको पूर्ण करने का प्रयास ही किया। श्रीमन्, एक विशेष कठिनाई जो हमारे क्षेत्र की है वह यह है कि पहले अंग्रेजों के समय में उतरौला तहसील में बलरामपुर तहसील भी शामिल थी। उतरौला उत्तरी किनारे पर पड़ता था और बीच में था। परन्तु अब बलरामपुर का इलाका निकल गया और एक अलग तहसील बलरामपुर के नाम से बना दी गई है। उतरौला तहसील अब भी उतरौला पर काबिम है जबकि आधा हिस्सा उसका निकल गया है। इससे पश्चिमी, दक्षिणी तथा पूर्वी हिस्से के किसानों को अब भी उतनी ही दूर जाना पड़ता है। तहसील एक किनारे पर पड़ती है जिससे उनको आने जाने में कठिनाई होती है। इसलिये वह हेडक्वार्टर तहसील का उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह अब न बीचों बीच में है और न ही उसमें कोई सहूलियत किसी को है। बलरामपुर की तहसील उतरौला से तीन-चार मील की ही दूरी से शुरू हो जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उतरौला तहसील के हेडक्वार्टर को वहां से हटाकर बीच के किसी स्थान पर सादुल्लानगर या रेहरा में करदिया जाय, जिससे चारों

[श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह]

तरफ की जनता सुगमतापूर्वक तहसील पहुंच सके और उनको आने जाने में बेकार का खर्च और परेशानी जो होती हैं उनसे वे बच सकें।

इस बात की सदन में चर्चा की गई और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि मंडलाधीश अपने तहसील हेडक्वार्टर्स पर रहें, इसका भी मैं समर्थन करता हूं। अगर एस०डी०ओ० साहबान तहसील हेडक्वार्टर्स पर रहेंगे तो उनको देहात की ला ऐंड आर्डर सम्बन्धी तथा और सारी कठिनाइयों की रोकथाम करने में काफी सुविधा मिलेगी और जनता को भी आये दिन जो परेशानियां रहती हैं इससे वे परेशानियां कम हो जायंगी। आये दिन जो मुकदमे वगैरह उनके लगे रहते हैं उनकी पैरवी आदि में उन्हें आसानी होगी।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशियल आफिसर्स जो हैं इनको कलेक्टर के अधीन नहीं रहना चाहिए। इन लोगों को हाई कोर्ट के मातहत करना चाहिये। जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से बिलकुल अलग होना चाहिये और जो यह तरीका है कि कलेक्टर वहां हर एक का इन्चार्ज है, एस०पी० के कैरेक्टर रोल में भी एंट्री करने का अधिकार उसको है, यह उससे ले लेना चाहिये और यह अधिकार कमिश्नर में वेस्ट करना चाहिए। इससे जिले के अन्दर की शासन प्रणाली में सुधार होगा और सहायता मिलेगी। लोगों को इससे राहत भी मिलेगी और इंडिपेंडेंट काम हो सकेगा। आज एक बात देखने में यह आती है कि यदि किसी अधिकारी की शिकायत की जाय और वह सही भी हो, तो भी उसके दिल में बदला लेने की एक भावना पैदा हो जाती है और हर तरह से वह उसके पीछे पड़ जाता है। अपने मातहतीन के जरिये वह तरह-तरह के मजालिम उन पर करवाता है। झूठे मुकदमे उन पर चलवाता है। इसके लिए भी विशेष रूप से मुख्य मन्त्री जी....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय नवल किशोर, आपको १५ मिनट मिलेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---आपको धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो सामान्य प्रसाशन और जिला प्रशासन के सम्बन्ध में अनुदान पेश किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मान्यवर, सब से पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान जो हमारे इस हाउस की सरकारी गैलरी है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी यहां से उठे थे तमाम सरकारी गैलरी हमारी बिलकुल शून्य हो गई थी। एक भी सरकारी अफसर उस गैलरी में नहीं था। मैं स्पष्ट कहूं कि मुझे इस बात से थोड़ा कष्ट हुआ। मैंने यह महसूस किया कि आज इस सामान्य प्रशासन के अनुदान के समय जो इस प्रकार की उदासीनता चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हुई, यह उचित बात नहीं थी। मान्यवर, हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे देश की और प्रदेश की जितनी नीतियां हैं, हमारे जो इस देश और प्रदेश के राष्ट्रनायक हैं वे जो भी सोचते और विचारते हैं उनको कार्यान्वित करना हमारे प्रशासन का काम है और यही वह मशीन है जिसके द्वारा हम अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं।

जितनी भी डिबेट हुई, जितनी भी बहस हुई उससे यह स्पष्ट है कि जो हमारी मौजूदा सरकार की बुनियादी नीतियां हैं उनके ऊपर कोई विशेष मतभेद नहीं है। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी भी सिद्धान्त के रूप में जितनी हमारी मोटी-मोटी नीतियां हैं सबसे इत्तफाक करती है। जो भी शिकायत अभी तक आई और होती है वह एक ही शिकायत है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन अपनी जगह पर सही नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं चाहता था कि विरोधी पक्ष इस बात की ताईद करता कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को भी महसूस किया और यही वजह है कि बंगलोर सैशन में इस प्रशासन के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया और यह महसूस किया गया कि हम जो काम करते हैं नियोजन का, हम जो इस देश में विकास कर रहे हैं बावजूद हमारी कोशिशों के, बावजूद हमारी तमाम चेष्टाओं के और बावजूद इसके कि उसमें बहुत कुछ काम हुआ, वह हमारा प्रशासन और हमारी मशीनरी उसके बहुत अधिक

उपयुक्त नहीं है। जिस समय शासन की बातें हमारे सामने आती हैं तो वे बातें दो तरह की होती हैं। एक सिस्टम की बात और दूसरी परसोनेल की।

जहां तक सिस्टम का सम्बन्ध है, यह सही बात है कि जब अंग्रेजी शासन यहां से हटा तो यह चीज, यह ढांचा वह छोड़ गया और उसको हमने हासिल किया। यह सही है कि उसके हटने के बाद हमारे देश और प्रदेश में उनके काम करने का तरीका बदला और नेचर आफ वर्क भी बदला गया। जैसा कि मैंने कई दफा कहा है, यह श्रेय की बात है कि वह मशीनरी जो किसी दूसरे काम के लिये बनाई गई थी, उसको इस नियोजन तथा विकास के काम में काफी दूर तक इस्तेमाल किया गया। मगर साथ ही यह बात भी सही है कि उस ढांचे के अन्दर हम कोई बुनियादी तब्दीली कर पाये हों, ऐसी बात नहीं है। पुरानी जहनियत आज भी काम करती है। कोशिश की गई है यहां पर भी और सेंटर में भी, जैसा कि मेरे दोस्त नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा, वहां गोखाला कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट आई। और भी कमेटियां बनीं मगर इसके बावजूद भी कोई विशेष परिवर्तन वहां उन्होंने किया हो, ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि इस तरफ भी कांग्रेस पार्टी का ध्यान आकर्षित हुआ है कि इस ढांचे के अन्दर जो सोचने का तरीका है उसके अन्दर आमूल परिवर्तन की जरूरत है। हमारे प्रदेश के अन्दर हजारों और लाखों की तादाद में हमारे भाई काम करते हैं। जहां तक हमारे परसोनेल का ताल्लुक है, यू० पी० सरकार का परसोनेल किसी और प्रदेश से बहुत पीछे नहीं है यदि आगे नहीं हैं। हमारे यहां ऐसे शख्स भी हैं जो ईमानदार हैं और अच्छा काम करते हैं और उनकी हम सबको ताईद करनी चाहिये। ऐसे भी हैं जो निहायत निकम्मे हैं। तो आज सवाल इस बात का है कि कौन तरीका अख्तियार किया जाय जिससे हम, जो निकम्मे अफसर हैं, उनको हटा सकें, चाहे तो उनके कम्पलसरी रिटायरमेंट की बात हो या कोई और बात हो। मैं पार्लियामेंट की डिबेट पढ़ रहा था। वहां पर भी इस बात की मांग की गई कि जो इन्एफिशियेन्ट अफसर हैं उनको हटाया जाय। मैं चाहता हूं हमारे प्रदेश में भी इस तरह की कोई बात होनी चाहिये। जब हमने अपने यहां सही या गलत उनकी रिटायरमेन्ट एज ५५ से बढ़ा कर ५८ कर दी तो एक बात तो यह होनी ही चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ से इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिये कि ५८ के बाद किसी को एक्सटेन्शन न दिया जाय। कोई भी आदमी इन्डिस्पेन्सेबिल नहीं होता है। स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर, जो निकम्मे और इन्एफिशियेन्ट आदमी हैं उनको हटाने की बात हमारे यहां होनी चाहिये। इसके अन्दर दो राय नहीं हो सकती हैं।

हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी है, यह सही है। १३३ करोड़ के बजट में लगभग ४९, ५० करोड़ हम सर्विसेज पर खर्च करेंगे जो करीब-करीब ३८ परसेन्ट के होता है। तिवारी जी ने इस सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कहीं और अच्छी बातें भी कहीं, कुछ से मैं भी सहमत हूं। मगर मुझे इस बात का शक है कि अगर उनकी सब बातों को सरकार मान ले, तो एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज्यादा टाप हैवी हो जायगा। उन्होंने जहां और बातें कहीं वहां एक बात यह भी कही कि यहां भी मेथड, विजिलेन्स और डिवीजन की बात होनी चाहिये। मैंने भी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय पार्लियामेंट की बहस को पढ़ा है, उन्होंने भी अपने यहां आर्गनाइजेशन ऐन्ड मेथड डिवीजन कुछ मन्त्रालयों में स्थापित किया है। उसके ऊपर जो डिबेट हुई उससे मैंने यह समझा कि वह तरीका भी, जो केन्द्रीय सरकार ने इस्तेमाल किया, बहुत कामयाब नहीं हुआ है और प्रधान मन्त्री ने भी यह कहा कि उससे अच्छा हुआ है, कुछ काम तो उसने किया है मगर जितनी आशा करते थे उतना काम नहीं किया। मैं यह महसूस करता हूं कि हमारी सरकार ने भी एक रिआर्गनाइजेशन स्कीम यहां इस प्रदेश में चलाई थी। श्री के० के० दास उसके कमिश्नर थे। स्कीम अच्छी है या बुरी, इसमें मैं नहीं जाता, लेकिन मुझे जो तकलीफ हुई वह यह कि जैसे ही श्री के० के० दास यहां से हटे और नये चीफ सेक्रेटरी आये, वह स्कीम भी

[श्री नवलकिशोर]

करीब-करीब हट गयी और कम से कम सेक्रेटेरिएट में तो, जहां तक मेरी मालूमात हैं, वह खत्म ही हो गयी। नये सेक्रेटरी साहब के कुछ नये आइडियाज हैं और उनको उन्होंने देना शुरू किया। वह भी अच्छे काबिल आदमी हैं, ठीक है, लेकिन इस रिआर्गनाइजेशन (Reorganisation) को चीफ सेक्रेटरीज के एक्सपेरीमेन्ट की बात नहीं बननी चाहिये। जैसी मांग केन्द्र में की गयी है कि होम मिनिस्टर, प्रधान मन्त्री और इस तरह के कुछ आदमी बैठें एक कमेटी के अन्दर और इस बात पर सोचें, उसी तरह से मैं यहां मुख्य मन्त्री जी से इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि वह अपने नेतृत्व में एक कमेटी बनायें जो इस बात को सोचे। उसमें असेम्बली के मेम्बरान हो सकते हैं या ऐसे आदमी हो सकते हैं कि जिनको प्रशासन का अनुभव हो। यह न हो कि एक आदमी हटाया गया और उसकी चलाई हुई सारी स्कीम खत्म हो गयी क्योंकि वह सारी स्कीम उसके ही दिमाग में थी। तो यह जो रिआर्गनाइजेशन की बात है इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी गंभीरतापूर्वक सोचें और इसको टेकअप करें।

श्रीमन्, इकोनामी की बात कहने की मुझे कुछ आदत पड़ गयी है। मैंने पढ़ा कि केन्द्र में ६ करोड़ की बचत हुई। हालांकि केन्द्र का जो बजट है उसको देखते हुये मुझे कोई भारी खुशी या सन्तोष नहीं हुआ। सिर्फ दिमाग में इतना असर हुआ कि उन्होंने इस तरफ थोड़ी-सी कोशिश की, कदम उठाया, कि इकोनामी की जाय। सही हो या गलत, मेरा अपना विश्वास है कि अगर काफी सख्ती से कोशिश की जाय तो हम अपने इस प्रदेश में भी आसानी से काफी बचत कर सकते हैं। मेरा तो अपना मोटा-सा सिद्धान्त है कि अगर हम १०० रुपये का काम कोशिश कर के ९५ रुपये में करा लें और इस ५ परसेंट की बचत की बात हम स्वीकार कर लें तो हम काफ़ी इकानामी कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि ऐसा कर के हम इस बजट में ६, ७ करोड़ रुपया बचा सकते हैं। इकोनामी कमेटी की बात मैं नहीं कहता, एस्टीमेट कमेटी की बैठक और उसकी सिफारिशें मानने में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक दिक्कत मुझे महसूस होती है और वह यह कि आपके कर्मचारियों के दिमाग इकोनामी की तरफ नहीं जाते। बुनियादी तौर पर वे इकोनामी की बात नहीं सोचते। उनके सोचने का तरीका इकोनामी की बात सोचने का नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये।

मेरे एक मित्र ने यह फरमाया कि शासन का जो ढीलापन है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। कुछ कांग्रेस की अन्दरूनी गुटबन्दी की बात उन्होंने कही। उन्होंने कुछ आपस की फूट का भी जिक्र किया। मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता। हो सकता है कि विरोधी पार्टी कुछ फायदा उठाने के लिये इस तरह की बातें कहती हो, लेकिन यह कोई ऊंचे स्तर की बात नहीं हुई। और न इससे उनका फायदा ही होगा। दूसरे उनकी पार्टी में भी ढोल में पोल है और उसको हम सब जानते हैं। शासन की ढिलाई की जिम्मेदारी इस बात पर भी है कि यह हमारे देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां कोई अच्छा तथा जिम्मेदार अपोजीशन नहीं है। एक जमाव है जिसमें कोई कामन आदर्श, प्रोग्राम या विचारधारा नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कहता और संकेत रूप में ही इस बात को कह कर आगे बढ़ता हूं।

जहां टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गयी, वहां हमारी एक दिक्कत भी है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनामी हो, खर्च कम हो। मैं यह भी महसूस करता हूं कि पे स्केल्स जो सर्विसेज के हैं वे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन एक दिक्कत है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया इस सम्बन्ध में हमारे कार्यों को बजाय सुलझाने के उलझा देती है। वह अपना पे कमीशन बैठा देती है, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। केन्द्र के जो वित मंत्री हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि स्टेट की सर्विसेज को हम सब्सीडाइज करें। हालांकि मैं उनकी बात से इत्तफाक नहीं करता, लेकिन मेरे इत्तफाक करने न करने से होता क्या है? बहरहाल, हमारी दिक्कतें हैं और उनका कोई जवाब नहीं है। एक ही दफ्तर में दो डिपार्टमेंट के आदमी जो एक साथ बैठते हैं, और एक-सी काबलियत रखते हैं और कभी-कभी संभव है कि जो हमारे सूबे का आदमी है वह ज्यादा काबिल

हो, मगर उसको तनख्वाह कम मिलती है, और दूसरे को तनख्वाह ज्यादा मिलती है। जब यह बात होती है तो एक परेशानी सामने आती है। मैंने इसके लिये कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा है, जिनके हाथ में इस प्रदेश की हुकूमत ही नहीं है बल्कि वह इस प्रदेश के उन कुछ चन्द आदमियों में से एक हैं जो सारे देश के लिये नीति निर्धारित करते हैं। जब हमारे पूरे देश में एक ही पार्टी की हुकूमत हो तो पूरे देश में एक यूनीफार्म स्केल आफ पे कायम होना चाहिये। श्रीमन्, जहां तक मैं जानता हूं, बहुत देशों का तो मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन जहां-जहां का है और जहां पर फेडरल टाइप की गवर्नमेंट भी है, वहां पर आल-कन्ट्री सर्विसेज नहीं हैं, सिर्फ स्टेट सर्विसेज ही हैं। इसलिये हमारे यहां जो स्टेट सर्विसेज में और आल इंडिया सर्विसेज में अन्तर है उसे समाप्त करना चाहिये। हमारे देश में प्राविन्शियल सर्विसेज का एक कामन पूल होना चाहिये और उनमें जो ज्यादा होशियार आदमी हों उनको सेन्टर में भेजना चाहिये और दूसरे लोगों को स्टेट्स में कार्य करना चाहिये। हमारे यहां जो डिस्पैरिटी है, उसे खत्म होना चाहिये। जिन्होंने समाजवाद की बात कही है और यह कहा है कि हमारे अन्दर डिस्पैरिटी कम हो, मैं उनकी इस राय से इत्तफाक करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि हमारे यहां डिस्पैरिटी कम हो।

हमने देखा कि एजूकेशन के अन्दर जिन लोगों की तनख्वाह ज्यादा थी उनकी तनख्वाहें ज्यादा हो गयीं किन्तु जिनकी बेसिक पे कम थी उनकी ज्यादा नहीं हुई। इसी तरह दूसरे विभागों में है। मेरे दोस्त समाजवाद की बात करते हैं। आज के युग में सभी समाजवाद की बात करते हैं। घनश्यामदास जी बिरला भी समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि ५०० से अधिक तनख्वाह किसी कर्मचारी को नहीं होना चाहिये, सही है लेकिन उसके साथ ही जो और लोग हैं उनकी इन्कम भी ५०० से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। अतः मैं यह चाहता हूं कि यह सवाल केवल तनख्वाह का ही नहीं है, यह स्टेट सर्विसेज का सवाल भी नहीं है, बल्कि यह आल इंडिया सर्विसेज का सवाल है, एक सामान्य नीति का प्रश्न है और इस तरफ हमें खास तौर से ध्यान देना चाहिये।

मोटरों की बात कही गयी है। इस बजट में श्रीमन्, मैंने देखा कि मोटरों के लिये ४० हजार रुपये की बात कही गयी है। इसमें लिखा है कि ४० हजार की दो मोटरें खरीदी जायेंगी। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कई बार मैं कह चुका हूं, आज भी इस बात को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि कोई बड़ी इकोनामी इससे होने वाली नहीं है, किन्तु अगर इस तरफ कुछ १६ या १८ हजार रुपये की इकोनामी की जायेगी तो इकोनामी की तरफ एक यह एप्रोच की बात है, एक कदम उस ओर उठाने की बात है। मैं यह महसूस करता हूं कि अगर मन्त्रियों के लिये छोटी मोटरें रखी जायं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, यह इकोनामिक भी है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह एक डेफिनिट कदम सादगी की तरफ हमारा होगा, चाहे छोटा कदम ही सही। इससे पहले भी हमारे कुछ साथी, मंत्रिमंडल के, ऐसे थे जो छोटी कार रखते थे और मुझे मालूम है उसमें कोई विशेष दिक्कत उन्हें महसूस नहीं हुई थी। मैं केवल संकेतमात्र यह कहना चाहता हूं कि अगर इस ओर ध्यान दिया जाय तो आसानी से १४-१५ हजार रुपयों की बचत हो सकती है।

एक बात के सम्बन्ध में और मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गयी है। यह बार-बार कहा गया है। यह बात हम में से हर सदस्य महसूस भी करता है। मैं यह समझता हूं कि जनतंत्र को ताकत देने के लिये जो नान-आफिशियल एजेन्सीज हैं उनको ताकत मिलनी चाहिये। मुझे इस बात का भी अहसास है कि हमारे यहां शिक्षा की कमी है, तालीम की कमी है, अच्छे आदमियों की या जो जिम्मेदारी उठा सकते हैं उनकी भी कमी है। परन्तु हमें कहीं न कहीं यह खतरा लेना पड़ेगा और लेना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास इतनी कमेटीज हैं कि अगर उनसे उनकी गिनती पूछी जाय तो उनमें से बहुतों को वह जानते तक न होंगे कि कितनी

[श्री नवलकिशोर]

कमेटियों के वह चेयरमैन हैं। हम इस ओर कदम उठा सकते हैं कि उनमें से आधी से ज्यादा कमेटियों के चेयरमैन हम नान-आफिशियल्स को बनावें।

दूसरी बात मैं, श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे सेक्रेटरीज हों, डी० एम० हों, ए० डी० एम० हों, अपने मातहत की काब्लियत के ऊपर अविश्वास की बात ब्रिटिश टाइम से हमारे देश के अन्दर चली आई है। मेरा विश्वास है कि अगर हम यह शुरू कर दें कि जो छोटे आफिसरान हैं उनको शक्ति दें तो उनके अन्दर इनीशियेटिव की बात आयेगी और जिम्मेदारी से काम करने की बात भी आयेगी। केवल इस बात का ध्यान रखें कि हमारा अनुशासन अपनी जगह पर सही हो। तो ये जो बहुत से कैडर बढ़ते चले जाते हैं, वे कम हो सकते हैं और इस टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन को कम करने का तरीका यह भी है कि हम शक्ति तथा उत्तरदायित्व का भी विकेन्द्रीयकरण करें।

एक बात और कहूंगा कि जो सेक्रेटरिएट में माननीय मुख्य मन्त्री ने शुरू में एक कदम उठाया था कि जो लोग ३ साल से सेक्रेटरिएट के अन्दर हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद को हटा कर जिलों में भेज दिया था, पर आज भी यहां ऐसे लोग हैं जिनको काफी समय हो गया है और मैं समझता हूं कि अगर सेक्रेटरिएट और शासन के अन्दर गुटबन्दी शुरू हो जाय और एक किस्म की इंट्रीग शुरू हो जाय तो वह शासन के लिये ज्यादा खतरनाक होती है बनिस्बत पोलिटिकल पार्टीज के।

एक बात के लिये मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं; वह यह कि जो आपके गांव सभा के प्रधान हैं, इसमें शक नहीं कि उनके चुनाव में ५८ लाख रुपया खर्चा होगा पर आप ने जो सीक्रेट बैलट की बात की है, इससे हमारे गांव के जीवन में अच्छा और स्वस्थ वातावरण पैदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे, आपको भी १५ मिनट का समय है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन के अनुदान पर जो कटौती मेरे मित्र तिवारी जी ने रखी है, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ कहने के पहले एक बात के लिये मुख्य मंत्री जी को बधाई अवश्य दूंगा, जैसा कि मेरे मित्र नवल किशोर जी ने दी, कि पंचायतों के इलेक्शन में जो सीक्रेट बैलट होने की बात है वह अच्छी चीज है और मैं अवश्य बधाई दूंगा।

अभी प्रशासन की जो "जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन" नाम की पोथी वर्ष प्रतिवर्ष निकलती है उसको मैं देख रहा हूं। उसमें जो यह पोलिटिकल सर्वे आता रहता है उसको पढ़ने के बाद मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह पुस्तिका प्रान्त के प्रशासन के ऊपर है या प्रान्त के राजनीतिक दलों की टिप्पणियां करने के लिये विशेष दल की ओर से प्रकाशित की गई है। उसमें शुरू से आखिर तक सभी दलों की टिप्पणियां हैं, जैसे गड़बड़ी सब दल करते हैं और शासक दल एक-मात्र प्रशंसा का पात्र हो। मैं समझता हूं, इस प्रकार प्रशासन की रिपोर्ट का राजनीतिक प्रयोग बहुत उचित नहीं है और यह इस वर्ष ही नहीं, वर्ष प्रतिवर्ष की रिपोर्ट में मैंने देखा और यह बात इसलिये कही कि माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मैं उस ओर आकृष्ट करूं।

श्रीमन्, प्रशासन के अन्दर जो मैंने अनुभव किया और जो मैं समझता हूं कि बड़ी मूलभूत गड़बड़ी है वह यह है कि अफसरान के अन्दर जो क्लास कांशसनेस खड़ी हो रही है, जो वर्गीकरण खड़ा हो गया है कि जो आई० सी० एस० अफसर है वह अपने को साक्षात् भगवान् समझता है। उनका और आई० ए० एस० का का डर भले ही एक हो, लेकिन वे समझते हैं कि वे हमसे नीचे हैं और आई० ए० एस० उसी मात्रा में, ला आफ कम्पेंसेशन के अनुरूप, पी० सी० एस० और पी० सी० एस० अपने लोअर ग्रेड को हेय और नीचे समझने लगे हैं। इसका परिणाम यह है कि क्लास कांशसनेस और क्लास स्नाबरी आज इसके कारण खड़ी हो रही है। एक उच्च अधिकारी जो आई० सी० एस० है उसके दिमाग में यह धारणा रहती है कि जो भी अच्छा काम

किया जा सकता है वह आई० सी० एस० हो कर सकता है और वह घूम फिर करके यह चाहते हैं कि उनके आस पास और नीचे आई० सी० एस० ही आयें। इसी तरह से जो आई०ए०एस० है वह भी यही चाहता है। यानी एक प्रकार की मोनोपोली खड़ी की जा रही है, जैसे बुद्धिमत्ता का श्रेय उन्हीं को क्लास को है। इस प्रकार उनका एक दुर्लक्ष्य होने लगता है और व्यक्तिगत विद्वेष और गुटबन्दी खड़ी हो जाती है, जैसा कि अभी नवल किशोर जी ने इशारा मात्र किया था। इसलिए आज सेक्रेटेरिएट में वर्गीकरण है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जो वर्गीकरण हो रहे हैं, पे स्केल्स में, लीव रूल्स में, प्रमोशन्स में, उनको समाप्त होना चाहिये। हमारे मित्र नवल किशोर जी ने कहा कि फेडरल राज्यों में आल-कन्ट्री सर्विसेज होती हैं, स्टेट सर्विसेज नहीं होतीं। इससे मेरा मतभेद है। अमरीका जैसे राय में भी स्टेट सर्विसेज हैं, म्यूनिसिपल सर्विसेज भी हैं और फेडरल सर्विसेज भी हैं; परन्तु पे-स्केल्स में जो अन्तर यहां पर है वह भिन्नता वहां पर नहीं है। वहां पर पे स्केल, मिनिमम बेसिक वेज और जितने भी सारे स्केल्स हैं वे सब एक प्रकार के हैं, यह बात दूसरी है कि वह चाहे अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट की सर्विस करे या शिकागो स्टेट की करता हो या शिकागो में मेयर की सर्विस करता हो लेकिन पे-स्केल्स सबके एक हैं। उसी प्रकार से यहां भी होना आवश्यक है। इसके अभाव में परिणाम यह होता है कि एक ही नौकरी में, चाहे वह अखिल भारतीय सर्विस का आदमी हो, या स्टेट सर्विस का आदमी हो, दोनों के पे-स्केल्स में भिन्नता होने के कारण स्वाभाविक है कि दोनों में एक दूसरे के प्रति मन-मुटाव पैदा हो। उसके परिणामस्वरूप, एक आदमी जो कम तनख्वाह पाता है परन्तु काम उतना ही करता है, उसको काम करने का प्रोत्साहन नहीं मिलता। इस बात को हम केवल यह कहकर नहीं टाल सकते कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारे लिये स्थिति खराब कर देती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की अपनी नीति होगी लेकिन हमको भी उस तरफ दृष्टि रखनी पड़ेगी। यह कह देना कि रिसोर्सेज नहीं हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि अगर कड़ाई के साथ शासन के अन्दर देखा जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी यह आज्ञा दें कि हर विभाग में ५ से १० परसेंट तक सेविंग होनी चाहिये तो मैं समझता हूं कि उतनी सेविंग हो सकती है और उस सेविंग के आधार पर तनख्वाहों में समता लाई जा सकती है।

मैं एक ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि लखनऊ जैसे शहर में—मैं एक ही शहर की बात कहना चाहता हूं मकानों की एक भीषणता खड़ी है और उसके लिये बहुत मात्रा में सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिये, मैंने कल जैसा कहा, बहुत से अधिकारियों ने मकान ले रखे हैं जिन्होंने कि अपने मकान भी बनवाये हैं लेकिन वह अपने उस नये मकान में न रहकर रेन्ट कन्ट्रोल के मकान में ही रह रहे हैं और अपने मकान को किराये पर दे रहे हैं और उसका किराया इच्छानुरूप ले रहे हैं क्योंकि वह मकान रेन्ट कन्ट्रोल के अन्तर्गत नहीं आता। आज सरकार को इस ओर जांच कराने की आवश्यकता है। सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि जो अधिकारी इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनके लिये आवश्यक कदम उठाये जांय। मैं यह नहीं कहता कि केवल इस एक पग के उठाने से इस समस्या का समाधान हो जायगा लेकिन बहुत मात्रा में, जैसे मैं कहूं कि जलती हुई आग में एक चम्मच घी देकर उसे और प्रज्वलित करने का जो दृष्टिकोण सरकारी कर्मचारियों का इस प्रकार से रहा है उसके लिये अगर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो और वह जांच करायें और आवश्यक कदम उठायें तो कुछ हद तक उसका समाधान होगा।

मैं एक बात की ओर और माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज देश की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। इसलिये अगर जिन लोगों के बल पर प्रशासन का कार्य चलता है, आज उन्हीं के अन्दर सिक्योरिटी की ओर दुर्लक्ष्य हो तो उस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि अगर उन्होंने सिक्योरिटी की ओर दुर्लक्ष्यता

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

की तो राज्य की सिक्योरिटी रह नहीं सकती। माननीय मुख्य मन्त्री जी को ध्यान होगा कि जब चीन के ऊपर इसी सदन में विवाद हो रहा था तो सूचना विभाग का नाम लेकर स्पष्ट कहा गया कि आज उस विभाग के अन्दर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन केवल ध्यान आकृष्ट करने के लिये मैं यह कह रहा हूं। मैं इतना भी कह सकता हूं कि इसी विभाग के एक अधिकारी थे जिन्होंने इस प्रदेश के मुख्य मंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच इस विषय में जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसके कन्टेन्ट्स बाम्बे में एक बहुत बड़े समाचार-पत्र के दफ्तर में बैठकर चीनी दूतावास के एक अधिकारी को दिये, लेकिन उस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। कहा जा सकता है कि कानून की दृष्टि में सबूत न होने के कारण कोई कार्यवाही न की जा सके या कोर्ट में मामला न चल सके इसलिये लोग छूट जाते हैं। उस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल बना हुआ है उसने आज तक क्या काम किया। श्रीमन्, आज इस बात की आवश्यकता है कि वह जाग्रत होकर और जागरूक होकर अपना काम करे। श्रीमन्, सिक्योरिटी चाहे एक्सटर्नल हो या इन्टर्नल, प्रशासन की ढिलाई के कारण अगर गड़बड़ी होगी तो फिर प्रशासन के कोई अर्थ नहीं रह जायंगे। हो सकता है कि एक बार स्पष्ट सबूत ला कोर्टस के लिये न हो सके। परन्तु यदि एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में जाता है और अगर ट्रिब्यूनल कन्विन्स हो जाता है तो उसको हटा दिया जाना चाहिये। मैं स्क्रीनिंग शब्द का इस्तेमाल जान बूझकर नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता है। अतः प्रशासन में नियुक्तियां करते समय इस बात पर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश और प्रदेश के साथ खिलवाड़ होगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहाड़ी क्षेत्र में नये जिले बनाने के बारे में कहा, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन जिले बनाने मात्र से ही काम चलने वाला नहीं है। वे सरहद के जिले हैं, वहां अधिकतम योग्य व्यक्तियों को रखने की आवश्यकता है। वहां के आवागमन के ऊपर भी प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता है ताकि मिलिटरी के साथ पूर्ण रूप से सहयोग हो सके। इस दृष्टि से वहां के प्रशासन का कार्य होना चाहिये। सीनियर मोस्ट आफिसर्स को वहां रखा जाय चाहे उनको कुछ अधिक वेतन ही क्यों न देना पड़े। यही दृष्टि होनी चाहिये तभी वास्तविक लाभ हो सकता है।

प्रति वर्ष यह कहा जाता है, और इस साल के बजट में यह देखा जाता है, कि एक ही अफसर को डबल पेमेन्ट होता है। एक शख्स अगर फाइनेंस सेक्रेटरी होता है तो उसको २,२०० रुपये मिलते हैं और जब वह फाइनेंस कमिश्नर बन जाता है तो उसको ३,५०० रुपये मिलते हैं। बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिनको विभिन्न प्रकार के अलाउन्सेज दिये जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के डायरेक्टर वे बने हुए हैं। जब इस प्रकार का डबल पेमेंट होता है तो दूसरे साथ के बैठने वाले लोगों के मन में ईर्षा पैदा होती है। इसलिये प्रशासन में डबल पेमेंट के आधार पर जो विद्वेष की भावना पैदा होती है उसको समाप्त किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

जुडीशियल और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात भी कही गयी। ला कमीशन ने भी कहा है कि आज जो जुडीशियरी का सेपरेशन है वह वास्तविक नहीं है क्योंकि उनके प्रमोशन, छुट्टी और कैरेक्टर रोल आदि सब कमिश्नर के ही हाथ में रहते हैं। अगर आप वास्तविक रूप में इसको करना चाहते हैं तो उनके प्रमोशन, लीव आदि के सब अधिकार हाई कोर्ट को देने चाहिये। मान लीजिये कि आज कोई जुडीशियल आफिसर लखनऊ में एक बहुत ही जुडीशस व्यू लेता है और उससे एग्जीक्यूटिव को कुछ रोष होता है। अब अगर उन्नाव में वह तबादला होकर जाता है तो वहां पर उससे बदला लेने की भावना हो सकती है। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। अतः इस स्कीम को प्रान्त भर में लागू करने की आवश्यकता है, हाफ हार्टेड मैजर से काम नहीं चल सकता।

हमारे मित्र नवलकिशोर जी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में गुटबन्दी है। कांग्रेस पार्टी के कारण गुटबन्दी है। नवल किशोर जी कहते हैं कि इधर भी गुटबन्दी है। राजनैतिक दलों में गुटबन्दी हो सकती है और वह अपोजीशन में भी हो सकती है लेकिन मेरा कहना यह है कि राजनैतिक दलों की गुटबन्दी अफसरों के अन्दर भी घुस गयी है। इसका प्रमाण दिया जा सकता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। इसी सेक्रेटरिएट के सेक्रेटरीज कहते हैं कि हम फलां मिनिस्टर के पृष्ठपोषण में हैं, हम फलां के पृष्ठपोषण में हैं। जब मिनिस्टर टकराते हैं तो अधिकारी भी टकराते हैं। और उदाहरण अगर चाहिये तो एजूकेशन आर्डिनेन्स जो आने वाला था, डेढ़ महीने पहले कैबिनेट ने तय किया था लेकिन एक विशेष अधिकारी उसे दबाये बैठे रहे क्योंकि उनका एक विशेष गुट से सम्बन्ध था। इससे बढ़ कर क्या प्रमाण गुटबन्दी का हो सकता है? गुटबन्दी है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। जौनपुर अन्तरिम जिला परिषद् का मामला आज सुबह आपके सामने पेश हुआ। स्पष्ट है कि कलेक्टर ने जो किया वह उचित किया। बात यह है कि उसी गांव के दूसरे आदमी ने अपना एक दालान स्कूल बिल्डिंग के नाम से बना लिया। लोग चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो पुरानी सम्पत्ति है वह स्कूल के पास न रहे और इसको नये स्थान पर ले जायं। उसने ऐसा नहीं किया तो उसके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव और बजट फेल करो, यह करो वह करो, विधान सभा में प्रश्न, यह क्या है? जो न्याय करता है, वह हर उचित काम करता है।

मैं जानना चाहता हूं कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष से जो शिकायत है तो वह किस कानून से जिला परिषद् की भूमि या सम्पत्ति दूसरे को दे सकता है। उसके लिये अनिवार्य था कि जिस जमीन में स्कूल था जो अन्तरिम जिला परिषद् की सम्पत्ति थी उसी पर स्कूल को चलाना चाहिये। जिम्मेदारी से कोई काम करता है, न्याय करता है, तो उसके ऊपर लांछन लगा कर निकाल बाहर करने का प्रयास किया जाता है। श्रीमन् यह गुटबन्दी का ही परिणाम है कि आज अधिकारी भी यही सोचते हैं कि क्यों बुरा बनें, न मालूम कब कौन गुट जोर पकड़ ले, इसलिये वे भी ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। श्रीमन्, मैं स्पष्ट कर दूं कि आज आपसी राजनीतिक संघर्ष को लेकर जब हम अधिकारी तक पहुचते हैं तो वे भी उसका लाभ उठाते हैं। मैं जाता हूं किसी बात के लिये तो उधर से एक सज्जन पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखिये कलेक्टर साहब, ये राजा साहब बहुत खराब आदमी हैं उनकी बात न सुनिये और जब मैं जाता हूं या कोई और जाता है तो यही कहता है कि देखिये कलेक्टर साहब, अभी जो सज्जन आये थे ये बड़े खराब आदमी हैं, इनकी बात न सुनिये। परिणाम यह होता है कि उसके सामने दोनों का अपमान होता है और फिर हम यहां आकर रोना रोते हैं कि फलां अधिकारी ने हमारा अपमान कर दिया। अगर आप स्वयं अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे आपका कैसे सम्मान कर सकते हैं? इसलिये मैं कहता हूं कि अगर माननीय सदस्य अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो पहले स्वयं अपने सम्मान की रक्षा करें। अगर वे स्वयं अपने सम्मान की रक्षा करेंगे तो दूसरे भी उनके सम्मान की रक्षा अवश्य करेंगे

श्रीमन्, एक बात मैं और माननीय मंत्री जी से कहना चहता हूं कि यह जो गुटबन्दी है इन अफसरों के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। यह सच भी है कि कोई आदमी अपने ही आदमी को जो सच्चा हो, ईमानदार हो, उसे कुत्ता कहे, उसे बेईमान कहे, उसे डाकू कहे तो उसका असर अधिकारियों पर बुरा पड़ता है। श्रीमन्, ये अधिकारी जब चाय पर बैठते हैं तो आपस में कहते हैं कि देखो आज फलां मिनिस्टर पर कैसी मार पड़ी, या फलां सदस्य पर कैसी मार पड़ी। तो स्वाभाविक है कि इस आपसी झगड़े का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है और उनके अन्दर हमारे प्रति कोई आदर का भाव नहीं रह जाता। अगर ऐसी भावना अधिकारियों के अन्दर आ जाय तो ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से नहीं चल सकता है। हमको यहां पर जो भी बातें कहनी चाहिये वे इस ढंग से कहनी चाहियें कि जिसका असर सबके ऊपर अच्छा पड़े। उस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो मैं कहूंगा कि यहां हाउस आफ कामन्स की पद्धति होनी चाहिये और जूनियर

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

मिनिस्टर को चाहिये कि वे यहां नोट लें। इस तरह से वे ट्रेंड भी हो जायेंगे। यह मैं नहीं कहता कि वे ट्रेंड नहीं हैं, बहुत बुद्धिमान भी हैं, लेकिन अगर वे यहां का नोट लेकर सेक्रेटरी के साथ बैठ कर फाइल डील करने के सम्बन्ध में डिसकस करें तो वह बहुत अच्छा होगा।

श्रीमन्, एक बात जो श्री नवलकिशोर जी ने कही उसको मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि सेक्रेटेरिएट से जिले में और जिले से सेक्रेटेरिएट में ट्रांसफर की बात चालू होनी चाहिये; क्योंकि अगर एक आदमी जिन्दगी भर जिले में ही रह गया या एक आदमी सेक्रेटेरिएट में ही जिन्दगी भर रह गया तो दोनों एक दूसरे के प्राब्लम्स से अनभिज्ञ रहेंगे। जो आदमी सेक्रेटेरिएट में फाइल देख कर ही कागज को डील करता है वह वास्तविकता को नहीं समझ पाता कि जिले का ह्यूमन इमोशन क्या है। वह मानव भावनाओं से अनभिज्ञ रहता है जिससे सही डिसीजन नहीं ले सकता, उसका डिसीजन गलत होगा। इसका नतीजा यह होता है कि लोगों के अन्दर यह भावना घर करती जाती है कि गणतन्त्र के जरिये हमारा प्रशासन ठीक नहीं हो रहा है और इस तरह का प्रचार हो रहा है कि गणतन्त्र असफल हुआ है और जनता तानाशाही और एकतन्त्र के जरिये ही सुखी हो सकेगी, गणतन्त्र के जरिये वह सुखी नहीं हो पायेगी। यह जो प्रशासन में इस तरह के वाटरटाइट कम्पार्टमेंट्स बन गये हैं यह चीज किसी भी देश या प्रदेश के लिये उचित नहीं है।

अब एक बात मैं अधिकारियों के ट्रांसफर के बारे में और कहना चाहता था कि मंत्रियों के पी० एज० का भी ट्रान्सफर एक मंत्री के यहां से दूसरे के यहां होना आवश्यक है। कारण यह है कि जो गुटबन्दी मंत्रियों की है वह पी० एज० में भी है, वे भी गुटबन्दी करते घूमते हैं और वे भी मंत्री महोदय के साथ सती होने का प्रयास करते हैं। इस गुटबन्दी को हर स्तर से, शुरू से आखिर तक रोकना चाहिये, केवल एक-दो स्थान पर नहीं। इकोनामी की बात मैं पहले ही कह चुका हूं उसकी बहुत आवश्यकता है प्रशासन में इकोनामी लानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)----माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्यों ने शासन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है, यह भी कहा है कि शासन की मशीनरी उसी प्रकार से काम कर रही है जिस प्रकार से कि अंग्रेजों के जमाने में कर रही थी। यह सही है कि शासन के कर्मचारी जहां भी हैं वह सब उसी जमाने के हैं। आजादी के बाद हमने उन्हीं कर्मचारियों से काम लेना आरम्भ किया जो उस समय काम करते थे। उनको हटाकर शासन का काम चलाना उस समय असम्भव-सी बात थी; परन्तु यह कहना कि शासकीय कर्मचारियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया, यह बात मेरी समझ से सही नहीं है और भ्रामक है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी अफसर बदले हैं, उनका रवैया बदला है और बदला है उनका काम करने का तरीका। जिस प्रकार शासन चलता है उसी प्रकार वह भी अपने को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं।

जिलाधीशों की पावर्स के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जिलाधीश जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है इसलिये उसके पास वास्ट पावर्स का होना नितान्त आवश्यक है। जिले में तरह-तरह की गड़बड़ी होती हैं, तरह-तरह की बातें की जाती हैं, पार्टीबन्दी में पड़कर जनता को उकसाया जाता है, झगड़े कराये जाते हैं; अगर जिलाधीशों के पास ऐसी पावर्स न हों तो जिले का शासन एक दिन भी चलना कठिन हो जायगा। इसलिये जिलाधीशों के पास जो पावर्स हैं, वे ठीक ही हैं।

कमिश्नरों और गवर्नरों के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया। जिलों का शासन ठीक से चलाने के लिये जिलाधीशों का रहना बहुत ही आवश्यक है और जब तक वह रहेंगे कमिश्नरों का रहना भी नितान्त आवश्यक है और स्टेट का हेड होने के नाते गवर्नरों का रहना भी औचित्य-पूर्ण ही है। यह कहना कि कमिश्नरों और गवर्नरों की आवश्यकता नहीं है मेरे खयाल से ठीक नहीं है।

प्रशासन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गईं, भ्रष्टाचार सूबे में है, देश में है, यहीं नहीं अन्यत्र तमाम देशों में है; लेकिन क्या हमने भ्रष्टाचार की बात यहां कहने के बाद कभी अपनी जिम्मेदारी महसूस की है? इस सदन में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज देने मात्र से ही तो भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता या सदन में कहने से ही भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं उन माननीय सदस्यों से जो भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत बात करते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये हैं, कौन-कौन से उपाय किये हैं और कितने भ्रष्ट कर्मचारियों को उन्होंने सजा दिलाने का प्रयत्न किया है? केवल यह कह देना कि भ्रष्टाचार है, काफी नहीं है। हम सबको, जो इस प्रकार की बातें कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये। जनता को इसके लिये ट्रेन करना चाहिये कि रिश्वत देना पाप है। किसी भी माननीय सदस्य ने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया होगा और न जनता को शिक्षित किया होगा कि रिश्वत नहीं देनी चाहिये।

जहां तक अधिक कर्मचारियों का प्रश्न है, आप जानते हैं कि कल्याणकारी राज्य में तरह-तरह की स्कीमें जन कल्याण के लिये चलाई जाती हैं। जब तरह-तरह की योजनाएं चलाई जायेंगी तो उनके लिये शासकीय कर्मचारी भी रखने होंगे। जिला लेविल पर तमाम आफिसर रख दिये गये हैं, बेकार रुपया बरबाद होता है; अंग्रेजी शासन में ऐसा नहीं था, ये सब बातें कहना ठीक नहीं है। अंग्रेजी शासन में क्या जिला स्तर पर आफिसर नहीं थे? मैं कहता हूं उस वक्त भी थे। लेकिन उस समय इतने जन कल्याण के विभाग नहीं थे। आज हमें जनता का कल्याण करना है। उसके लिये विभाग खोलने पड़ेंगे और उनमें नौकर रखने पड़ेंगे। नौकर रखने से देश की बेकारी दूर होगी, जनता का काम होगा। यह कह देना कि जितने बड़े-बड़े आफिसर हैं सबकी तनख्वाह कम कर दो, सबको एकदम चपरासी के लेविल पर ले आओ, ठीक नहीं है। जैसे स्तर के कर्मचारी होते हैं वैसी ही उनकी प्रतिष्ठा होती है और वैसा ही उनका वेतन होता है। एकदम किसी की तनख्वाह घटाने की बात करना कि ५०० रुपये ही रखी जाय, ठीक नहीं है।

पाशविक व्यवहार की बात हमारे एक सदस्य ने कही। मेरी समझ में नहीं आता कि किस जिले में किस अफसर द्वारा पाशविक व्यवहार किया जाता है। मेरी समझ में आता है कि उन्होंने पाशविक शब्द का अर्थ नहीं समझा कि उसका व्यवहार कैसे होता है। जिस अफसर ने पाशविक व्यवहार किया आपने कभी उसकी शिकायत यहां या जिला के हाकिमों से की? क्या कोई इस प्रकार की नोटिस सरकार को दी कि फलां आफिसर पाशविक व्यवहार कर रहा है? फिर इस प्रकार की बात कह देना और जनता में एक प्रकार से बगावत पैदा करने की साजिश करना, अच्छा नहीं है।

माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि जिले में जितनी जिला स्तर की कमेटियां हैं, उनके चेयरमैन डी० एम० होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि कोई जिला पार्टी-बन्दी से खाली नहीं है। यहां तक कि कोई गांव भी पार्टीबन्दी से खाली नहीं है। जितनी कमेटियां हैं उनमें भी पार्टीबन्दी है। अगर जिलाधीश उनके चेयरमैन न हों तो पार्टियों की वजह से कहीं-कहीं मीटिंग करना भी मुश्किल हो सकता है। तो यह कहना गलत है कि उनमें डी० एम० चेयरमैन नहीं होना चाहिए। जहां डी० एम० प्रेसीडेंट है वहां नान-आफी-शियल वाइस-प्रेसीडेन्ट भी है।

मेरा यह भी सुझाव है कि सेक्रेटेरिएट के जितने आफिसर हैं वह अधिक से अधिक तीन साल से ज्यादा सेक्रेटेरिएट में न रहें क्योंकि, वे जैसा कि लोगों ने कहा है, पार्टीबंदी भी करते हैं। उनका जिलों में जाना नितांत आवश्यक है और जिले के जो अधिकारी हैं उनको भी सेक्रेटेरिएट में आना चाहिए। सचिवालय में तीन साल से अधिक किसी अफसर को नहीं रहने देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय नारायणदत्त जी, आप १० मिनट ही लें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और उनका भी आभारी हूं जिन्होंने मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन तो किया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन ही किया । कुछ माननीय सदस्यों ने जो मैंने यहां पर निवेदन किया उसकी भी आलोचना की और कुछ सुझाव भी दिये । मेरे बाद जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने तो इतना योग्यतापूर्ण भाषण दिया कि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी का भार हल्का कर दिया । कुछ बातें जो मैंने नहीं कहीं वह भी उन्होंने अपनी योग्यता से साबित कर दीं कि मैंने कहीं ।

मैंने टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन की जो बात कही उसका अर्थ उन्होंने यह लगाया कि असिस्टेंट और डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर तथा डेवलपमेंट कमिश्नर वगैरह के जो पद हैं उनके हटाने के मैं पक्ष में हूं । मैंने नहीं कहा कि कोई रीजनल अफसर नहीं रहना चाहिये । मैंने तो यह कहा था कि बहुत सारे रीजनल अफसर नहीं रहने चाहिये । कमिश्नर भी बढ़ रहे हैं, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर भी बढ़ रहे हैं, असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर भी बढ़ रहे हैं इस प्रकार सभी इंसपेक्शन और इवैल्युएशन करने वाले नहीं होना चाहिए । इसी सम्बन्ध में शायद माननीय मुख्य मंत्री जी तो नहीं, लेकिन कुछ हमारे साथी जब तक पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का उद्धरण न दिया जाय, कोई बात मानते ही नहीं । आदरणीय पंडित जी ने स्वयं कहा कि "आज एक विशेष प्रवृत्ति है नौकरशाही अंग की, मुझे स्वयं नौकरशाही शब्द अच्छा नहीं लगता लेकिन चूंकि यही शब्द प्रचलन में है इसलिये मजबूरन कहना पड़ता है, कि डायरेक्टर बढ़ेंगे, डायरेक्टर जनरल बढ़ेंगे", तो मेरा उस ओर संकेत था । माननीय नवल किशोर जी ने भी बड़ी कृपा की, उन्होंने कहा कि अगर मेरा सुझाव मान लिया जाय तो शासन और टाप हैवी हो जायगा । पता नहीं मैंने ऐसा कौन-सा सुझाव दिया . . . .

श्री नवलकिशोर—आपने यह बात कही कि डी० एम० की पावर्स को हटा कर कोई दूसरा डेवलपमेंट अफसर वहां पर बैठाया जाय । तो मैं चाहता हूं कि आप इकोनोमी की बात कहिये, एफिशियेंसी की बात भी कहिये मगर अपने साधनों के अन्दर ही कहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने कहा था कि जिलाधीश को हटायें और डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर बढ़ायें और ए० डी० एम० ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम देखें । खैर, मेरी बातों से माननीय नवल किशोर जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरे सुझावों से टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है और इस समय नहीं है तो मैं क्या कहूं ।

उन्होंने एक बात और कही कि आजकल हमारा विरोधी दल बड़ा गैर-जिम्मेदार है । और एक और सदस्य ने कहा कि अपोजीशन का काम सरकारी पक्ष कर रहा है और विरोधी पक्ष अपोजीशन का काम नहीं कर रहा है । मैं नहीं जानता किस प्रकार के विरोधी पक्ष को हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं । क्या वह चाहते हैं कि अनुत्तरदायित्व-पूर्ण, अनर्गल प्रलाप करने वाला और शब्द जाल तथा वितंडावाद प्रस्तुत करने वाला अपोजीशन हो या रचनात्मक आलोचना करने वाला विरोधी दल चाहिये ? विरोधी दल ऐसा होना चाहिये कि जो आगे चल कर वर्तमान सरकार के स्थान पर एक सुदृढ़ और सबल प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति वाली सरकार स्थापित कर सके । अगर वह चाहते हैं कि हम भी यहां पर व्यक्तिगत शिकायतों की लिस्ट पेश कर दें या कुछ शब्दावली ऐसी पेश करें जिसमें कुछ मिनिस्टरों के खिलाफ गालियां हों, अगर ऐसा ही विरोधी दल उन्हें वांछनीय है तो मुबारक हो उन्हें । लेकिन जो वर्तमान विरोधी दल है वह तो किसी हालत में इस प्रकार की बात करने वाला नहीं है ।

यदि सरकारी मशीनरी आज राजनीति में भाग ले रही है और जिसका उल्लेख माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने किया तथा किसी अन्य माननीय सदस्य ने भी कहा कि

ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ०, पी० सी० सी० के चुनाव में भाग ले रहे हैं। यह हमने नहीं कहा और इसलिये नहीं कहा कि इस प्रकार की आन्तरिक राजनीति की बातें कहना कुछ शोभा नहीं देता। जहां तक मशीनरी की बात है, कौन नहीं जानता कि आज हम सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपनी राजनीति में सरकारी मशीनरी व सरकारी कर्मचारियों को डाल कर। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से समाजवाद की स्थापना होनी है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी है तो इसका परिमार्जन हमें अवश्य करना है वरना प्रजातंत्र नहीं चल सकता। इसमें किसको विरोध है ? सरकारी कर्मचारियों द्वारा भुक्तभोगी हम स्वयं हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी के पास शिकायतें पहुंचती हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यदि एक भी सही बात मान ली तो कहा जाता है कि विरोधी दल का प्रभाव बढ़ जायगा। यह सब रुकना चाहिये, कौन इसे अस्वीकार करता है ? लेकिन इसका यह अर्थ लगाया जाय कि विरोधी दल एक ऐसा विरोधी दल बन जाय जो कभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिये तैयार न हो, तो हम इसे मानने के लिये कतई तैयार नहीं।

कुछ के० के० दास रिपोर्ट का माननीय नवल किशोर जी ने जिक्र किया, सेक्रेटेरिएट रिआर्गनाइजेशन के सम्बन्ध में कि वह बात छोड़ दी गयी। मेरा खयाल है कि के० के० दास सेक्रेटेरिएट रिआर्गनाइजेशन की बात छोड़ दी गयी तो अच्छा हुआ। वह तरीका जो बंगाल का था, सेक्रेटेरिएट में फाइल नहीं रहती थी, हेड आफ दी डिपार्टमेंट के पास रहती थी और जब उसका प्रयोग असफल सिद्ध हुआ तो उसका यहां एक्सपेरीमेंट करने की क्या जरूरत थी।

जो इकोनामी की बातें उन्होंने कही उनको मैं स्वीकार करता हूं। जो दूसरे सुझाव हैं प्रशासन के बारे में उन सबका मैं स्वागत करता हूं। ट्रिब्यूनल के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर हम कोई ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर भी दें तो फिर ट्रिब्यूनल की जांच की जरूरत पड़ेगी। यह बात सही है कि सब इंसान हैं लेकिन इस इंसानी शासन-व्यवस्था की जांच करने के लिये किसी न किसी इंसान को मुकर्रर करना ही पड़ेगा। आज आप देखें कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके विरुद्ध भी आरोप लगाये जा सकते हैं और जांच की व्यवस्था की जा सकती है। हमारे संविधान में जो हाई कोर्ट के जज तथा पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं, उनकी भी एक प्रकार से जांच की व्यवस्था है। इसका मतलब यह नहीं है कि रोजाना जांच हो रही है। अफ़सोस है कि जो हमारे उच्चतम स्तरीय लोग हैं उनके खिलाफ अगर जांच की व्यवस्था की जाती है किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा तो इसमें नुकसान क्या है ? इसका अर्थ यह नहीं है कि रोजाना आरोप अनर्गल होते रहेंगे। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सुझाव को अवश्य स्वीकार करेंगे।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह अपील करूंगा कि जहां करोड़ों का अनुदान है वह मेरे १ रुपया के कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। उसमें कोई विश्वास या अविश्वास का प्रश्न नहीं है। कटौती को इस बात का संकेत मानते हुए स्वीकार किया जायगा कि हमें आगे बहुत कुछ करना है और हमें बहुत कुछ सुधार करना है और उस सुधार के करने की इच्छा इधर भी और उधर भी है। इसे मानते हुए इस कटौती को वे स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं हर साल करता आया हूं इस साल भी मैं उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त की या सामान्य विवाद के सिलसिले में अपनी राय व्यक्त की, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं।

यह सही है कि कुछ भाषण ऐसे हुए जिनसे कुछ ऐसा अन्दाज होता था कि वक्ताओं ने हमारे बजट को पढ़ने और उसके सम्बन्ध में विचार करने की तकलीफ नहीं उठायी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

है । बहरहाल, ऐसी आलोचना से भी कुछ न कुछ तो फायदा होता ही है । जैसा कि हर तरह से मुनासिब था, मैंने माननीय राजनारायण के भाषण को बड़े ध्यान से सुना । बहुत जोरदार भाषण था, होना भी चाहिये था । एक बहुत बड़े दल के नेता का भाषण था, फिर सामान्य प्रशासन की आलोचना करना था । जैसा कि कई मित्रों ने कहा, सामान्य प्रशासन सारे शासन की रीढ़ है । यदि शासन की रीढ़ तोड़ डाली जा सके तो शासन आ। से आप खत्म हो जायगा । उद्देश्य बड़ा जबरदस्त था। फिर इस सारे सदन को और विशेष रू। से मुझको कुछ समाजवाद के सम्बन्ध में शिक्षा देनी थी; परन्तु जब किसी कूढ़मग्ज शिष्य से काम पड़ता है तो उस्ताद को जोर से बोलना भी पड़ता है । इसके अलावा युद्ध की घोषणा भी थी । जैसा कि माननीय राजनारायण ने बतलाया, उनके दल ने यह निश्चय किया है कि कुछ खास हालतों में पहली मई से सारे प्रदेश में, शायद सारे देश में हो--- मैं अपने प्रदेश की बात जानता हूं जिस छोटे से कुंए में रहता हूं---सारे प्रदेश में एक बड़ा प्रचण्ड आन्दोलन चलाया जायगा। शर्त यह है कि उस दल की कुछ मांगे हैं, यदि उन मांगों को हम चुपके से पहली मार्च तक मान लें . . . .

श्री राजनारायण---आप डंके के चोट पर मान लें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---डंके की चोट पर तो मैं कोई दूसरी बात करने वाला हूं । यदि पहली मार्च तक हम चुपके से मान लें तब तो हम बख्श दिये जायंगे, अन्यथा वह आन्दोलन होगा । तो डंके की चोट पर ही सही या जो भी कोई लफ्ज हों, मैं इतना कह देना चाहता हूं कि पहली मार्च तक या किसी और तारीख तक हमारा इरादा एक क्षण के लिये भी उन मांगों को मानने का नहीं है । गवर्नमेंट का काम धमकी देना नहीं होता है; गवर्नमेंट का काम किसी को चुनौती देना नहीं होता है; परन्तु इस बात को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि कोई ऐसी बात हुई तो मुझको पूरा विश्वास है कि प्रदेश की अधिकांश जनता किसी ऐसे आन्दोलन का समर्थन नहीं करेगी । प्रदेश में जो दूसरे राजनीतिक दल काम करते हैं वे भी किसी ऐसे आन्दोलन का समर्थन नहीं करेंगे और हर हालत में गवर्नमेंट तो अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करेगी, चाहे जो कुछ भी हो ।

श्री राजनारायण---आन्दोलन शुरू होने के बाद तो मांगें पूरी की जायंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस आन्दोलन की बात के अलावा मैंने फिर सोचा कि माननीय राजनारायण के भाषण में कुछ तो ऐसी चीज होगी ही, कोई तो उनका सार होगा ही, जिससे हम कुछ फायदा उठा सकें । यह मेरा दुर्भाग्य समझिये, मुझको उसमें कोई भी ऐसी चीज मिली नहीं । लेकिन मुझको ऐसा ख्याल होता है कि कभी-कभी जब ठंढे दिल से राजनारायण जी अपने भाषण को खुद पढ़ते होंगे, दो-तीन दिन बाद, तो उनको लगता होगा कि मैं इससे अच्छी बातें कह सकता था, लेकिन यह मैं क्या कह गया । (हंसी)

मैं उन सदस्यों का, जिन्होंने हमारे बजट का अध्ययन किया और हमको सुझाव दिये, बहुत कृतज्ञ हूं । अलग अलग सब बातों की चर्चा करना सम्भव नहीं है । क्योंकि इतना समय नहीं है फिर भी मैं खासतौर से माननीय नारायणदत्त जी और माननीय नवल किशोर जी के प्रति अपना आभार प्रगट करता हूं । वह देखेंगे कि जो सुझाव उन्होंने दिये हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो हमारे सामने हैं, जिन पर हम भी गौर कर रहे हैं और कुछ बातों पर किसी न किसी ढंग पर हम अमल भी कर रहे हैं । यद्यपि यह सम्भव है कि उन बातों के सम्बन्ध में उनके मन में कोई और ख्याल हो ।

जिक्र हुआ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पद अगर तोड़ दिया जाय तो बहुत अच्छा है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बहुत जिम्मेदारियां हैं । उस गरीब को खुद पता नहीं है कि मेरे जिम्मे क्या-क्या काम है, यह बात सही है । इस

बोझ को हल्का करना चाहिए। हमारे सामने भी यह चीज है। हम आशा करते हैं कि हमारे देहातों में जब लोकल बाडीज का संगठन ठीक ठीक हो जायगा और बहुत सी जिम्मेदारियां जब वह ले लेंगे तो बोझ हल्का हो जायगा। इसके पहले भी हम सोचते रहते हैं कि जो उनके पास बहुत से काम हैं उनको हटाना चाहिए। लेकिन कम से कम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पद तोड़ देना सम्भव नहीं। देशों का विकास अपने-अपने ढंग से होता है। इस वक्त हमारे सामने जिसको अंग्रेजी में "टेबुलारासा" कहते हैं खाली तख्ती नहीं है, शासन की एक व्यवस्था है। परिस्थितियों के अनुसार उसके रूप को बदलना होगा। लेकिन फिर भी हमें यह देखना होगा कि कहीं हम ऐसी सूरत न पैदा कर दें जिससे शून्य हो जाय। मैं माननीय सदस्यों से जो राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जिनको विदेशों का भी अनुभव है, उनसे कहता हूं कि वह यूरोप के देशों की तरफ ध्यान दें। वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नाम का व्यक्ति होता हो या न होता हो लेकिन जो वहां मेयर होते हैं उनकी क्या सूरत होती है? इंग्लैंड में विकास दूसरे तरीके से हुआ है और कांटीनेंट का विकास दूसरे तरीके से हुआ है। कुछ बातों में कान्टीनेंट के देश फ्रांस, जर्मनी आदि के विकास और उनकी अवस्था का हमारे देश से साम्य है। उन देशों में मेयर एक नान-आफिशियल होता है। लेकिन नान आफिशियल होते हुए भी करीब-करीब बिल्कुल सरकारी होता है। उन देशों में अगर कोई विदेशी आक्रमण होता है तो मेयर से उसी तरह से काम लिया जाता है जैसे कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लिया जाता है। फ्रान्स, जर्मनी आदि को खास तौर के अनुभव हुए हैं, वहां बराबर अशान्तियां रहीं, लड़ाइयां रहीं इसलिये वहां की जनता को इस बात का अनुभव हुआ कि एक अधिकारी ऐसा होना चाहिए स्थान पर जो गवर्नमेंट की तरफ से बात कर सके, जिसके द्वारा अगर जरूरत हो तो गवर्नमेंट की सारी मशीनरी किसी एक मौके पर केन्द्रीभूत हो सके। वह जरूरत इंग्लैण्ड के सामने नहीं आयी, लेकिन कांटीनेंट के देशों के सामने आयी। हमारे यहां एक बहुत पुरानी व्यवस्था चल रही है, नयी व्यवस्था अभी सफल नहीं हुई, एक संक्रान्ति काल है, देश के अन्दर वैसी शान्ति नहीं जैसी स्वराज होने के बाद होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप वाले देशों को देखा जाय। रूस में पावर के बाद कहीं कुछ नहीं हुआ। युनाइटेड स्टेट्स में स्वतंत्रता होने के बाद कहीं कुछ नहीं हुआ। वह प्रजातांत्रिक देश है। हमारे राज में किसी न किसी पार्टी का आन्दोलन होता ही रहता है; फिर अभी हम यह भी नहीं कह सकते कि बाहर से क्या होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी ऐसी है कि आगे क्या होगा और किस दिन क्या हो जाय, हम नहीं जानते हैं। ऐसी अवस्था में इस बात की जरूरत है कि जिलों में एक अधिकारी ऐसा जरूरी है जो कि एक तरह से सारे गवर्नमेंट के विभागों का प्रतिनिधि हो और जिसके पास यदि आवश्यकता पड़े तो सारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश जा सके और गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं उन सारे विभागों की आवश्यकताओं को एक जगह केन्द्रीभूत कर सकें। इस वक्त की व्यवस्था में, जैसा मैंने निवेदन किया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बोझा कम होने की कोशिश होनी चाहिये, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद को इस समय हटा देना सम्भव नहीं है।

जहां तक बोर्ड आफ रेवेन्यू की बात है। वह बात ऐसी है कि इस समय कोर्ट आफ वार्ड्स हमारे यहां नहीं हैं और कई प्रकार के जो परिवर्तन यहां हो रहे हैं, जमीन के सिलसिले में, सीलिंग के सिलसिले में या होल्डिंग पर कंसालिडेशन के सिलसिले में या पंचायतों के अधिकार बढ़ रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए इस तरह के रेवेन्यू के मामले सब उसके सामने जायेंगे और वह मुकदमें कितने रहेंगे और क्या सूरत होगी यह ठीक नहीं कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कुछ दिनों के बाद बोर्ड आफ रेवेन्यू के अलग करने की बात सोची जा सकती है बल्कि शायद उसकी जरूरत ही न रह जाये। थोड़े से मुकदमें होंगे तो उनको सिविल कोर्ट देख सकते हैं। लेकिन मौजूदा

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हालत में, मैं समझता हूं, बोर्ड आफ रेवेन्यू जैसा पड़ा हुआ है उसको अभी कुछ दिनों के लिये ऐसे ही पड़ा रहने देना अच्छा है।

दो सवाल एक ही प्रकार के माननीय नारायणदत्त जी ने यहां पर संविधान के अनुसार उठाये। एक तो गवर्नर के यहां कुछ फर्नीचर या पर्दे की बात थी। उसकी बाबत मैंने देखा कि जो कांस्टीट्यूशन का आर्टिकिल २०२ के (3) का (*a*) है उसके अनुसार "The Government of India (Governors Allowances & Privileges) Order, 1950" बना हुआ है। वह अभी लागू है। उसके अनुसार एक शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल के कालम ६ में जिन चीजों को चार्ज करना चाहिये, लिखी हुई हैं। "Maintenance and repairs of furnishings of official residences." इसके अनुसार अगर हम ऐसा चार्ज करते हैं जो पर्दे या फर्नीचर, कुर्सी के लिए है, वह उसके अन्दर आता है, उसके अनुसार ही हम चार्ज करते हैं। ऐसे ही माननीय स्पीकर के विषय में..

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह मैंने देख लिया है इसलिये उसको मैं वापस लेता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अब इसका जिक्र हुआ कि मेथड और आर्गनाइजेशन की तरफ ध्यान देना चाहिये। जैसा नारायण दत्त जी ने कहा यह बिल्कुल सही है कि श्री दास के जमाने में कुछ परिवर्तन हुए। कुछ अफसर इधर हुए और कुछ उधर हुए। उस अनुभव ने हमको यह बतलाया कि वह परिवर्तन कुछ ठीक नहीं है। किसी और जगह यदि वह चला गया, तो उसके कुछ और कारण रहे होंगे। हमारे यहां यह नहीं चला। उसको बदल देना कोई गलत बात नहीं थी। उसमें किसी एक अफसर की सुधार की बात नहीं है। वह तो सारे आर्गनाइजेशन की बात को देखना है। अब हमने इस चीज को स्वीकार किया है कि सेक्रेटेरियट के हर विभाग में एक अफसर हो और ओ० एण्ड एम० के अनुसार उसके सुपुर्द सब काम है कि किस तरह से कितना काम और समय के अन्दर सुविधा से हो सकता है। वह काम वह देख रहा है। हमें ऐसी आशा है कि कुछ दिनों में यह प्रयोग यदि सफल हुआ तो हम अपने यहां सेक्रेटेरियट के काम के प्रोसीजर में बहुत कुछ सुधार कर सकेंगे। नारायण दत्त जी ने इसका जिक्र किया कि एक कर्मचारी प्रशासन व्हिटले कौंसिल की तरह से कायम हो। उस योजना पर हम चल रहे हैं। वह उसकी तो पूरी नकल नहीं है, लेकिन हमने एक चीज कायम की है कि उसमें सेक्रेटरी वगैरा भी हों और कर्मचारी भी हों और बहुत से जो गम्भीर या विवादास्पद सवाल हैं, उसको छोटे अफसर या बड़े अफसर बैठ कर आपस में बातचीत करके तय करेंगे; और हम ऐसी आशा करते हैं कि यह चीज सफल होगी; और जिस चीज का नारायणदत्तजी तिवारी ने जिक्र किया है, हम यह आशा करते हैं कि यदि यह प्रयोग सेक्रेटेरियट में सफल हुआ तो हम आगे भी बढ़ा सकेंगे।

एक काम और भी हम को करने की जरूरत है। बार बार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जिक्र आता है, यहां भी जिक्र आता है कि बहुत सी हमारी सर्विसेज हैं जिनके बीसियों बरस हो गये आज तक सर्विस रूल्स नहीं बने। उनके यहां सीनियोरिटी का भी कोई ठीक प्रबंध नहीं है। जब कोई सवाल पैदा होता है तो एक एडहाक तरीके से काम कर दिया जाता है और बस, यह कोई अच्छी बात नहीं है। जरूर इसके कारण होंगे, विभागों के पास बहुत-सा काम होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि यह तरीका अच्छा नहीं है। मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से बात हुई और मैंने यह निश्चय किया है कि शीघ्र ही सेक्रेटेरियट में एक अफसर नियुक्त किया जाय और अगर जरूरत हो तो एक छोटा सा विभाग भी बनाया जाय ताकि जितने भी विभाग हैं और जिनके सर्विस रूल्स अधूरे हैं या नहीं हैं, उनको पूरा किया जाय और उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजा जाय और उनके चेयरमैन से भी कहा है कि अगर जरूरत हो तो वे भी एक छोटा-सा विभाग खोल लें और सर्विसेज में जो शिकायत है और एडहाक तरीके से काम होने में शिकायत हो सकती है, वह दूर हो जाय। मैं समझता हूं कि इससे फायदा होना चाहिये।

इसके बाद जिक्र हुआ कि किन्हीं अफसरों को बहुत दिनों तक सेक्रेटेरिएट में नहीं रहना चाहिये। माननीय नवल किशोर जी ने जिक्र किया कि शुरू-शुरू में मैंने यह कायदा बनाया था कि २ वर्ष के बाद आदमी को बाहर भेज देना चाहिये। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आज भी हमारा यही खयाल है और यह जरूरी है। जैसा कि मैं सदन में कई बार कह चुका हूं कि आम तौर से हम अफसरों को मई, जून के पहले बदला नहीं करते, सबके लड़के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। जब तक कोई बहुत आवश्यकता न हो किसी को तकलीफ देना नहीं चाहिये; लेकिन किन्हीं खास-खास हालातों को छोड़ कर, हम इस बात पर दृढ़ हैं कि ३ वर्ष यहां रहने के बाद अफसरों को जिलों में जाना चाहिये, उनको जिलों का अनुभव प्राप्त करना चाहिये। कागज में और आदमी में फर्क रहता है। जब वे जिलों में रहते हैं तो उनको आदमियों से काम करना पड़ता है, उनके सम्पर्क में आना पड़ता है और यहां इस सेक्रेटेरिएट में कागज से उनको काम रहता है। इस मांग को हम भी पूरे तौर से मानते हैं।

जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग करने का सवाल पेश हुआ। बहरहाल, जो एक्सपेरीमेंट हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं उसको तो माननीय सदस्यों ने बजट में देखा और हम तमाम जिलों में उसे करने जा रहे हैं और हमारा ऐसा विचार है कि अगले साल तक प्रदेश के प्रायः हर जिले में, जिस किस्म का सेपरेशन हम करते हैं, उसको मेरिट्स को छोड़ दीजिये, वह कम से कम हर जिले में हो जाय। यह बहुत बड़ा काम हो जायगा। अब यह सही है कि इसको बाबत कहा जा सकता है कि यह पूरे तौर से सेपरेशन नहीं है। जैसा सेपरेशन थ्योरी में होना चाहिये, वह नहीं है। इसको मैं मानता हूं। यह जरूर है कि हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि जो जुडिशियल आफिसर्स हैं उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव न हो। वे रहते हैं ए० डी० एम० (जे०) के अन्डर में, वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर नहीं है। जितने मुकदमे उनकी अदालतों में जाते हैं वह सीधे आना हाईकोर्ट के हैं। लेकिन यह सही है कि जिस माने में मुंसिफ और सेशन्स जज, जुडिशियल आफिसर हैं उस माने में वह जुडिशियल आफिसर नहीं हैं और यह छिपी हुई बात नहीं है। एक खास किस्म का सेपरेशन हमने किया इकोनामी को ध्यान में रख कर, और हम यह कह सकते हैं कि यह तरीका आन दि होल असफल नहीं रहा। माननीय राजनारायण जी के पास कुछ ऐसे अफसर हैं कि जो उनको चुपके से अपनी बात आ कर कह जाते हैं। यह मैं मानता हूं कि अगर कोई आदमी कहीं नौकर है तो उसको कुछ नौकरी के कायदों को मानना चाहिये, मगर यह सही नहीं है कि सरकारी नौकर ऊपर के अफसरों के कहने से गलत काम करते हैं और गलत फैसले देते हैं . . .

श्री राजनारायण—हमारे पास मिसालें हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वे हमारे नौकर नहीं हैं। वे गवर्नमेंट के नौकर हैं और उसका नमक खाते हैं। वे अपने काम में किसी का खयाल नहीं करते। (व्यवधान)

श्री राजनारायण—आप गलत फैसला कराते हैं तो क्या हम उसे नहीं कहेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गलत फैसला कराने की बात मैं नहीं मानता। जिसको यह बात कहने की हिम्मत नहीं है और चुपके से इस तरह की बात कहा जाता है, वह झूठी बात कहता है। जो आदमी साफ-साफ इस तरह की बात नहीं कह सकता उसकी हम कोई इज्जत नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप इस तरह से बार बार न टोकें; यह तरीका अच्छा नहीं है।

श्री राजनारायण—बार-बार हल्ला होगा तो जवाब भी मिलेगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बहरहाल, मैं फिर कहता हूं कि . . .

श्री राजनारायण---आप कहें तो मैं नाम बतला दूं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर कोई शख्स यह बात कहता है कि उससे गलत फैसला करा लिया जाता है तो हजारों सरकारी नौकर हैं और एक के ऊपर दूसरा नौकर है । कोई यह नहीं कह सकता कि कोई बड़ा अफसर किसी छोटे अफसर को गलत तरीके से निकलवा सकता है और इसलिये उसको हिम्मत के साथ आगे आ कर इस तरह की बात कहनी चाहिये । जो चुपके से आप को इस तरह की बात कह जाता है उसकी हम कदर नहीं करते ।

एक चीज का यहां पर और जिक्र हुआ । एनुअल रिपोर्ट के बारे में । मैंने अभी ध्यान से उन रिपोर्ट्स को देखा नहीं है, लेकिन जो पोरशन्स उसके यहां पढ़े गये उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वे नहीं होने चाहिये । आज जो रिपोर्ट्स होती हैं वे उसी ढंग से चली आती हैं जिस ढंग से पहले बनती थीं । मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से जो पोलिटिकल रिव्यु छपे हैं और जो नाम आये हैं, वे नहीं होने चाहिये । जो रिपोर्ट सरकारी छप गयी हैं, वे तो छप गयी हैं लेकिन आइन्दा के लिये मैं जरूर देखूंगा कि जो रिपोर्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में तैयार हों, उनमें ऐसी बातें न हों ।

एक चीज और है और वह बारहमासी चीज है । ऐसी कोई डिबेट नहीं होती जिसमें करप्शन के बारे में न कहा गया हो । करप्शन के बारे में, मैं इसको दुर्भाग्य समझूं, मेरी एक खास किस्म की राय है और उसे मैं कई बार इस सदन में कह भी चुका हूं । हममें से कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि हममें करप्शन नहीं है । हमारे देश में करप्शन है, और देशों में भी होगा, लेकिन वह हमारे लिये संतोष की बात नहीं है; और प्रदेशों में भी होगा, यह भी कोई संतोष की बात नहीं है, हमारे यहां सर्विसेज में भी है, सर्विसेज के बाहर भी हैं । इस सदन में सवाल आते हैं कि क्यों साहब, फलां आदमी को कुआं बनवाने के लिये रुपया दिया गया था और वह रुपया खा गया, इस किस्म के सवाल आते हैं । किन्तु वे सरकारी आदमी नहीं हैं, वे गैर-सरकारी आदमी हैं, इसी देश के रहने वाले आदमी हैं, हममें से ही वे लोग भी हैं । इस प्रदेश में जहां छः, साढ़े छः करोड़ की आबादी हो, इनमें से यह कहना कि कोई करप्ट नहीं है, यह बड़ा मुश्किल है । अच्छे आदमी भी हैं, बुरे आदमी भी हैं । ऐसा नहीं है कि इतने आदमियों में बुरे आदमी न हों । लेकिन, जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूं, यह मेरी कमजोरी है कि मुझे बार-बार करप्शन, बार-बार भ्रष्टाचार की चर्चा करना अच्छा नहीं लगता और उससे कुछ खास फायदा भी नहीं होता । एक बहुत बड़ी बात यह है कि बार-बार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहते रहने से जो लोग भ्रष्टाचारी होंगे, वे बेहया हो जायेंगे । दूसरी बात यह कि इसका असर दूसरे लोगों के ऊपर क्या पड़ता है, यह भी सोचने की बात है । भ्रष्टाचारी कोई दूसरा आदमी नहीं है, वह भी इसी देश का रहने वाला ही है । हममें से कितने ही आदमी ऐसे हैं जो हमारे मित्र होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे लड़के होंगे, हमारे भाई होंगे, जो सरकारी नौकरियों में होंगे । इसलिये सब को भ्रष्टाचारी कहना मुझे ठीक नहीं लगता ।

एक सवाल यह किया गया कि हरिजनों को हमें सर्विसेज में लेना चाहिये । ठीक है, उनको सर्विसेज मिलनी चाहियें । लेकिन जब सरकारी नौकरी इतनी बुरी चीज है तो क्यों हम उनको खंदक में डालना चाहते हैं, उनको बेईमान बनाना चाहते हैं ? अगर ऐसी चीज है तो हम क्यों किसी को सर्विसेज में डालकर खराब करते हैं ? मैं यह कहूं कि मैं तो ईमानदार आदमी हूं लेकिन जो सर्विसेज में चले गये वे भ्रष्टाचारी हैं, वे बेईमान हैं, वे खराब हैं, मैं इसे नहीं मानता ।

श्री राजनारायण---अगर आप बैकवर्ड क्लासेज को लेंगे तो वे खराब नहीं होंगे ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह मैं कैसे कहूं कि वे खराब नहीं होंगे ।

एक चीज का जिक्र और हुआ और वह था ट्रिब्यूनल बनाने का। यहां भी माननीय नारायण दत्त जी ने सवाल उठाया था, न उठाते तो अच्छा था। वह तो एक बड़े आल इंडिया बेसिस पर पेश हो ही रहा है, लेकिन उठाया उन्होंने। मैं इस बात में कोई दो राय रखता नहीं। स्पष्ट अपनी राय रखता हूं और किसी भी हालत में इस पक्ष में नहीं हो सकता, किसी के पक्ष में नहीं हो सकता। सरकारी अफसरों की जहां तक बात है, ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मौजूद है। हमने पिछले ३-४ वर्षों में २ सुपरिन्टेंडेंट पुलिस निकाले और कई बड़े अफसर निकाले, लेकिन एक जनरल, परमानेन्ट, स्थायी रूप से किसी ट्रिब्यूनल को कायम कर देने से, चाहे किसी बड़े अफसर के लिये या मिनिस्टर के लिये, या जैसा कि ख्याल रखना चाहिये, किसी खास पार्टी की बात नहीं है। आज एक पार्टी है, कल दूसरी हो सकती है, लेकिन इस बात को हमेशा सोचना चाहिये कि कोई भी शासन चल नहीं सकता अच्छे तरीके से, अगर किसी के खिलाफ प्राइमा फेसी सबूत हो तो दूसरी बात है, लेकिन सोचने की बात है कि अगर कोई शख्स तंग करने के लिये एक दरख्वास्त ऐसे ट्रिब्यूनल में देता है तो जिसके खिलाफ दरख्वास्त दी उसकी तो इज्जत खराब हो जायगी; शासन वह चला नहीं सकता, तबीयत उसकी शासन में लग नहीं सकती और न कमांड रह सकता है और न मातहतों के ऊपर अनुशासन रख सकता है। बाद को अगर चार्ज गलत भी साबित हो गया तो भी शासन खराब हो जायगा, एक आदमी शासन करने के लायक नहीं रह जायगा; इस को हर पहलू से सोच लेना चाहिये। और अगर किसी ने गलत शिकायत की है, उसका क्या बिगड़ेगा? यह तो नहीं कहा जा सकता कि शिकायत करने वाले बड़ी हैसियत के हों ताकि अगर शिकायत गलत साबित हो तो उनसे जुर्माना वसूल किया जा सके। उसका बिगड़ा क्या जो कि हर तरह से, कैरेक्टर की दृष्टि से, हर दृष्टि से "मीयर नोबडी" जो आदमी हो? वह सारे शासन को खराब कर सकता है, शासन को दिक्कत में डाल सकता है। तो बहुत गहराई से सोचना चाहिये कि उसके इम्प्लीकेशंस कहां जाते हैं और उनका क्या असर होगा?

एक बात और सोचने की है कि हमारा ही देश तो नहीं है, दुनियां में और भी देश हैं। यहां कई मित्र हैं जो बाहर के देशों की सैर कर आये हैं, घूम आये हैं। वहां कहां-कहां पर इस प्रकार के परमानेन्ट ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, यह जरा बतायें। इंगलैन्ड में तो नहीं है, यह मुझे मालूम है जिसकी हम यहां नकल करते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं है; और किन-किन देशों में बने हुए हैं, मुझे नहीं मालूम।

श्री राजनारायण--स्विटजरलैण्ड में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--'अम्बुत्समान" मैंने बतलाया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ठीक है। अगर नहीं बने हुए हैं तो सोचने की बात है कि यह कहां तक उचित होगा कि हम दुनियां के हर एक आदमी के सामने यह ऐडवर्टाइज करें कि हम बेईमान हैं। इंगलैन्ड के लोग अगर गवर्नमेंट चलाते हैं तो ईमानदार हैं, फ्रांस के चलाते हैं तो ईमानदार हैं, लेकिन हिन्दुस्तान का किसी दल का आदमी चलाता है तो वह बेईमान होगा। हमें सोचना चाहिये कि नेशनल केरेक्टर को हम किस रूप में ऐडवर्टाइज कर रहे हैं, दुनियां के सामने। अगर इसमें कोई खास शोभा मालूम पड़े, जिसकी जरूरत किसी दूसरे देश को नहीं पड़ी, तो आज एक गवर्नमेंट है कल को दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी, रास्ता खुला तो खुला ही रहेगा। परमानेंटली अगर हम एक बात को करते हैं, जैसा कि दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं है, किसी भी राष्ट्र के चरित्र में नहीं है, तो उसका नतीजा क्या होगा, इन बातों में दूर तक जाना चाहिये। जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि प्रेसीडेंट के लिये है, हाई कोर्ट के जजेज के लिये है और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये है तो वह यहां भी है। अगर किसी के खिलाफ शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है खाली गवर्नर के पास दरख्वास्त देनी होती है। वह इलेक्शन कमीशन के पास भेजते हैं और

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उसमें है कमीशन की राय के लिये कि गवर्नर "शैल रेस्पेक्ट"। जो राय इलेक्शन कमीशन देगा वह निष्पक्ष राय देगा, किसी पार्टी का नहीं है, किसी के अन्डर नहीं है। जिस किसी इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को आप सोच सकते हैं उस तरह की चीज है और उसकी सलाह गवर्नर को माननी ही होगी, कांस्टीट्यूशन के अन्दर मौजूद है। उसके रहते हुए परमानेंटली एक ट्रिब्यूनल बनाना खास तौर से अपने राष्ट्र के चरित्र को बदनाम करना होगा, इसके सिवा कोई दूसरा फायदा हो नहीं सकता।

दो, तीन बातों का और जिक्र किया गया है, एक तो सरकारी नौकरों का—गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। यह बिलकुल सही है कि १९४७ में जो पे कमेटी बैठी थी उसको आज बहुत दिन हो गये और तबसे आज बहुत फर्क हो गया, इसमें कोई शुबहा नहीं। जो बड़ी तनख्वाह वाले हैं उनकी बाबत यह दिक्कत तो है, जिसका जिक्र श्री नवल किशोर जी ने किया, कि आल इंडिया सर्विसेज हैं, इत्यादि-इत्यादि। उन बातों के रहते हुये भी मैं निजी तौर से ऐसा नहीं मानता कि जो हमारी हायर सर्विसेज हैं उनको हम कोई बहुत ज्यादा तनख्वाह देते हैं लेकिन इस बात को मैं जरूर मानता हूं कि जो कम तनख्वाह पाने वाले हैं उनको हम कम तनख्वाह देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी को ध्यान में रखकर हमने कुछ ट्रेवेलिंग एलाउन्सेज और दूसरी बातों में सुधार किये। इस तरफ हमारा ध्यान गया है कि जो लो पेड कर्मचारी या चपरासी वगैरह हैं उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये, हम इस पर गौर कर रहे हैं। बढ़ाना दो तरह से होता है। कुछ तो बढ़ाना कैश के रूप में होता है यानी नकद रुपया देकर लेकिन साथ ही दूसरी चीज यह भी है कि एमेनिटीज के रूप में हम बढ़ावें। जैसे सन् १९४७ की जो पे कमेटी की रिपोर्ट थी उसके संबंध में श्री नारायण दत्त तिवारी ने शिक्षा के संबंध में एक चीज का जिक्र किया। रुपया किसी के घर जाता है तो वह कोई खाने की चीज तो है नहीं, वह आखिर कामों में ही खर्च किया जाता है। दवाई के काम में आता है, बच्चों के पढ़ने के काम में आता है, मकान के काम में आता है। हम इस संबंध में सोच रहे हैं, इसमें सिर्फ सेक्रेटेरिएट के लोगों की बात नहीं है, सारे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का सवाल है, हमें सोचना होगा कि क्या हमारे रिसोर्सेज हैं और क्या हम कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि कुछ दिनों में हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और एक प्रस्ताव लेकर सदन के सामने आवेंगे सदन से मांग करेंगे और हम आशा करते हैं कि सदन के हर सैक्शन से हमको समर्थन मिलेगा। कुछ रुपये की शक्ल में और कुछ एमेनिटीज की शक्ल में, हम सोचेंगे कि हम क्या एमेनिटीज दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इस पर हम गौर कर रहे हैं। जैसा मैंने निवेदन किया कुछ दिनों बाद इस संबंध में हम सदन के सामने एक प्रस्ताव लेकर आवेंगे।

हिल एरियाज का सवाल कई दिनों से चल रहा है कि किस तरह से १०० रु० की टोकेन मांग बजट में रख दी गई। यह तो कहना बहुत अच्छा नहीं है कि जो पहाड़ के क्षेत्र हैं उनको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे साधन थे उनके अनुसार जो हम उनकी सेवा कर सकते थे हम बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं; नेगलेक्ट कर रहे हैं, यह बात गलत है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही, अगर मैं ठीक समझा, कि जो तिब्बत से मिला हुआ हिस्सा है उसी को नहीं बल्कि नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल, सारे के सारे को ही एक दृष्टि से देखना चाहिये और सभी को बार्डर एरिया मानना चाहिये। इस तरह से अगर बार्डर एरिया मानना हो तो फिर वहां से लेकर गोरखपुर तक सब बार्डर एरिया है, हर जगह पर किसी न किसी विदेश से वह हिस्सा लगा हुआ है। लेकिन इस समय जैसी परिस्थिति है उसमें बार्डर एरिया उसी को मानना चाहिये जो कि तिब्बत से मिला हुआ है। उस बात को ध्यान में रखते हुए यह तय हो चुका है और आज स्पेशल गजट निकलवा रहे हैं, कल पूरा ब्योरा निकल जायगा। तीन जिले बन रहे हैं। एक जिला तो है पिथौरागढ़, जिसमें ४ सब-डिवीजन्स होंगे धारचूला, मुंसियारी, पिठौरागढ़ और दीदीहाट। दूसरा डिस्ट्रिक्ट चमोली होगा जिसमें चार सब-डिवीजन्स होंगे—चमोली, जोशीमठ, ऊखीमठ और कर्ण प्रयाग। तीसरा

उत्तर काशी जिला होगा जिसमें चार सब-डिवीजन्स होंगे, डूंडा, राजगढ़ी, पुरोला और भटवारी, इन तीनों जिलों को मिलाकर एक कमिश्नरी हो जायगी—उत्तराखंड कमिश्नरी। इनके शासन की बात ऐसी है कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो रहेंगे ही और इस वक्त अल्मोड़ा डिवीजन में जो कमिश्नर हैं उनके जरिये से काम नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे ढंग से शासन होगा। वहां के कलेक्टर्स को ज्यादा पावर्स दी जावेंगी और जो मामले किसी कानून के अन्दर कमिश्नर के पास आने चाहिये वे चीफ सेक्रेटरी के पास आवेंगे जो वहां के कमिश्नर भी होंगे और जिन्हें सब विभागों के सेक्रेटरीज की भी पावर्स होंगी। वे सीधे चीफ मिनिस्टर को मामले भेजेंगे और इस बात में हमारे और माननीय मंत्री अपने अधिकार चीफ मिनिस्टर को कर देंगे। कलेक्टर्स को हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स की पावर्स भी रहेंगी, इससे काम जल्दी होगा। एक माननीय सदस्य ने राय दी कि वहां सीनियर अफसर ही रखे जावें। यह जरूरी नहीं है कि सीनियर अफसर ही अच्छे होते हैं। वे किन्हीं कामों के लिये अच्छे हो सकते हैं, किन्हीं के लिये नहीं। एग्रीकल्चर तो वहां ज्यादा है नहीं, लेकिन हार्टीकल्चर, इंजीनियरिंग, उद्योग वगैरह के लिये ऐसे अफसर रख रहे हैं जो कि बहुत बुड्ढे न हों, यद्यपि मैं स्वयं बूढ़ा हूं और इसके लिये क्या कहूं? हम ऐसे अफसर वहां के लिये चुन रहे हैं जो वहां जाकर घबरावें नहीं और यह न कहें कि हमारा ट्रांसफर मैदान में कर दो। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि इंसान को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलता है। विकास के लिये जाहिर है, इन क्षेत्रों में काफी रुपया खर्च होगा ही, शासन का पूरा खर्चा गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी। आपने देखा होगा कि शासन के लिये हमने बजट में केवल १०० रुपये की मांग रखी है और जो कुछ तय होगा वह सप्लीमेंटरी बजट में आमदनी और खर्चे के रूप में आवेगा। विकास के ब्योरे की बातें अभी तक नहीं हुई हैं। इतना खयाल अवश्य रखना चाहिये कि यह एक विशेष परिस्थिति में इंतजाम हो रहा है। हमारे नार्मल शासन का ढांचा यहां पर वैसा नहीं बल्कि जैसा एक विशेष आदमी के हाथ में सब अधिकार होते हैं खास तौर से वैसा कुछ होगा। यह सही है कि तिब्बत में या चीन की तरफ से जो विशेष परिस्थिति पैदा कर दी गई है उसके फलस्वरूप यह प्रबन्ध किया है। इससे लोगों की घबराहट दूर होगी। जो अफसर हम चुन रहे हैं वे कोने कोने में दौरा करके लोगों को सही बात बतावेंगे।

एक माननीय सदस्य ने, राजा यादवेंद्रदत्त दुबे जी ने, कहा कि मिलिटरी अथारिटीज से मिल कर काम करना चाहिये। इस मामले में हमारे शासन का और मिलिटरी अथारिटीज का पूरा-पूरा सहयोग है। एक-एक कदम पर सहयोग है। इससे मिलता जुलता क्षेत्र हिमांचल प्रदेश और नेफा का है जहां पूरी तरह से मिलिटरी का कमांड है। पूरी तरह से मिलिटरी ने वहां का शासन अपने हाथ में ले लिया है लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में वह अभी हमारे हाथ में ही है। लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं उनकी सलाह से कर रहे हैं। उनको भी हमारी पुलिस पर पूरा विश्वास है। आगे भी उनकी राय से होगा। अभी हमारे यहां फौज नहीं आयी है, रक्षा का सारा काम पुलिस के हाथ में ही है।

अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन एक-आध बातें ऐसी हैं, जिनके बारे में पहले भी कहा जाता रहा है और कभी-कभी अब भी कहता रहा हूं; और इसलिये कहता रहा हूं कि वे बातें कभी पुरानी नहीं होतीं और न उनकी आवश्यकता ही कम होती है; उनकी सामयिकता कम नहीं होती, चाहे वे हजार बार कही जायं। अभी जब करप्शन का जिक्र था कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में ऐसा खयाल जाहिर किया कि जो लोग करप्ट होते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से प्रश्रय दिया जाता है। बात ऐसी है कि कोई भी शासन हो, कोई भी संस्था हो, वह तभी चल सकती है जब कि कुछ हद तक जो लोग उसमें काम करते हैं उनको एक दूसरे की नीयत पर विश्वास हो, बुद्धि पर विश्वास भले ही न हो। अगर किसी जगह १० आदमी बैठे हैं और उनको एक दूसरे की बुद्धि पर विश्वास नहीं है तो काम

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

नहीं चल सकता । दूसरे देशों में गवर्नमेंट होती है, अपोजीशन भी होता है और वे सब एक दूसरे पर विश्वास करके ही काम करते हैं। अगर हम यह कहना शुरू करें कि विरोधी पक्ष की नीयत ठीक नहीं है तो यह गलत बात होगी और अगर इसी प्रकार से विरोधी पक्ष भी कहना शुरू करे तो भी अच्छी बात न होगी। जो लोग रिश्वत लेने वाले होते हैं उनको शील्ड करने में किसी भी गवर्नमेंट के लिये शोभा की बात नहीं हो सकती । किसी भी प्रदेश की गवर्नमेंट हो, अगर वहां चोरों, डकैतों या रिश्वत लेने वालों को प्रश्रय मिलता है तो यह उसके लिये इज्जत की बात नहीं है। किसी आदमी को ठीक प्रकार से समझने में गलती हो सकती है लेकिन जो भी आदमी गवर्नमेंट की क, ख, ग समझता है, वह जानता है कि ऐसे आदमियों को प्रश्रय देना उचित नहीं है। कोई भी आदमी हो वह गवर्नमेंट का आंख, कान या नाक अथवा हाथ या पैर हुआ करता है। इसलिये यह साफ बात है कि अगर कोई आदमी झूठ बोलता है या और कोई गलत काम करता है तो न वह शासन के इंटरेस्ट में है, न प्रदेश के इंटरेस्ट में है और न उसके निजी इंटरेस्ट ही में है । चाहे किसी आदमी को अपने देश और प्रदेश का रत्ती भर खयाल न हो, केवल अपने स्वार्थ का ही खयाल क्यों न हो, अगर वह गलत लोगों को प्रश्रय देता है तो उसका भी काम नहीं बन सकता। हमें इस बात का खयाल रखना है कि चाहे कोई भी सरकार हो लेकिन मशीनरी अच्छी होनी चाहिये तभी काम भी ठीक हो सकता है। इसलिये काम करने के लिये हमें एक दूसरे की नीयत पर विश्वास होना चाहिये, उसके बारे में संदेह नहीं होना चाहिये। जिस तरह से हम काम करते हैं उसमें १०० गलतियां हो सकती हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम जानते हैं और आप नहीं जानते लेकिन बहुत सी ऐसी भी बातें हो सकती हैं जिनको हम नहीं जानते और आप जानते हैं। इसलिये पब्लिक लाइफ में हमें इस चैरिटी को रखना ही होगा तभी पब्लिक लाइफ बढ़ और पनप सकती है और जो कुछ भी हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं।

मैं ऐसी आशा करता हूं कि हम सब उन बातों को ध्यान में रखेंगे जिन बातों की चर्चा माननीय दुबे जी ने की । वे बातें ऐसी हैं कि हम सबको गिराती हैं। हम आपको बुरा भला कहना शुरू करें और आप हमको बुरा भला कहना शुरू करें तो जो दूसरे सुनने वाले हैं, जो न आपमें से हैं न हममें से हैं, उनकी निगाह में हम दोनों बुरे हैं। उनके मन में न आपके लिये कोई इज्जत रह गयी न हमारे लिये कोई इज्जत रह गयी। जो लोग यहां जनता के प्रतिनिधि चुन कर आये हैं, चाहे वे किसी पार्टी के हों, अगर उनकी इज्जत चली जाय इसलिये कि हम एक दूसरे को गाली देते हैं तो आगे शासन नहीं चल सकता है। यह बहुत महत्व की चीज है जिसकी तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिये।

एक बात जिसको मैं बराबर कहता हूं और बार-बार कहता हूं वह इसलिये कहता हूं कि वह चीज कभी पुरानी नहीं होती। एक अवसर हमारे सामने है कि हम मिल जुल कर अपने प्रदेश की सेवा करें। गवर्नमेंट में जो लोग हैं, कम से कम मैं अपनी बाबत कह सकता हूं कि मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं सर्वज्ञ हूं और मुझसे कोई गलती नहीं होती या हो सकती। लेकिन मौके के साथ हमारी यह बराबर कोशिश रही है कि प्रदेश की सेवा करने के लिये जनता पदे पदे हमारी मदद करे और इसमें अपोजीशन हमारी विशेष तौर से मदद करे। कारण यह है कि हम तो काम करते हैं और आप हमें काम करते हुए देखते हैं तो आप हमारी गलती को अच्छी तरह बाहर से देख सकते हैं, जिसको हम स्वयं नहीं देख सकते हैं। आपके पास जो यह तजुर्बा है उसका काफी फायदा हमको मिल सकता है। अगर कोई गलती आपकी नजर में आये और उसे बतला कर आप प्रदेश की भलाई का काम करने में हमारा सहयोग न करें तो उसकी वजह से इस प्रदेश का नुकसान होगा। अगर हमारे प्रदेश की जनता कमजोर हो, गरीब हो तथा यहां के लोगों के अन्दर आत्म सम्मान न हो तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इस काम के लिये मैं सदैव अपोजीशन का सहयोग पाने का प्रयत्न करता हूं और प्रदेश की सेवा

करने के लिये आपका सहयोग प्राप्त करने के लिये हर तरह से तैयार हूं। अगर आपका सहयोग प्राप्त हुआ तो मुझे आशा है कि इस प्रदेश का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है ।

इतना कहने के बाद मैं इतना और कह दूं कि श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि इतने अनुदान में से अगर १ रुपया निकल ही गया तो उसका क्या हो जायगा। लेकिन सोचने की बात है कि अगर कोई मशीन हो जिसकी एक छोटी कील भी ढीली हो जाय तो सारी मशीन बेकार हो जाती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वे इस गरीब डिपार्टमेंट का १ रुपया न काटें और मेहरबानी करके अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। और अगर उन्होंने ऐसी ब्राह्मणोचित उदारता नहीं दिखलायी तो मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरी मांग को स्वीकार करे और उनकी बात को न माने ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३---सामान्य प्रशासन के कारण व्यय---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन, इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १ रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

सीमांत क्षेत्रों के प्रशासन एवं विभागीय सामान्य नीति की चर्चा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३---सामान्य प्रशासन के कारण व्यय---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,४६,६०,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४---आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन का व्यय---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

आयुक्तों और जिला अधिकारियों के सीमान्त क्षेत्रों के दौरे व सामान्य नीति की चर्चा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४---आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन का व्यय---लेखा शीर्षक: २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,१२,८७,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब घंटी बजती है तो अक्सर हमारे नीचे के कमरे में आवाज नहीं पहुंचती है, कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि आवाज नीचे तक पहुंच जाया करे ।

श्री उपाध्यक्ष—इसकी जांच हो जायगी की, अगर राजनारायण जी की डाक्टरी परीक्षा की जरूरत हो तो स्वास्थ्य मंत्री जी करा दें, घंटी में खराबी होगी तो हम देख लेंगे। (हंसी)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में——१५३,

विपक्ष में—१९।)

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५५ मिनट पर शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
२४ फरवरी, १९६०।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३० पर)

विवरण—पत्र १

(अनुदान)

नगरपालिका का नाम	वित्तीय वर्ष	अनुदान की धनराशि
		रु०
१—पडरौना	१९५४–५५	७,५००
	१९५५–५६	२६,०००
	१९५६–५७	११,१००
	१९५७–५८	१९,८००
	१९५८ से १–७–५९ तक ..	११,३००
	योग ..	७५,७००
२—देवरिया	१९५४–५५	१४,१००
	१९५५–५६	१६,२५०
	१९५६–५७	१३,०००
	१९५७–५८	२७,६३८
	१९५८ से १–७–५९ तक	२९,७००
	योग ..	१,००,६८८
३—बरहज	१९५४–५५	९,१००
	१९५५–५६	३६,१००
	१९५६–५७	१५४००
	१९५७–५८	४३,३००
	१९५८ से १–७–५९ तक ..	१०,५००
	योग ..	१,१४,४००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विवरण-पत्र २

(ऋण)

नगरपालिका का नाम	वित्तीय वर्ष	ऋण की धनराशि	ऋण की धनराशि जो बकाया है
		रु०	रु० न० पै०
१—पडरौना ..	१९५४–५५	१४,०००	१२,८०७.६५
	१९५५–५६	२,१९,३००	२,१०,६३८.४२
	१९५६–५७	..	..
	१९५७–५८	८०,०००	७८,७९६.००
	१९५८ से १–७–५९ तक	..	..
	योग ..	३,१३,३००	३,०२,२४२.०७
२—देवरिया ..	१९५४–५५	२,४५,०५०	२,३९,८०३.०२
	१९५५–५६	३,४८,०७७	३,४८,०७७.००
	१९५६–५७	..	..
	१९५७–५८	..	..
	१९५८ से १–७–५९ तक	..	..
	योग ..	५,९३,१२७	५,८७,८८०.०२
३—बरहज ..	१९५४–५५	३६,०००	३०,०८३.४५
	१९५५–५६	..	..
	१९५६–५७	..	..
	१९५७–५८	..	..
	१९५८ से १–७–५९ तक ..	..	..
	योग ..	३६,०००	३०,०८३.४५

उत्तर प्रदेश संसद

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ पर)

अन्तरिम जिला परिषद्, जौनपुर के कार्यकारिणी के पांच सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र की प्रतिलिपि

अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् के निम्नलिखित अवैध कार्यों के प्रति protest स्वरूप कार्यकारिणी अन्तरिम जिला परिषद् का १९५९–६० का संशोधित (revised) बजट तैयार करने तथा अनुमानित (rough) बजट १९६०–६१ के estimates और schedules के जांचने (examination) में अपने को असमर्थ पाती हैं:

१—अध्यक्ष ने राज्य सरकार के आदेशों के विरुद्ध अन्तरिम जिला परिषद् का एक चपरासी अपने यहां और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के यहां रक्खा है तथा परिषद् का ड्राइवर भी अध्यक्ष के बंगले पर ही रहता है और बिना परिषद् के निर्णय के परिषद् की जीप को जिलाध्यक्ष के दौरे के सिलसिले में तथा अल्प बचत योजना के सिलसिले में इस्तेमाल किया है और पेट्रोल तथा मोबिल आयल परिषद् के कोष से दिया गया है।

२—अध्यक्ष ने परिषद् की एक गैंग को करीब-करीब हर महीने में काफी दिनों तक अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल किया है।

३—अध्यक्ष ने नार्मल ट्रेनिंग के उम्मीदवारों के चुनाव में अवैध रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अध्यक्ष के अधिकार delegate किये हैं।

४—जो अधिकार अन्तरिम जिला परिषद् के हैं उनका भी उपयोग अध्यक्ष स्वयं करते हैं।

५—अध्यक्ष ने अन्तरिम जिला परिषद् के कुछ सदस्यों के विरुद्ध गलत प्रचार किया है।

६—अध्यक्ष परिषद् के निर्णय को कार्यान्वित नहीं करते।

७—अध्यक्ष परिषद् का administration निष्पक्ष रूप से नहीं चला रहे हैं जिससे परिषद् के कर्मचारियों, विशेषकर अध्यापकों में बहुत असन्तोष है।

प्रस्तावक (ह०) लाल बहादुर सिंह,
समर्थक (ह०) राम समझावन,
,, (ह०) राज नारायण सिंह,
,, (ह०) राम लगन सिंह,
,, (ह०) राम प्रताप उपाध्याय।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७ एल० ए०—१९६०—८४५।